छः किलो गेहूं और यदाकदा कुछ चावल की सप्लाई करती थी। बाद की सरकार ने उसमें कमी कर उसे प्रति यूनिट साढ़े पांच किलो माहवारी निर्धारित किया था। सन् 1980 के चुनाव के बाद पुनः जब नई सरकार बनी तो प्रति यूनिट गेहूं का कोटा पुनः छः किलो निर्धारित किया गया। परन्तु आश्चर्य और दुःख की बात है कि इन दिनों राशन कार्डधारियों को प्रति यूनिट एक किलो के हिसाब से गेहू और इससे कुछ अधिक चावल की सप्लाई की जा रही है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं मे भारी असतोष है। इसका प्रभाव मंहगाई वृद्धि पर पड़ रहा है। अगर पहले की तरह उपभोक्ताओ को प्रति यूनिट छः किलो गेहू नहीं दिया गया तो कितने गरीबों के भूख से मर जाने का ख़तरा पैदा हो गया है।

13.03 hrs.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह बिहार को यथेष्ट मात्रा मे गल्ले की सप्लाई करने की व्यवस्था करे ताकि पटना नगर और दूसरे जिलो के उपभोक्ताओं को पहले की तरह प्रति व्यक्ति माह मे 12 किलो गेहू मिल सके।

13.03 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82—*Contd.*

MINISTRY OF AGRICULTURE—*Contd.*

and

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Shri Mohanbhai Patel. Will you please continue? You were on your legs. You have already taken thirteen minutes. You will have to conclude now.

श्री मोहन भाई पटेल (जूनागढ़): माननीय सभापति जी, मैंने रेम्यूनरेटिव प्राइज़ किसानों को देने के बारे में अपने वक्तव्य में बताया था, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आज एग्रीकल्चर प्राइज़ कमीशन मे जनता का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, उसमें सब आफीसर्स जुड़े हुए हैं। मेरा सुझाव है कि भारत के सभी ज़ोन्स से कृषि से सम्बन्धित लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

आज देश में पेस्टीसाइड्स की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है और इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। इसके उत्पादन में इतनी मुनाफ़ाखोरी है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कई चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इपोर्ट की जाएं तब भी महंगी है। कई ऐसी है उनका उत्पादन किया जाए तो और भी अधिक महंगी होती है। एक मिसाल मैं देना चाहता हू— एक दवा है पैराथियान, यह बाहर से मंगाई जाती है तो 32 रुपये किलो मिलती है और अगर इसका उत्पादन करते है तो जो कम्पनी उत्पादन करती है इसको 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। इस तरह से 12 रुपये किलो अधिक लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सब कम्पनियों को नेशनलाइज़ किया जाना चाहिए, जिससे उचित दामों पर पेस्टी साइड्स मिल सकें।

सभापति जी, भारत में एक करोड़ टन आइल सीड की पैदावार होती है, उसमें क्रशिंग करने से 60 लाख टन आइल

[श्री मोहन भाई पटेल]

केक निकालता है और जो एक्सपेलर केक है, उसमें 7 प्रतिशत आइल रह जाता है ।

"From the new technology of Solvent Extraction it can be extracted upto 6 per cent."

6 प्रतिशत हम उसमें से एक्सट्रेक्ट कर सकते हैं । 25 लाख टन से ज्यादा केक्स से एक्स्ट्रेक्शन नहीं होता । 35 लाख टन केक जो बचता है उसको दो रूप में काम में लाया जाता है । एक तो मेन्यूर के रूप में काम में लेते हैं और दूसरा कैटल फीड के रूप में काम में लिया जाता है । मेन्यूर के रूप में जो काम में लेते हैं तो उसकी उपयोगिता तो है नहीं और दूसरा जो कैटल फीड के लिए काम में लिया जाता है तो कैटल भी 2 प्रतिशत से अधिक फैट डइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसकी उपयोगिता भी नहीं है । अगर इस केक को एक्सट्रक्ट किया जाए तो उस में से 2 लाख टन तेल मिल सकता है जिसकी कीमत 240 करोड़ होती है । आज 10–12 लाख टन की शार्टेज हमारे यहां है ।

एक सुझाव और है कि शॉर्ट स्टैपल, रुई, जिसका उत्पादन छोटा किसान करता है, इसके एक्सपोर्ट पर 1 टन पर 1 हजार रुपये ड्यूटी होती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नही हो पाता, क्योंकि फारेन मार्केट में हम नही टिक पाते । इसलिए मेरा सुझाव है कि शार्ट-स्टैपल, रूई की एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की जानी चाहिए ।

दो सवाल गुजरात के बारे में रखना चाहता हूं । गुजरात में सौराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग जोन है। सौराष्ट्र में पांच कोआपरेटिव शूगर मिल्ज हैं और गुजरात में सात । सौराष्ट्र में रिकवरी आठ परसेंट है और गुजरात में बारह परसेंट । दो भागों में जब इतना डिफ़ेंस होता है तो अलग अलग जोन दिए जाते हैं लेवी शूगर प्राइस के लिए । लेवी शूगर प्राइस में एक क्विंटल पर सौ रुपये का डिफ़ेंस है । डेढ़ साल से गुजरात की सरकार, गुजरात के एम पीज लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सौराष्ट्र को अलग जोन दिया जाए । सौराष्ट्र की सभी शूगर फैक्टरीज कोआपरेटिव बेसिस पर चल रही हैं । करोड़ों का लास इनको हो रहा है । रिकवरी भी कम है और कास्ट आफ प्रोडक्सन भी ज्यादा है । हम कृषि मंत्री जी से मिले थे । उन्होंने दो तीन कारण बताए थे जो हमारे मग्ज में नही आए । अभी भी नहीं आते है । यह बहुत एम्पार्टेंट सवाल है । इस को हल किया जाना चाहिए क्योंकि किसानों का नुकसान हो रहा है ।

नर्बदा योजना बनने जा रही है । सौराष्ट्र के छः मे से एक जिले को ही इसका लाभ मिलेगा, दो को बहुत कम मिलेगा । बाकी किसी को कोई लाभ मिलने वाला नही है । लिफ्ट इरिगेशन का अगर प्रोविजन हो सके तो बाकी जो बच जाते है उनको लाभ हो सकता है । अच्छे से अच्छा वहां कृषि विस्तार है, जमीन भी अच्छी है, किसान भी अच्छे है और पैदावार भी मिल सकती है । इसके बारे मे सोचा जाना चाहिए ।

हमारे यहां बहुत से मौलसिस होती है । दो तीन साल पहले उनको डिसट्राय कर देना पड़ता था । अब एस टी सी द्वारा मोलैसिस को परचेज करके बाहर भेजा जाने लगा है । हमारे यहां अलकोहल की जरूरत है । क्यों नहीं हम पब्लिक सैक्टर में अलकोहल की फैक्ट्री गुजरात में

लगाते हैं ? मैडीसिंज में इसका बहुत उपयोग होता है, और इण्डस्ट्री में भी होता है। बाहर पौलेसिस को बहुत कम दामों पर भेज दिया जाता है। वहीं पब्लिक सैक्टर में अलकोहल फैक्ट्री लगाने के बारे में भी आपको सोचना चाहिए जिससे हमारे किसानों को फायदा हो।

किसानों को पूरा दाम मिले, इसके बारे में सोचना चाहिए। इन डिमांड्ज को मैं सपोर्ट करता हूं। कृषि मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं कि इस पेचीदा सवाल को उन्होंने हल करने की कोशिश की है और बहुत सन्तोषजनक काम भी वह कर रहे है।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ग्रार (फरीदकोट): मैं एग्रिकलचर की डिमांड्ज को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई हूं। सब जानते हैं कि नेशनल इनकम में एग्रिकलचर सैक्टर का कांट्रीब्यूशन तकरीबन आधा है और हमारी आबादी का तीन चौथाई हिस्सा इसी सैक्टर पर अपनी लाइवलीहुड के लिए निर्भर है। इण्डस्ट्री भी रा-मैटीरियल की सप्लाई के लिए इसी पर डिपेण्ड करती है। हमारी इण्डस्ट्री ज्यादा-तर एग्रोबेस्ड है। एक्सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो उस में भी एग्रिकलचर सैक्टर का काफी बड़ा हाथ होता है। इन सब चीजों को देखते हुए 1980 में जब हमारी सरकार बनी तो उसने अहम कदम इसको इम्प्रूव करने के लिए उठाए। 1979-80 में प्रोडक्शन बहुत कम हुआ था। वह बहुत नीचे चला गया था। एग्रिकलचरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसे कदम उठाए जैसे सप्लाई आफ इनपुट्स, डिवेलपमेण्ट आफ इरिगेशन, स्ट्रग्थनिंग आफ रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन वर्क, प्रोग्राम फार डिवेलपमेंट आफ स्पेशल एरियाज जैसे ड्राउट प्रोन एरियाज, डैजर्ट एरियाज, कैंडी एरियाज। और यह खुशी की बात है कि 1981-82 में बहुत रिमार्केबिल प्रौग्रेस की है और जो 1978-79 में 131 मिलियन टन ग्रेन पैदा किया था तो सरकार ने जो टार्गेट रखा है 135 मिलिमन टन का वह जरूर पूरा होगा। अगर हम ओवर आल इन्कीज देखें तो 18 परसेंट हुई। ऐसे ही राइस में जो रेकार्ड है मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा होगा, दो मिलियन टन ज्यादा होगा पिछले साल से। ऐसे ही ह्वीट, काटन, ज्वार वगैरह में भी बढ़ती हुई है। तो मैं सरकार को बधाई देती हूं कि उन्होंने न सिर्फ पुरानी कमी को पूरा किया बल्कि जो लेबिल आफ़ प्रोडक्शन है उसको भी इम्प्रूव करने का तहैया किया।

अगर मैं कहूं जो हमारा किसान है देश का और खासकर हरियाणा और पंजाब का सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने जो हमारी इम्पोर्ट बेस्ड फूड इकोनामी थी उसको सेल्फ रिलायेंट फूड इकोनामी बनाया। 1975-76 मे आपको याद होगा हजार करोड़ रु० का फूड ग्रेन हम इम्पोर्ट करते थे। लेकिन हरियाणा और पंजाब ने सरप्लस फूड ग्रेन पैदा कर के फ़ौरेन ऐक्सचेंज को बचाया। तो अगर मैं यह कहूं कि प्रधान मंत्री जी की इफ़ेक्टिव लीडरशिप ने और किसानों की मेहनत ने हिन्दुस्तान को सेल्फ रिलायेंट फूड इकोनामी बनाने का मौका दिया तो यह कोई गलत बात न होगी।

पंजाब एक छोटी सी स्टेट है, हिन्दुस्तान का जो ज्योग्राफ़िकल एरिया है उसका 1.5 परसेंट पंजाब का एरिया है। लेकिन प्रोड्यूस के लिहाज से देखें तो देश मे जो ह्वीट पैदा होता है उसका 25 परसेंट अकेले पंजाब पैदा करता है, 16 परसेंट काटन पैदा करता है, 6 परसेंट राइस

[श्रीमती गुरबिन्दर कौर बार]

पैदा करता है, और सेन्ट्रल पूल में 60 परसेंट से 74 परसेंट तक क्लीट देता है और राइस देता है 70 परसेंट। अगर हम देश की यील्ड देखें तो पंजाब की यील्ड तकरीबन दुगनी है। और अगर फ़र्टिलाइजर कन्जम्पशन देखें तो तकरीबन 108 किलोग्राम पर हैक्टर पंजाब में खर्च होता है और हिन्दुस्तान में फ़र्टिलाइजर का कंजम्प्शन है 31 किलोग्राम पर हैक्टर। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी स्टेट होते हुए भी पंजाब का जो हिस्सा ऐग्रीकल्चर सैक्टर में है वह मुल्क के फूड ग्रेन पैदा करने में बहुत ज्यादा है। अब अगर देखा जाये आबादी बढ़ रही है, लेकिन जमीन तो बढ़ेगी नहीं, कोई रबड़ तो है नहीं जमीन। इसलिए लगातार हमको फूड ग्रेन्स को बढ़ाना चाहिए। तो क्या क्या तरीके हैं? कोशिश करनी चाहिए फेमिली प्लानिंग के जरिए आबादी को कम करें। उतना अभी हम पैदा नहीं करते हैं फूड ग्रेन जितने और खाने वाले हो जाते हैं। तो यह सब देखते हुए सरकार ने कुछ स्टैप्स लिये, जैसे सप्लाई आफ इनपुट्स। तो यह कुछ थोड़े तरीके हैं जिससे फूड ग्रेन और बढ़ सकता है जैसे एक तो इनक्रीज्ड इर्रीगेटेड एरियाज, दूसरे फ़र्टिलाइजर्स कन्जम्प्शन, तीसरे सर्टीफ़ाइड सीड्स की अवेलेबिलिटी को ऐक्सटेंड करना, हाई यील्डिंग वैराइटी में ज्यादा से ज्यादा फसल को लेना। ऐक्सटेंशन अरेन्जमेंट्स जो हैं टेक्नोलाजी के लेबोरेटरी से लेकर खेतों तक ले जाना। इसको स्ट्रैन्थन करना, यह सारी चीजें हैं, इन पर थोड़ी-थोड़ी नजर डालें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो इरिगेटेड एरियाज के अण्डर जमीन लाये उससे क्या फायदा होता है और क्यों हो रहा है? हिन्दुस्तान की एग्रीकल्चर पर मानसून बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करती है और हिन्दुस्तान की इकनामी एग्रीकल्चर पर है। गौर्या कि इकानामी में जो फलक्चुएशन्स सीजन टू सीजन आती हैं, वह रेन-फाल पर होती हैं। रेनफोल टाइम पर और जरूरत के मुताबिक पड़े तो इकानामी बढ़ेगी और गलत टाइम पर हो जाये तो सारे साल की खेती को बहुत हो नुकसान होता है।

आप हैरान होंगे कि पूरी फसल तैयार खड़ी अप्रैल के महीने में, अगर गड़े (ओले) पड़ जायें, और पीछे पड़ते रहे हैं, तो ऐसी ऊपर से कटाई हो जाती है जैसे किसी ने कैंची से काटा हो। या तो हम इस पर रहें, जो पुराने कर्मों का फल मानते थे कि कोई इनविजिबल ताकत है जो हमारी किस्मत को देखती है, किसान ने खेती तो की लेकिन कर्मों की वजह से वह सारा हो जाता है, लेकिन आजकल एजूकेटेड लोग हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, अब किसान उन बातों में नहीं रह गया है। सबसे बड़ा तरीका है कि डैम्स, जो दरिया है, उनको डैम करें।

ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, जब पं० जवाहरलाल नेहरू जिन्दा थे, तो मुझे याद है कि जब भाखड़ा और हीराकुण्ड डैम बने तो वह पंजाब मे 3, 4 बार भाखड़ा को देखने गये थे। उसका मकसद था कि लोगों को शौक पड़े और इन डैम्स को जल्दी बनाया जाये। अभी और बहुत से दरिया है जिनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, उन पर डैम बनाने चाहियें।

मेरी मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है, उनको पता ही है कि 100 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया था रावी-ब्यास के पानी का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अभी तक हमने उसका कोई फायदा नहीं

उठाया। मुझे याद है 40 करोड़ रुपये की स्कीम बनी थी थीन डैम को बनाने के लिए, लेकिन आज अगर स्कीम बनायें तो 600 करोड़ में बनेगी। मेरी मिनिस्टर साहब से अपील है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया उसकी पालिसी बनाये, इण्टर-स्टेट जो झगड़े (differences) है, उनसे पीछे निबट लेंगे। इतना पानी जो पाकिस्तान को जा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन करें। अगर डैम बनायेंगे तो उससे पावर भी लेंगे। यह जो इससे पावर बनेगी, वह थर्मल प्लान्ट से कहीं बेहतर है और सस्ती भी होती है।

कैनाल्स के जरिए जो इरिगेशन होता है, जो नये साइंस के तरीके हैं, जैसे कनक (गेहूं) की फसल है, उसको जब भी पानी देते हैं अगर 5 बार पानी दे तो वह अच्छी होती है लेकिन अगर 7 बार पानी दे तो बहुत अच्छी होती है। यह जो सब तरीका है पानी देने का तो यह कैनाल के जरिये तो सरफेस वाटर इरिगेशन हो गया। दूसरा तरीका है, अण्डर-ग्राउण्ड वाटर से इरिगेशन का जो ट्यूबवैल के जरिये होता है। ट्यूबवैल से पानी देने में डीजल का भी इस्तेमाल होता है। तो यह सब इंतजाम हमको जरूर करना चाहिए।

सन् 1979–80 मे इरिगेशन के अन्दर 52.9 मिलियन हैक्टर जमीन थी। हमारे मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में कहा था कि 1980–81 मे 2.71 मिलियन हैक्टेयर और इरिगेशन के अन्दर लाना चाहते हैं। उम्मीद है कि वह जवाब मे बतायेंगे कि उसके बारे मे क्या किया गया है ?

फर्टिलाइजर के बारे मे मैं यह बताना चाहती हूं कि ग्रीन रैवोल्यूशन के लिए जैसे–जैसे साइंसदानों ने बताया कि इन-इन चीजों की जरूरत है,

सभापति महोदय मिनिस्टर साहब को प्राइसेज के लिए भी जरा बताइये।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ग्रार : क्राप-प्रोडक्शन के माडर्न सिस्टम मे कैमिकल फर्टिलाइजर सबसे इम्पोर्टेट आइटम है। हिन्दुस्तान मे इण्डीजिनस फर्टिलाइजर इण्डस्ट्री को जितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कुछ वजह से वह उतना नहीं कर सकी है।

मै सरकार को बधाई देती हूं कि उसने बहुत से कैमिकल फ़र्टिलाइजर को इम्पार्ट किया है, हालांकि फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत बढ़ी हुई थी। अगर वह इमपार्ट न करती तो बडी मुश्किल होती और फूडग्रेन्ज की प्रोडक्शन उतनी नही बढ सकता था। यूरिया की कीमत 168 डालर परटन से बढ कर 217 डालर परटन हो गई, और पोटाश की कीमत तो दुगनी हो गई। लेकिन फिर भी सरकार ने फर्टिलाइजर को इमपोर्ट कर के किसानो को राहत दी है। पिछले साल तो 52 लाख टन फर्टिलाइजर इस्तेमाल हुआ। इस साल दस लाख टन और ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है।

मै फिर पंजाब की तरफ आती हूं। मैंने अभी बताया है कि पंजाब 108 किलोग्राम पर हैक्टर फर्टिलाइजर यूज करता है। इस वक्त पंजाब मे जो फ़र्टिलाइजर फ़ैक्टरियां है, नगल और भटिंडा में, लेकिन वे काफी नही हैं। इसलिए अगर पंजाब को एक और फ़र्टिलाइजर फ़ैक्टरी दी जाये, तो हमारे किसानों को कुछ

[श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार]

राहत मिल सकती है। वक्त बहुत कम होता है। उसी में सारा फ़र्टिलाइज़र खेतों तक पहुंचाना होता है। इससे किसानों को, और सरकार को भी, मुश्किल पड़ती है। एक तरफ़ फूडग्रेन्ज़ को स्टोर करना होता है और दूसरी तरफ फ़र्टिलाइज़र्ज़ को स्टोर करना होता है। इस लिए अगर पंजाब को एक और फ़र्टिलाइज़र फ़ैक्टरी दे दी जाये, तो हम मिनिस्टर साहब के बहुत शुक्रगुज़ार होंगे।

सारे हिन्दुस्तान में 5,000 ब्लाक्स हैं, जिनमें से 2,900 ब्लाक्स में रेलहैड नहीं हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने यह फ़ैसला किया है कि वह फ़र्टिलाइज़र के मामले में सभी ब्लाक्स को कवर करेगी और इस में जो एक्स्ट्रा ख़र्चा आयेगा, वह सरकार देगी। यह एक बहुत ही अच्छा और अहम फ़ैसला है।

जैसा कि मैंने कहा है, हमारे देश में फ़र्टिलाइज़र की कमज़म्प्शन 1979–80 में 52.6 लाख टन और 1980–81 में 54 लाख टन हुई। उम्मीद है कि 1981–82 में फ़र्टिलाइज़र की कनज़म्प्शन 66 लाख टन होगी। 1984–85 तक 96 लाख टन का टारगेट रखा गया है। ज़ाहिर है कि जितनी फर्टिलाइज़र की कनज़म्प्शन ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा फूडग्रेन्ज़ की प्रोडक्शन होगी।

ह्वीट और राइस के प्रोडक्शन में डीज़ल एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। एक खास पीरियड होता है, जब कि डीज़ल की सप्लाई होनी चाहिए—मई से जुलाई तक। उस वक्त एक तो ह्वीट का थ्रेशिंग होता है और दूसरे, खेतों को चावल के लिए तैयार किया जाता है। मेरी अपील है कि पंजाब को जितना डीज़ल पिछले साल दिया गया उससे 50 परसेंट ज्यादा दिया जाये, क्योंकि इस साल हमारी बिजली की सप्लाई भी कम रहेगी।

श्री रणबीर सिंह (केसरगंज) : यू० पी० के लिए भी कहिए। Punjab has always got a lion's share. Please say some thing for UP also.

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार : जब मैं कोई बात कहती हूं, तो वह सारे हिन्दुस्तान के लिए कहती हूं। लेकिन पंजाब की बात कहना भी ज़रूरी है।

सब से इम्पोर्टेण्ट चीज़ है सर्टिफ़ाइड सीड्ज़। मेरे ख़याल में नैशनल सीड कार्पोरेशन को एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च स्टेशन्ज़ के साथ डायरेक्टली डील करना चाहिए। ह्वीट, पैडी, ज्वार, बाजरा और मेज़ वगैरह की हाई-यील्डिंग वैरायटीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उनका फ़ाउंडेशन सीड और ब्रीडर सीड नहीं होगा, तो सर्टिफ़ाइड सीड कैसे आयेगा। इस बारे में सहूलियत देनी चाहिए। ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च स्टेशंस में जो लेबोरेटरीज हैं उनमें जितनी चीज़ें होती है वह खेतों तक जरूर पहुंचनी चाहिए नहीं तो वहां लेबोरेटरीज़ में ही रह जायेंगी। जब तक उन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।

मैं तो यह कहती हूं कि जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी सीड है वह प्रोडक्शन के लिए कुंजी है। 1980–81 में 25 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूट किया है, पिछले साल से 80 परसेंट ज्यादा दिया है। तो इस के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार पूरा ध्यान इस के

ऊपर दे रही है । 81–82 में 32 लाख क्विंटल रखा है और सिक्स्थ प्लान के अन्त में 52 लाख क्विंटल रखा है ।

अब रह गई प्लाण्ट प्रोटेक्शन की बात । इस के बगैर भी गुजारा नहीं होता । अगर आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते तो ऐसी बीमारी लगती है कि खड़ी की खड़ी फसल तबाह हो जाती है । इस के लिए सरकार ने एरियल और ग्राउण्ड स्प्रे 12 लाख हैक्टेयर्स के ऊपर किया है । टोटल कास्ट 80–81 में लगभग 213 लाख रुपये इस की रही है । 79–80 में सिर्फ 153 लाख ही यह कास्ट रही है ।

इन्होंने इण्टरनेशनल बोर्डर पर जो कोरंटाइन स्टेशन खोले हैं वह भी बहुत अच्छी बात है और एक इन्होंने माडल पोस्ट कोरण्टाइन स्टेशन खोला है जो अपनी मिसाल अपने आप में है ।

फसल आ जाने के बाद उस के लिए स्टोर की फैसिलिटी की जरूरत है। एफ सी आई और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के बहुत से गोडाउन्स हैं । इन को चाहिए कि फार्म गोडाउन्स चीप रखें और वह डैम्प-प्रूफ ऐंड इन्सेक्ट फ्री भी होने चाहिए । आप ने देखा होगा कि खुली मंडियों में नीचे कुछ क्रेट वगैरह रख कर उसके ऊपर ह्वीट रखते हैं और उस के ऊपर काला कपड़ा देकर स्टोर करते हैं जिससे 25 परसेंट क्राप वेस्ट हो जाया करती है । स्टोरेज ठीक न होने की वजह से 25 परसेंट क्राप इस तरह नुकसान हो जाती है ।

कंसालिडेशन आफ होल्डिंग बहुत पार्ट प्ले करती है किसान की बेहतरी के लिये । पंजाब, हरयाना और यू० पी० का कुछ हिस्सा है जिस में कंसालिडेशन आफ होल्डिंग है । लेकिन मुझे मौका मिला उड़ीसा की स्टेट देखने का, उस में अभी तक कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स नहीं है । मेरी अपील है कि बाकी स्टेट्स के चीफ़ मिनिस्टर्स के ऊपर भी आप जोर दें कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स होना बहुत जरूरी है, उस के बगैर वे कुछ नहीं कर सकते ।

कुछ थोड़ी सी बात मैं ऐग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए कहना चाहती हूं । आप ने टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रखा है 2550 करोड़ रुपये और शार्ट टर्म क्रेडिट रखा है 1750 करोड़ रुपये । मुझे बड़ी खुशी है कि सिक्स्थ प्लान में इन्होंने उसे चार हजार करोड़ रुपये के तकरीबन रखा है और कोआपरेटिव बैंक्स, कामर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के जरिए इसे देंगे । ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं अभी तक ये सुविधाएं इस में उन लोगों को हैं लेकिन जिन लोगों को लेना है उन को भी किसी न किसी तरह से एक्सटेंशन वर्कर्स यह बताएं कि किस तरीके से और कैसे उन को क्रेडिट मिल सकता है । इस का ज्यादातर फायदा वीकर सेक्शन को होगा ।

अब सब से अहम बात है ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग की । किसान की आमदनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस की खास अहमियत है । आप को पता ही है कि जब फसल होती है तो सपोर्ट प्राइस दी जाती है । लेकिन अकसर क्या होता है कि जब हार्वेस्ट होती है तो उस वक्त कीमत बहुत कम मिलती है क्योंकि फसल ज्यादा होती है । उस वक्त मंडियों में लोग तैयार बैठे होते हैं । किसान बेचारा गरीब होता है अपनी फसल ले कर वहां

[श्रीमती गुरबिन्दर कौर ग्रार]

जाता है क्योंकि उस की सीजनल आमदनी है। नवम्बर में वह कनक बोता है और अप्रैल में जा कर कटता है। अप्रैल में पैसा उस के घर आएगा। मैं आगे चल कर बताऊंगी कि कैसे इस सीजनल आमदनी को डेली आमदनी के साथ लिंक करना चाहिए। टाइम मैगजीन में मैंने पढ़ा था, अमेरिकन फार्मर्स के बारे मे उस में लिखा है, वह कहते है कि हम अपनी फसल होलसेल प्राइस में बेचते हैं और इनपुट्स रिटेल प्राइस पर लेते हैं और फ्रेट हमें दोनों का देना पड़ता है। यही हालत हिन्दुस्तान के किसानों की है।

जैसे एफ सी आई चावल और गेहूं खरीदती है और काटन कारपोरेशन काटन खरीदता है ऐसे ही बाकी जिन्सों का भी कुछ न कुछ करना चाहिए।

एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन के बारे में पहले और साथी भी बोल चुके हैं। मैं भी कहती हूं कि यह स्टैट्यूटरी बाडी है लेकिन यह जो कीमतें मुकर्रर करती है वह एस्टीमेटेड कास्ट आफ प्रोडक्शन पर करती है पर जो रिस्क आफ प्रोडक्शन होता है, जो फ्लक्चूएशन होता है सीजन टु सीजन उसको ध्यान मे नहीं लिया जाता है। इसको भी ध्यान मे लेना बहुत जरूरी है। साथ ही इसमें फार्मर्स को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। इम्प्लेशनरी सिच्युएशन में मेरी आपसे अपील है कि सेक्टरल इम्बैलेन्सेज नही होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी कीमतें तो बहुत चढ़ जायें और दूसरी तरफ गेहूं या दूसरी जिन्सों की जो कीमतें हैं वह कम हो जायें इसका नतीजा यह होगा कि एग्रीकल्चर की इनकम इण्डस्ट्री मे चली जायेगी और उससे स्टेगनेशन होगा। जब किसानों को अच्छी कीमतें नहीं मिलेंगी, उनको इंसेन्टिव प्राइस नहीं मिलेगी तो उससे स्टेगनेशन ही होगा। इसलिए इसको बचाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि ओनियन, पोटैटो और वेजिटेबल जैसी चीजें बेचने के लिए जब किसान जाता है तो उसको बहुत कम कीमत मिलती है लेकिन शहरों के कंज्यूमर्स जब उन चीजों को लेते हैं, हम सभी खरीदतें हैं, तब उनको कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। यह जो एक बहुत बड़ा फर्क है कीमतों में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच इसको कम करना चाहिए ताकि दोनों को, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को राहत मिल सके। इसके लिए आर्डरली मार्केटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, थ्रू इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन साथ ही स्टोरेज और प्रोसेसिंग के अच्छे तरीके अपनाए जाने चाहिए।

नान-पेरिशेबल आइटम्स की कीमते भी कभी कभी बहुत ज्यादा गिर जाती है। जैसे कि हमने 1979–80 में देखा था कि आलू की कीमतें कितनी गिर गई थीं। मुझे जालंधर से अमृतसर जाने का मौका मिला था तो रास्ते मे मैंने देखा कि एक किसान का बेटा और किसान खुद आलू के खेत में खड़े थे। जब रात को हम वापिस आए तब फिर हमने देखा कि वे गैस जला कर बैठे थे तो हमें हैरानगी हुई और हमने उनसे पूछा कि जब आलू को कोई चाहता नहीं, फिर आप इसकी रखवाली के लिए क्यों बैठे है तब उसने कहा कि साथ वाले किसान ने भी अपने आलू खोदे हैं कहीं वह भी हमारे यहां ढेर न कर जाये। तो उस वक्त ऐसी हालत पोटैटो की हो गई थी। नरमा काटन की हालत इसी तरह की थी। प्राइम मिनिस्टर ने भी

अपनी स्पीच में कहा था कि मुक्तसर मण्डी में स्नो की तरह से नरमा पड़ी हुई है। 250 रुपये तक कीमतें गिर गई थी। लेकिन इस साल कीमतें अच्छी हैं और मुझे खुशी है कि किसानों को कुछ राहत मिली है। (व्यवधान)

साल में एक मर्तबा बोलती हूं उसमें भी आप घण्टी बजाते हैं।

सभापति महोदय : आपको 22 मिनट दिए हैं, अभी और भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर बार : आप इंश्योरेन्स का भी कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि जो रिस्क इंवाल्ड है उससे किसान को कुछ राहत मिल सके।

गेहूं की प्राइसेज के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। यहां पर जो चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स हुई थी उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर ने गेहूं की सपोर्ट प्राइस 142 रुपये मांगी थी। उन्होंने लुधियाना युनिवर्सिटी से मिल कर पांच तरह से देखकर यह मांग रखी थी। एक तो कास्ट आफ कल्टिवेशन की बेसिस पर, दूसरे न्यूट्स की प्राइस इंडेक्स की बेसिस पर, तीसरे कंज्यूमर प्राइस इण्डेक्स की बेसिस पर, चौथे कंपेरीजन विद् प्राइसेज आफ अदर एग्रीकल्चरल प्रोडयूस की बेसिस पर और पांचवें कंपेरीजन विद् प्राइसेज आफ इण्डस्ट्रियल गुडस की बेसिस पर। इस तरह से उन्होंने 142 रुपये सपोर्ट प्राइस बिल्कुल सही मांगी थी। आप देखें कि लेबर में 47 की इंक्रीज हो गई, डीजल में 1.77 की इंक्रीज हो गई, फर्टिलाइजर में 1.70 की इंक्रीज हो गई। ट्रांसपोर्ट में 7.94 की इंक्रीज हो गई। इस तरह से टोटल 10.94 बन जाता है। ऐसी हालत में उनकी डिमाण्ड बिल्कुल जस्टिफाइड है और मेरा खयाल है मिनिस्टर साहब उस पर गौर करेंगे।

कॉटन की प्राइसेज तो आपको पता है पहले से बेहतर है लेकिन इनको और भी बढ़ाना चाहिए। हमारे मुल्क में जैसा आप कह रहे थे, शार्ट, मीडियम और लांग स्टैपल नरमा में हमारी सेल्फ-सफीसिएन्सी है, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और कर रहे हैं।

शुगरकेन के बारे में बहुत से लोग बोले हैं, मैं भी कुछ बोलना चाहती थी क्योंकि यह जो स्वीटिंग एजेण्ट है उसका असर सबके ऊपर पड़ता है।

समय कम होने की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं। लैण्डलैस आदमियों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो ग़रीब लोग होते हैं, वे गांवों से उठ कर शहरों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से गांवों में आबादी कम होने लगी है और इधर ज्यादा होने लगी है। उनके लिए भी एक बात कहना चाहती हूं कि इण्डस्ट्रीज आफ-दी लैंडलैस यानि कैटल और डेयरी-फार्मिंग। मेरा ऐसा ख्याल है कि वहां कोई ऐसा इन्सान नहीं होगा जिसको केटल रखने और डेयरी करने का पता न हो। इस बारे में आपको मैं दो-तीन सुझाव देना चाहती हूं—डेयरी इण्डस्ट्रीज को प्रोटैक्शन देना चाहिए, ट्रांसप्लाण्ट आफ ओवा के जरिए हम कैटल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनको हमें हाई-यील्डिंग वैराइटी आफ बफैलोज देनी चाहिए। जहां-जहां पर मिल्क-बैल्ट्स हैं, वहां पर बिलिंग सैन्टर्स, मोबाइल मिल्क कूलिंग यूनिट्स स्थापित करने चाहिए। ओवर

[श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार]

से डायरेक्ट खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए और उनको डेली वेजिज मिलनी चाहिए, ताकि उनकी जो रोज की ग़रीबी है, वह पूरी हो सके ।

क्रेडिट कैश की बजाय उनको हाई-यील्डिंग वैरायटी आफ बकैलोज, मिलनी चाहिए । क्रास-ब्रीड कैटल हाईकर्स, दूध को ले जाने के लिए साईकिल की व्यवस्था होनी चाहिए, कैटल फीड और क्वालिटी फीडर, वैटरनिटी कवर्स, आर्टि-फिशियल इन्सैमिनेशन सुविधायें तथा साउण्ड एण्ड वैल प्लाण्ड मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । पंजाब के फरीद-कोट और फिरोजपुर जिले में 11 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन होता है । वहां पर और ज्यादा मैन्टर्स खुलवाइए । वह केवल लोकल मार्केट में नहीं बल्कि सकेयर-सिटी एरियाज में भी होने चाहिए । वहां के दूध से हाइजैनिक स्टरलाइज्ड मिल्क, चीज, माल्टेड मिल्क और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम बहुत ही जरूरी है । हाइजैनिक स्टरलाइज्ड मिल्क हम उनको दे सकते है । इस इण्डस्ट्रीज पर पूरा ध्यान देना चाहिए ।

अन्त मे मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री देवी लाल (सोनीपत) : चेयरमैन साहब, आज एक ऐसे वक्त में हम एग्रीकल्चर डिमाण्ड्स पर डिसकशन कर रहे हैं जब कि चेयर पर भी एक एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हैं और मुझ से पहले भी बहन श्रीमती गुरबिन्दर कौर बोल चुकी हैं और हमारे मिनिस्टर साहब, राव बीरेन्द्र सिंह भी एग्रीकल्चरिस्ट है । इन हालात में जब कि चारों तरफ किसानों की रैलियां होती रही हैं । इन रैलियों के होने का कारण क्या था कि किसान बड़ा परेशान था, उसे अपनी पैदावार का कांस्ट-आफ प्रोडक्शन के हिसाब से मूल्य नहीं मिलता था । महंगाई बढ़ती जा रही थी । चारों तरफ से डीजल नहीं मिलता था, सीमेंट नहीं मिलता था । इन कारणों की वजह से अपोजीशन को भी जिन दिनों रूलिंग पार्टी में थी, किसान रैली करनी पड़ी, 23 दिसम्बर 1978 को और उसके बाद हमारी प्रधान मंत्री साहिबा, बहन श्रीमती इंदिरा गांधी की भी 16 जनवरी को रैली करनी पड़ी । 16 जनवरी को रैली को सम्बो-धित करते हुए बहन इंदिरा गांधी ने कहा था कि—

"Kisans of India, my life is for you; if need be, I shall irrigate your field with my blood. But asking for fair price is too much."

यह एक नया तरीका निकला है कि पानी से खेती नहीं होती, बिजली से खेती नहीं होती, खून से सींचना शुरू किया है । उस में यह भी कहा गया है कि प्राइस मत मांगो ।

इस सम्बन्ध में मैं थोड़े से फैक्ट्स-एण्ड फिगर्स बतलाना चाहता हूं । आपका 73784 करोड़ 98 लाख 9 हजार रुपये-का कुल बजट है, जिस में से एग्रीकल्चर पर आप 1510 हजार करोड़ 60 लाख 29 हजार रुपये खर्च करने जा रहे हैं । मैंने इस की एवरेज निकलवाई थी— मेरे एक तरफ़ एक प्रोफेसर बैठे थे और दूसरी तरफ बी0 एल0 डी0 के एक लीडर बैठे थे । एक ने एग्रीकल्चर पर सारे बजट का 2.4 परसेन्ट निकाला, लेकिन दूसरे ने 6.4 परसेन्ट निकाला । मैं तो, चेयरमैन साहब, एक साधारण किसान हूं, परसेन्टेज को ज्यादा नहीं समझता हू, लेकिन इस से ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है । बहिन इन्दिरा के कहने के मुताबिक तीव-

चौथाई आबादी खेती पर निर्भर करती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों ने बड़ी मेहनत की है, सारे देश की रक्षा की है, अनाज की पैदावार तीन-गुना बढ़ा दी है, गन्ने की पैदावार तीन गुना बढ़ा दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैदावार बढ़ी नहीं है, दिन-ब-दिन घटती जा रही है। अगर आप कुल पैदावार का हिसाब समझना चाहें तो वह भी 2.2 परसेन्ट है। हमारे यहां कुल भूमि 30 करोड़ 40 लाख 90 हजार हैक्टेयर है जिस में से 1187 करोड़ हैक्टेयर भूमि में उपज हुई है और जो अभी तक खाली पड़ी है— वह है—16 करोड़ 38 लाख 52 हजार हैक्टेयर जो काबिले काश्त है, लेकिन उस में खेती नहीं कर सके हैं। जो इरिगेटेड लैण्ड है— वह भी 24 परसेन्ट है, बाकी ऐसी ही पड़ी है। इण्डस्ट्रीज पर यह सरकार बेतहाशा खर्च कर रही है, लेकिन खेती पर खर्च नहीं करना चाहती।

मैं आप को यह भी बतला दूं कि भाखड़ा पर 236 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जब कि राजस्थान कैनाल पर 331 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अभी 18-3-1981 को हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर राव बीरेन्द्र सिंह ने बतलाया कि अभी इस पर 450 करोड़ रुपये और खर्च होंगे। अगर हम इस को मान लेते हैं तो हमारी सरकार 686 करोड़ रुपये कुल मिला कर इस पर खर्च करने जा रही है, जब कि यह काम 1947 से हो रहा है। राजस्थान कनाल देश की सब से बड़ी योजना है। भाखड़ा कैनाल जिस ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का नकशा बदल दिया उस पर वे राजस्थान कैनाल पर तो 686 करोड़ रुपया खर्च किया है, जब कि अगले साल हमारे देश में जो एशियन गेम्ज होने वाले हैं उन पर यह सरकार 700 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है, बल्कि जो नये एस्टोमेड्स बने हैं उनके मुताबिक 1 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे— ये खेल दो हफ्ते के लिए होंगे जिन पर इतनी रकम खर्च होगी। हमारे किसानों की खून-पसीने की कमाई को सरकार इस तरह से खर्च करने जा रही है। अभी तक ये गेम्ज बाहर होते रहे हैं, जिन में हमारे खिलाड़ी जाते रहे हैं, लेकिन, चेयरमैन साहब, अभी तक कोई गोल्ड-मैडल नहीं मिला, कोई सिल्वर मैडल नहीं मिला, अब दुनिया को यहां बुला कर कहेंगे कि देख लो हमारी यह औकात है। अगर इस रकम को इस तरह से बरबाद न कर के किसानों पर खर्च किया जाता तो हमारे देश की पैदावार बढ़ती, हमारे देश के नौजवानों को खेल-कूद में ट्रेनिंग दी जाती तो वे एक्सपर्ट होकर निकलते और मुकाबले में खड़े हो सकते— लेकिन इस सरकार ने उस तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया।

हमारी सरकार कहती है कि देश की पैदावार बढ़ी है, जब कि सच्चाई यह है कि पैदावार फ़ी-एकड़ घटी है, कैश-क्राप्स में भी फ़ी-एकड़ घटी है। सिर्फ गेहूं में 57 किलोग्राम 12 साल के अर्से में बढ़ी है। ज्वार की पैदावार 59 किलोग्राम फ़ी-एकड़ घटी है। पिछले दस सालों में पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सारा रा-मैटीरियल हमारे खेतों से निकलता है, लेकिन उस के बावजूद भी खेती की पैदावार को इगनोर किया जा रहा है। अगर मैं सारी बातों में जाने की कोशिश करूं तो शायद आप उतना वक्त नहीं देंगे। आप की मेहरबानी से इस वक्त थोड़ा टाइम मिल गया है, इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उस पर सरकार फौरन ध्यान दे।

[श्री देवी लाल]

हमारा रावी-व्यास का झगड़ा पिछले 8 सालों से चल रहा है। हर साल एक सौ करोड रुपये का नुकसान होता जा रहा है, पानी पाकिस्तान मे जा रहा है। अभी बहन गुरबिन्दर कौर ने भी इस के बारे में कहा है। यह जो हमारा आपसदारी का डिस्प्यूट है इस को खत्म नहीं किया जा रहा है। हम हरियाणा वाले 121 करोड रुपया इस पर खर्च कर चुके हैं, 20 करोड़ रुपया खर्च कर के जो हमारे हिस्से मे नहर आती है उस को कंम्प्लीट कर दिया है, लाइनिंग हो गई है, लेकिन पंजाब के अन्दर अभी कम्पलीट नही हुई है ....

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बिरेन्द्र सिंह): आप जब चीफ मिनिस्टर थे, तब आप ने क्या किया ?

श्री देवी लाल : उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब दूगा। अभी बतलाता हू, थोड़ा खामोश रहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : चौधरी साहब, बतलायेंगे कि उन्होंने अपने वक्त मे क्या किया ?

श्री देवी लाल : बकायदा तारीखवार बतलाऊगा।

18 अप्रैल 1978 को मैंने सरदार प्रकाश सिंह बादल को खत लिखा, और उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो किसानो के बड़े हमदर्द थे, श्री मोरारजी देसाई, उन को भी मैंने लिखा था और बादल साहब ने मुझसे वायदा किया था कि बहुत जल्दी यह फंक्शन हम करेंगे और उस का उद्घाटन मैं करूंगा और आप उसे प्राजाइड करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने हमारे मेहरबान प्राइम-मिनिस्टर की वजह से कि वह बात वहीं की वहीं रह गई। उस के बाद 20-6-78 को मैंने बादल साहब को फिर याद दिलाया और उन से कहा कि मैंने आप के भरोसे हाऊस में यह एलान कर दिया है कि ओपनिंग सेरेमनी बादल साहब करेंगे और कोई मुश्किल है तो हमें बताइए ताकि काम जल्दी से शुरू किया जाए और हम इस बात के लिए तैयार रहे कि हमारी नहर मार्च, 1979 तक मुकमल हो जाएगी। उस के बाद मैंने बरनाला साहब को 26 जुलाई को लिखा कि पंजाब सरकार अभी बहानेबाजी कर रही है और सेण्टर अपने जिम्मे यह काम ले और इस का फैसला करावे। उसके बाद 31 जुलाई, 1979 को देसाई जी को लिखा अब बरनाला साहब की जगह पर राव बीरेन्द्र सिंह राव जी बैठे हुए है। उस वक्त तो अकाली चीफ मिनिस्टर था और बी० के० डी० का चीफ मिनिस्टर था और जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था लेकिन अब तो काग्रेस के दोनों सूबों मे चीज मिनिस्टर है, काग्रेस का सेण्ट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और काग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर है। मै समझता हू कि राव साहब इस तरफ ध्यान देंगे। मै आप को याद दिलाता हूं कि राव साहब आप यह कहा करते थे कि बादाम के भाव गेहू बिकवाऊगा। आज बादाम के भाव की बात तो जाने दीजिए, वे कितने ऊचे है, आज 15 सालों मे 105 रुपये से 117 रुपये क्वींटल गेहूं बिकवाई गई है। मक्की के भाव जब काफ़ी बढ़ गये थे, जिस के लिए एक चर्चा हमारे इलाके में चली थी, 'गयो राव, गयो भाव'। जब गेहूं का 115 रुपये भाव था, तो मैंने राव साहब से कहा था कि थोड़ी हिम्मत कर जाओ और भाव बढ़वाओ। तो उन्होंने कहा था, चौधरी

साहब, कर तो रहा हूं लेकिन पेश नहीं जाती। 115 से 117 रुपये क्वींटल भाव कर दिया है।

राव विरेन्द्र सिंह : हम ने 130 रुपये प्रति क्वींटल गेहूं का भाव कर दिया है।

श्री देवी लाल : मैं आप को सतलुज-व्यास के बारे में बताना चाह रहा हूं। फरवरी, 1966 में पं० श्रीराम शर्मा एक कमेटी के चेयरमैन थे और उस कमेटी में फाइनेन्स कमिश्नर और चीफ़ इंजीनियर वगैरह सारे शामिल थे। उन्होंने रिपोर्ट की थी कि 3.5 एम0 ए0 एफ पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। उस के बाद एक मित्रा कमेटी बनी थी, जिस में महाराष्ट्र, तमिलनाडू और यू० पी० के चीफ़ इंजीनियर शामिल थे। उन्होंने भी हमारे हक में रिपोर्ट दी थी और 3.8 एम0 ए0 एफ का फ़ैसला दिया था फरवरी 1971 में। उस के बाद श्री डी० पी० धर डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन ने 3.74 एम० ए० एफ का मार्च, 1973 से फ़ैसला किया था और उस के बाद 24 मार्च, 1976 को भारत सरकार ने यह 3.5 एम0 ए0 एफ0 का फ़ैसला किया है लेकिन उस फ़ैसले को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके और पानी जाया जा रहा है। 121 करोड़ रुपये हम लिफ्ट इर्रीगेशन में खर्च कर चुके हैं और यह सोचा था कि जब पानी आएगा तो बेकार पड़ी हुई और बंजर जमीन में वह पानी लगेगा। 20 करोड़ रुपया हम लगा चुके हैं, हमारा जो पोर्शन है 92 किलोमीटर का, उस में लाइनें पुख्ता करा दी हैं लेकिन पंजाब के अन्दर सिर्फ 4 एकड़ जमीन एक्वायर करने का हुक्म दिया था मेरे वक्त में और मुझ से यह कहा जाता है कि बादल साहब से दोस्ती की वजह से यह पानी भेज दिया। मैं कहता हूं कि अब आप पानी तो ले लो उनसे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में अभी आप को बहुत कुछ करना है।

इसी तरह से एक और इन की लापरवाही मैं बता दूं। राजस्थान केनाल 204 मील लम्बी है और 167 मील वह पंजाब और हरियाणा में पड़ती है लेकिन 37 मील जो राजस्थान में है, वह मुख्य नहर अभी तक उन से तैयार नहीं हो पाई है और पीछे वक्तों में जब इसकी प्लानिंग हुई थी, उस वक्त 175 करोड़ रुपये की इसकी प्लानिंग थी। अब बढ़ते-बढ़ते, जैसा कि राव वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है, अभी पिछली 18 मार्च, को कहा है, यह 1975–76 तक नहर तैयार नहीं हुई, यह नहर अब 1985 और 86 में तैयार होगी और इस पर 450 करोड़ रुपया लगेगा। सरकार इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे रही है। एक रावीव्यास लिंक है और उधर राजस्थान केनाल है। यह राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, बिकानेर, जेसलमेर, बाड़मेर के इलाके को और उधर श्री गंगानगर के इलाके को सिंचित करने वाली है, इस से यह सारा का सारा इलाका फायदा उठाने वाला है। सरकार इधर ध्यान दे।

चेयरमैन साहब, इनकी प्लानिंग ऐसी है कि एक ऐसा वक्त आया कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए कोयले की सप्लाई नहीं कर सके। कोयला न मिलने की वजह से वहां सारा का सारा काम रुका रहा और वहां 79–80 से एक स्टेज

[श्री देवी लाल]

ऐसी आयी कि जिसमें इस प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट नहीं मिला । ये सीमेंट सप्लाई नहीं कर सके । मैं आपको बताता हूं कि यहां एशियाई गेम्ज के लिए सीमेंट भी आ रहा है और कोयला भी आ रहा है और वहां खर्च हो रहा है और पूरी तैयारियां की जा रहीं है ।

चेयरमेन साहब, मैं आपकी मारफत इन से अर्ज करना चाहता हूं कि ये दो ऐसे प्रोजेक्ट है अगर आप इनको जल्दी से तैयार कर दें तो इन से हिन्दुस्तान की न केवल अनाज की समस्या ही हल होगी, बल्कि मुल्क की दूसरी समस्याएं भी हल होंगी । मैं आपको बताता हूं कि जब शाह आफ ईरान यहां आ कर गये तो श्री जैड० ए० भुट्टो ने उनसे कहा था कि इस नहर के लिए कोई मदद न दी जाए क्योंकि अगर यह बन गई तो हमारे लिए यह बहुत खतरनाक होगी । एक तो यह हिन्दुस्तान को खुशहाल करेगी और दूसरे उनके लिए यह डिफेंस मेगिनाट लाइन भी साबित होगी । इसलिए मैं इन से अर्ज करूंगा कि अगर आप राम भरोसे बैठे रहे तो राम भरोसे तो कुछ नहीं होगा । इस से देश का कोई मसला हल नहीं होगा । अभी जनरल जिया-उल-हक ने भी यह कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि यह नहर कम्प्लीट न हो । इसलिए मैं आपकी मारफत इनसे अर्ज करना चाहता हूं कि जहां आप इस से अनाज की पैदावार बढ़ायेंगे, देश को खुशहाल बनायेंगे वहां आप देश की डिफेंस को भी मजबूत करेंगे ।

चेयरमेन साहब, इनकी लापरवाही के सिलसिले में मैं अगर ज्यादा बताऊं तो मुनासिब नहीं है । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को 1 लाख 67 हजार 6 सौ मी० टन कोयले की मदद की जरूरत थी जिसके मुकाबले में ये केवल 17 हजार 335 मीट्रिक टन कोयल दे पाये हैं । यह इतना बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है उसके लिए आपकी सरकार इतना कोयला दे पाई है । इस प्रोजेक्ट को जहां 1 लाख 27 हजार टन सीमेंट की सप्लाई की जानी थी वहां अब तक 60 हजार टन सीमेंट ही दे पाये है । यही बात इस पर होने वाले खर्च के बारे में है । 1979-80 में जहां इसके लिए 31 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे वहां उसके मुकाबले में 21 करोड़ रुपये खर्च हुए । बाकी रुपया लेप्स हो गया । किसी तरह से पैसा मंजूर किया था लेकिन लेकिन उसको पूरा ये खर्च नहीं कर पाये । मैं इन सारी बातों के साथ-साथ आपसे यह भी दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए ।

जब आप एग्रीकल्चर पर जोर दें और इस बात पर जोर दें कि पैदावार बढ़े वहां आप एग्रीकल्चर पर Remunerative price के हिसाब से कास्ट आफ प्रोडक्शन को भी देखें । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से मसला काफी हद तक हल हो सकता है ।

इसके साथ-साथ किसान कर्जे से बुरी तरह से दबा हुआ है । वे कर्जे से माफी चाहते हैं । दो सौ हाड़े उद्योगपति घरों को एक एक हजार करोड़ माफ कर दिया लेकिन करोड़ों घर जो कि पांच एकड़ से भी नीचे के होंगे, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है । जब कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सरकारों ने कर्जा माफ कर दिया है और जब राव बीरेन्द्र सिंह वहां गये तो इन्होंने कहा कि अगर कर्जा माफ कर देंगे तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी । गर्दन अकड़ा कर के बोले । (व्यवधान)

कर्जे के साथ साथ आपको बेटरमेंट लेवी माफ करनी चाहिए। जब आप कारखाने लगाते हो तो उनके लिए सड़क बनाते हो, लाइन बिछाते हो, पानी, बिजली देते हो, पूरी तैयारी उनके लिए करते हो और हमारे लिए नहर के पानी को लाते हो वाटर कोर्स की लाइनिंग करते हो।

14.00 Hrs.

लाइनिंग सरकार को अपने खर्च पर तैयार करनी चाहिए न कि किसान से लेकर और बैटरमेंट लेवी माफ की जानी चाहिए।

इसी तरह से काम के बदले अनाज स्कीम में कम से कम 300 करोड़ तो खर्च कर दें। 1 हजार करोड़ रुपये एशियाई गेम्ज़ के बाद में कर देना है। अभी लोग भूखे मर रहे हैं। पहले बरनाला साहब के समय में यह स्कीम थी, लेकिन आज सारी स्कीम बदल गई है, सारा रुपया ऊपर ही ऊपर खत्म हो जाता है। इसके साथ-साथ लोगों को जरूरियात की चीजें उपलब्ध नहीं हैं। हमको 14 फीसदी डीजल मिलता है, 15 फीसदी बिजली मिलती है, कर्जा 11 फीसदी मिलता है सीमेंट मिलती ही नहीं। हमें हमारी जरूरत के मुताबिक और आबादी के हिसाब से ये चीजें मिलनी चाहिएं।

मैं राव साहब को अन्त में एक बात बताना चाहता हूं कि आप यूं ही मत बठे रहना, हम खामोश नहीं बैठेंगे, 117 रुपये से तसल्ली नहीं होगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : अब तो 130 रुपये हैं।

श्री देवी लाल : 130 रुपये जो है वह एजीटेशन से है, आपकी बदौलत नहीं है। गन्ना 30 रुपये एजीटेशन से है। गन्ना 5 से चला था, 5 से 7 हुआ, फिर 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, फिर साढ़े 12 हुआ, 13 हुआ आपने तो कहा था 13 रु० क्विंटल से अधिक गन्ने का भाव नहीं बढ़ेगा फिर भी 16 हुआ, फिर 20 हुआ, 23 हुआ इसके बाद 28 हुआ। किसानों में जागृति आ गई है। हमने 165 रुपये गेहूं का भाव मांगा है। आप याद रखें कि किसान अब जाग गया है, वह किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें जागृति आ गई है और जहां-जहां आप जाएंगे, आपके घेराव होंगे। कहीं-कहीं तो 231 रुपये क्विंटल मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ 165 में ही पीछा छोड़ देंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो याद रखिए कि 1 करोड़ किसान गिरफ्तारी देंगे। आप यहां बैठे हैं तो कांग्रेस की वजह से नहीं बैठे है। कांग्रेस वही है। इनको रिवाड़ी से असेंबली का टिकट नहीं दिया था। ज्ञानी जैल सिंह को भटिंडा से टिकट नहीं दिया था। मैं उस समय प्रेसीडेंट था कांग्रेस का, ज्ञानी जी कहते थे कि भटिंडा से टिकट दिला दीजिए, मैंने पूछा कि आप तो सिधवा गांव, जिला फरीदाकोट के हैं वहां से क्यों नहीं खड़े होते तो ज्ञानी जी कहते थे कि वहां तो अकालियों का जोर है, हार जाऊंगे यहां पर लाले बसते हैं दांव लग जाएगा। इधर राव साहब को सिंघारी से भी टिकट नहीं मिला था और मुझे सरसा से टिकट नहीं मिला था। मुझ में तो हिम्मत थी लड़कर आ गया लेकिन इनमें हिम्मत नहीं थी तो घर बैठ गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो आप लोग बैठे हैं चरण सिंह की बदौलत बैठे हैं। 23 दिसम्बर, 1978 को किसान रैली पर जो 30 लाख का मजमा इकट्ठा हुआ था, उसको देख कर कांग्रेस के बागड़ी साहिब से पूछिए कि कितने पुराने सेठ चुप कर आए है। सभी तरफ किसान ही किसान

[श्री देवी लाल]

सदस्य बैठे हैं। लोग डर गए, सेठ लोग डर गए और इंदिरा जी भी डर गई। इसलिए याद रखिए कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट की मांगों को नामंजूर किया गया तो लोगों में एक ख्याल आएगा, वे सोचेंगे कि पूंजीपति तो गये, ये पूंजीपतियो के एजेण्ट हैं, अब इन्हें मारो। इसलिए मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि इनकी तरफ ध्यान दें। स्पीकर साहिब, वक्त देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री रणबीर सिंह (कैसरगंज) : मैं कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कृषि मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके छोटे से शासनकाल में हमारा देश एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। चाहे देवी लाल जी हों या चौ० चरण सिंह जी, यह जान लें कि आपके तत्वावधान मे आज हिन्दुस्तान कृषि उत्पादन के क्षेत्र मे सारे रिकार्ड तोड़ने जा रहा है। प्रकृति का वरद हस्त कृषि मंत्री जी के ऊपर है। किसान को परिस्थितियों से उबारने के लिए, खाली पड़े इस कोष को भरने के लिए, आसमान चूमती हुई कीमतों को फिर से धरती पर लाने के लिए और इस शताब्दी का जो सब से बड़ा और भीषण अकाल था उससे देश को बचाने के लिए और क्षतिग्रस्त अर्थतंत्र को फिर से व्यवस्थित करने के लिए आपको प्रकृति से सहायता मिल रही है। पिछली बार जब मैं सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तब सोच रहा था कि जो पोर्टफोलियो आपको मिला है उसके बारे में कहना चाहिए कि वह आपके लिए ग्रेवयार्ड आफ रेपुटेशन साबित हो सकता है। लेकिन आज आपके कुशल प्रशासन के बाद मैं सोचता हूं कि जो काम आपने वास्तव में किया है उससे आपने इस पोर्टफोलियो को, इस विभाग को एक महान गर्व और गौरव प्रदान किया है। सुनहरी फसल सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए लहलहा रही है। किसान आज हसिया ले कर हृदय में अभाव की भावनायें लिए हुए जरूर है और उसके मस्तक पर कुछ पसीने की बूंदें जरूर हैं लेकिन उसके हृदय में अदम्य उत्साह है और देश की तमाम समस्याओं के निदान के लिए वह आपकी बगल मे खड़ा है।

चौ० देवी लाल जी पिछली सरकार की जो गलत नीतियां थीं उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। उन गलत नीतियों ने सारे राष्ट्र की मधुर प्यालियों मे एक जहर घोल दिया था। यह जहर शक्कर की ऊंची कीमतों ने घोला था और इसकी वजह से ऐसा लगता था जैसे शक्कर से मधुरता समाप्त हो गई है। बिचौलिए गगनचुम्बी इमारतों की तरह कीमतों को ऊपर उठा ले गये थे। उनको नीचे लाने के लिए मंत्री जी ने जो कुछ किया है उसकी सराहना किए बिना मै नहीं रह सकता हूं।

बिचौलिए कृषक की मजबूरी, उसके परिश्रम का उपहास उड़ा रहे थे और आप किसान की तरफदारी न करके खाली इस बात में व्यस्त थे कि कैसे उन से अपनी जय बुलवाई जाए। एक दूसरा माइल स्टोन अगर कहा जाए तो यह भी है कि कृषकों में एक महत्वपूर्ण जागरण आया है, एक महान शक्ति के रूप मे वे हमारे राजनीतिक क्षितिज पर छा गए हैं। चौधरी साहब कह रहे थे कि इंदिरा जी ने कहा है कि हम अपना रक्त किसानों को दे सकते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए।

यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि आखिर रक्त का क्या काम है किसानों में। उन्होंने पढ़ा होगा सुभाष जी ने कहा था गिव मी ब्लड एण्ड आई गिव यू फ्रीडम। मेरे खयाल में यह बात भी उनकी समझ में नहीं आई होगी। उस दल में समझ की कितनी कमी है यह इसी से पता चल जाता है जब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने साथियों से प्रतिशत निकलवाया तो कोई दो प्रतिशत और कोई छः प्रतिशत निकाल रहा था? जब इस प्रकार की समझ वाले लोग हैं तो यह बात उनकी समझ में नही आ सकती है, उनकी समझ के के परे की यह बात है।

वह युग समाप्त हो गया है जब आपके नेता किसान से चौथ वसूला करते थे। अपने जन्म दिन के अवसर पर, मध्य-युगीन प्रथा का पालन करते हुए सामन्तों की तरह उन से चौथ देने को कहा करते थे और उन से गिनवाया करते थे कि आप 77 साल के हो गए हैं, इसलिए 77 लाख या 77 करोड़ दो। वह प्रथा समाप्त हो गई है। अब आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उसका उपहास नहीं कर सकते हैं। अब माला हाथ में लिए हुए उसके गले में पहनाने के लिए, उसको प्यार करने के लिए हम खड़े हैं।

श्री देवीलाल : अपने खर्चे पर क्यों लाते हैं?

श्री रण वीर सिंह : यह आप करते होंगे। किसान सामूहिक रूप से खड़ा है। उसको आपकी आवश्यकता नहीं है। बहुत दिन तक आपने उससे जय बुलवा ली है। अब He can very well tell you that he can take you to the burial ground and bury you so deep from where you can never come back. वह जान गया है उसका कौन साथी है और कौन दुश्मन है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक प्रवृत्ति ने जन्म लिया है जिसके बारे में उल्लेख करना चाहता हूं और कृषि मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं ताकि कहीं उस गलतफ़हमी में न आ जायें। हमारे वरिष्ठ संसद जो किसानों से बहुत दूर रहते हैं, माननीय इन्द्रजीत गुप्त, बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा था धनी किसानों को यह आशंका थी कि उन पर भी कर लगाये जायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं किया गया और उनको छोड़ दिया गया। वित्त मंत्री जी बतायें उनको क्यों छोड़ा गया। मैं माननीय इन्द्रजीत गुप्त का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर धनी शब्द से उन्हें एलर्जी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं जानना चाहता हूं क्या उन्हें इस तरह के धनी किसानों का क्षेत्र मालूम है जिन पर मंत्री जी कर लगा सकते हैं, या उनके पास सूची है जिसके आधार पर कर लगाया जा सकता है? उन्हें तो लगता है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली बात ही याद आती है। अंग्रेजी अच्छी बोलने से वह अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आसमान की बात करने से एक अच्छे विचारक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आंकड़े हमेशा भ्रामक और घातक होते हैं, इसलिए मंत्री जी को गुमराह करने की कोशिश न करें, और मंत्री जी कभी इस तरह की बात न सोचें अन्यथा इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं।

एक भूतपूर्व कृषक मसीहा जी थे हमारे यहां उन्होंने एक राजदूत भेजा था अमरीका में और उन्होंने बहुत नीचे

[श्री रण वीर सिंह]

गिर कर अमरीका के देवदूतों की चाटुकारिता की। और जब वह भारत लौट कर आये तो बम्बई के गगन चुम्बी बड़े होटल में बैठ कर उन्होंने बात करनी शुरू की और कहा कि कृषक पवित्र गाय है इसलिए उन पर कर नहीं लगाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषक कभी भी पवित्र गाय नहीं रहा है। पवित्र गाय वह होती है जो मुफ्त का खाती है। कृषक ने हमेशा पसीना बहा कर खाया है और वह खाया है जो राष्ट्र से बचा हो। मैं ऐसे विचारकों से कहना चाहता हूं कि तुम मात्र नन्दी बैल हो जो काम नहीं करते हो और मुफ्त का खाना चाहते हो। इस तरह के विचारक अगर मंत्री जी आपको कहीं मिलें तो आप उनसे ऐसे ही कहें जो मैं कह रहा हूं।

एक बात और है किसी बात को समझने के लिए थोड़ी बुद्धि की जरूरत होती है। अगर बुद्धि नहीं है तो सब खोखला दिखाई देता है। अगर हमारे वरिष्ठ सांसद में कुछ कमी है तो मैं उसको पूरा करने में असमर्थ हूं। जहां तक फ़र्टिलाइजर्स की बात है मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपको तमाम सारे लोग इस बारे में राय दे सकते हैं कि फ़र्टिलाइजर्स का दाम बढ़ना चाहिए, राष्ट्र को चाहे जितना कष्ट भोगना पड़े। लेकिन मेरा निवेदन है कि आपका कदम यह होना चाहिए कि हमारे इनपुट्स के दाम नहीं बढ़ेंगे इसके बारे में निश्चित रूप से घोषणा होनी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं।

कृषि को आप उद्योग की तरह मानें। अभी नहीं मान रहे है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जब कोई उद्योगपति उद्योग लगाता है तो उससे ऋण की वसूली 5 साल बाद करते हैं। लेकिन कृषक अगर बाग लगाता है और फल उसमें चाहे 5 साल बाद आये लेकिन उससे ऋण की वसूली दो साल बाद शुरू हो जाती है। तो इस तरह का बरताव कृषकों के साथ नहीं होना चाहिए। चौधरी देवी लाल जी ने ठीक ही कहा कि उद्योग की जितनी इकाइयां हैं वहां आप सड़क ले जाते हैं, बिजली भेजते हैं और उत्पादन प्रारम्भ होने पर ऋण वसूल करते हैं। कृषक के साथ भी वही नीति होनी चाहिए। उसके साथ दूसरी तरह की नीति आप न अपनायें।

ऋण वितरण की जो आपने व्यवस्था की है उसका कार्य प्रशंसनीय जरूर है, लेकिन हमारे बैंक ग्रामीण ऋण देने में बड़े ही शिथिल और उत्साहहीन हैं। हमारी ऋण लेने की क्षमता पुराने मूल्यांकन पर आधारित है, जो कि सर्वथा उपयुक्त नहीं है। वर्तमान के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर ज्यादा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप चाहे जितने ऋण की व्यवस्था करें वह हमारे लिए निरर्थक है। बहुत छोटे-छोटे ऋण ऐसे है जिनकी वसूली सम्भव नहीं है। मैं चाहता हूं आप उस पर विचार करें जिस तरह से आपने बड़े-बड़े उद्योगों के तमाम ऋण क्षमा कर दिये हैं, इस ऋण को भी माफ करने की बात करें।

जहां तक किसान का प्रश्न है, अभी तक हम किसान और जवान को एक-साथ जोड़ते रहे हैं, जिसका तात्पर्य हमारी समझ में यह आता रहा है कि जब किसान की प्रगति होगी, तो हमारी सुरक्षा पंक्ति भी मजबूत होगी और सारे देश की तरक्की होगी। आज किसान के साथ हमने विज्ञान

को जोड़ा है। हमारे किसान का जो प्रत्येक कदम आगे बढ़ रहा है, वह वैज्ञानिक कदम है। हम यह मानते हैं कि बगैर विज्ञान की प्रगति के अब किसान आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम यह बात कहते हैं तो उसके साथ-साथ हमें अपने वैज्ञानिकों की ओर भी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

वैज्ञानिकों को कुछ स्वतन्त्रता देने की आवश्यकता है। किस प्रकार की स्वतन्त्रता देनी चाहिए, जिससे वह कार्य कर सकें। There should be freedom to present unpopular views that it may not be a popular concept.

उसको अधिकार मिलने चाहियें। There should be right to be wrong, the right to be honestly mistaken; without this, there can be no academic freedom, and without this freedom, there can be no technological innovation.

मैं चाहूंगा कि इस तरह की स्वतंत्रता हमारे वैज्ञानिकों को दी जाये।

अभी पिछले दिनों धौली, रांची, कटक, नीलगंज और बैरकपुर की प्रयोगशालाओं को देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि वहां अपने तमाम अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक लग रहे हैं और रात-दिन, श्री गौतम जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, उनके तत्वाधान में काम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि कभी बिजली के अभाव में हमारा कार्य रुका पड़ा रहता है। बिजली न होने की वजह से वह काम नहीं कर पा रहे है। मै चाहूंगा कि यथाशीघ्र उन्हें एक जनरेटर दिलावें या अधिक से अधिक बिजली उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाये और अधिकाधिक प्रयोगशालाएं खोलनी चाहियें। हमारे एक्सपैरीमेंट केन्द्रों में जो प्रयोग हो रहे हैं, प्रत्येक प्रयोग हमारे प्रगति के चरण को आगे ले जा रहा है। आपको प्रदर्शन क्षेत्र भी बढ़ाने चाहियें क्योंकि आज हिन्दुस्तान का कृषक यह महसूस करता है कि seeing is beleaving वह देखकर ही विश्वास करता है। आप इस तरह की कोशिश करें, मैं चाहूंगा कि उनके प्रदर्शन क्षेत्र और व्यापक हों और वह आगे बढ़े।

कुछ स्थान भी आपने गलत चुने हैं, पहली आवश्यकताओं के अनुसार ठीक थे, आपका मत्स्य पालन केन्द्र बैरकपुर में है। वह जगह मुझे छोटी लगती है मैं चाहूंगा कि उसको वहां से हटाकर आप धौली में खोलें जो कि बहुत विस्तृत क्षेत्र है जहां आपको कार्य करने के लिए बहुत स्थान मिल सकता है।

ट्यूबर्स का स्थान आपने भुनवेश्वर में कर दिया है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र

[श्री रण बीर सिंह]

राजस्थान में भी हो सकता है । वहां भेडों का अनुसंधान हो चुका है जहां बहुत अच्छा कार्य हो रहा है ? कुछ हमारे राजनीतिक उधर गुमराह करने की कोशिश करते है । मैं चाहूंगा कि इन वैज्ञानिकों की प्रगति के पथ पर सामने किसी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिये । इन वैज्ञानिकों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये ताकि वह अपने कार्य को आगे बढ़ा सके ।

आपके डायरेक्टर्स एक एक स्थान पर बहुत दिनों से है । आप कोशिश करें कि आपके यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर है, उसको आप डायरेक्टर्स की जगह पर भेजें ताकि जो स्टेनेशन की स्थिति है, उसको कुछ दूर किया जा सके ।

आपके पास 21 कृषि विश्वविद्यालय हैं, लेकिन मुझे खेद है कि इतने कृषि विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी आप कृषक पुत्र को उसमे प्रवेश देने की कोई वरीयता नहीं देते है । हमारा कृषक-पुत्र ही कृषि के अध्ययन की सुविधा न पावे यह क्रूर व्यंग है । मेरे ख्याल से आप इस बात पर विचार करेंगे और जिस तरह से आप सब जगह आरक्षण करते हैं, उसी तरह से इन विश्वविद्यालयो मे भी आरक्षण करेंगे ताकि उस विश्वविद्यालय में कृषक-पुत्रों को भर्ती की जगह मिल सके ।

[श्री रणवीर सिंह]

आपने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में गलत जगह पर विश्वविद्यालय बना दिया है । किसी राजनेता का, खास तौर से श्री बहुगुणा जी का बहुत प्रभाव रहा जिसकी वजह से ऐसी गलत जगह पर यह विश्वविद्यालय बना दिया गया] । अगर इस विश्वविद्यालय को जीवित रखना है तो आपको उससे एफिलिएटेड कालेज बनाने होगे और उसके लिए उत्तर प्रदेश का जिला बहराईच बहुत उपयुक्त है ।

आप के डायरेक्टर जनरल श्री गौतम ने पिछले दिनों वाइस चासलरों का एक सम्मेलन बुलाया था उसमे कहा गया था यूनिवर्सिटी की सुविधा उन स्थानो को उपलब्ध करानी है जो क्षेत्र बैकवर्ड हों, जहा ट्राइबल्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स हों और उनको सहायता मिल सके । बहराइच में सब कुछ उपलब्ध है, गिरजापुरी मे रेडीमेड स्थान भी है, केन्द्र का विस्तृत फार्म है जो कालेज के लिए बिल्कुल ठीक जगह है । मै समझता हू कि मेरा जो अनुरोध है वह आपके विचारों के अनुरूप है, मेरे ख्याल से आप इस पर अवश्य ध्यान देगे ।

व्हाइट रैवोल्यूशन की बात बहुत की जाती है लेकिन उसमें अभी तक हम बहुत प्रगति नहीं कर पाये हैं । वैज्ञानिक

लोग रात-दिन इसमें लग हैं, लकिन हम अभी तक जो प्रगतिशील क्रासब्रीड एनीमल्स की है, वह सर्व-साधारण को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि हमारे राष्ट्र का जो एक अनुसंधान केन्द्र हरियाणा में करनाल में है, अगर किसी दूसरी स्टेट का आदमी वहां से पशु खरीदता है, तो हरियाणा की राज्य सरकार उस पर 100 रुपये टैक्स लगाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह केन्द्र की संस्था है और सब राज्यों को उससे समान फ़ायदा होना चाहिए। वह केवल हरियाणा की बपौती नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ इस बारे में बात करें किसी दिन ऐसा न हो कि जो रेलें हरियाणा में से गुजर रही है, वहां की राज्य सरकार उन पर भी टैक्स लगाने लगे। इस प्रकार का टैक्स अविलम्ब हटा देना चाहिए।

इतना ही नहीं, वहां के कर्मचारी कभी कभी कुछ टेकनीशन्ज को अपने अनुरूप न पा कर आइसक्रीम के सैम्पल को सब-स्टैंडर्ड बता देते है और उन्हें कई प्रकार से हैरास करते है, जिसके कारण उनके लिए जमानत देने और जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। इस लिए स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारक्षेत्र में लक्ष्मण-रेखा साफ़ होनी चाहिए और उन दोनों का जूरिसडिक्शन अलग अलग रहना चाहिए।

वैज्ञानिकों को एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि भाव तय करने में हमारा कितना हित या अहित हो रहा है। इसी तरह वैज्ञानिकों को एफ सी आई के साथ भी जोड़ा जा सकता है। आज स्थिति यह है कि अनाज में ग्रिवल्ड ग्रेन, फारेन मैटर और मायस्चर वगैरह बता कर कम दाम दिये जाते हैं। वहां पर बैठे हुए आई ए एस अफसर दुनिया भर की बातें बनाते हैं। सरकार वहां पर वैज्ञानिकों को क्यों नहीं रखती है, जो उन लोगों की अक्ल में इज़ाफ़ा कर सकें और अनाज की क्लासिफ़िकेशन आदि के बारे में जानकारी दे सके? इसके साथ ही जन-प्रतिनिधियों को भी जोड़ कर इस संस्था के स्वरूप को अच्छा बनाया जाना चाहिए।

ए पी सी का एक सहोदर एफ सी आई है। उसके विषय में जितना कहा जाये, उतना ही थोड़ा है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय देश के ग़रीब किसानों के कंधों पर इस सफ़ेद हाथी को कब तक लादे रहेंगे। राव साहब ने 9 अगस्त, 1980 को राज्य सभा में कहा था—मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं :—

FCI was incurring a loss of Rs. 40 to 50 crores annually.

जब 40 से 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि हो रही है, तो पता नहीं, वह समय कब आयेगा, जब मंत्री महोदय उसमें दखल देंगे और उसको सुधारने के लिए कदम उठायेंगे। अगर हम लोग या बाहर के लोग कुछ कहें, तो दूसरी बात है, लेकिन मैंने तो मंत्री महोदय को ही क्वोट किया है। स्पीकर साहब, श्री बलराम, ने इस बारे में जो विचार प्रकट किया, वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :—

He was surprised to see while returning from Chandigarh that some FCI men at Barbar were sprinkling water on the bags of wheat to increase their weight.

[श्री रणवीर सिंह]

जब इस तरह कारिस्तानियां हो रही हैं, तो वह समय कब आयेगा, जब मंत्री महोदय इस संस्था को सुधारने के लिए पग उठायेंगे? उसकी आपरेशनल कास्ट्स इतनी अधिक है कि सरकार जो सबसिडी दे रही है, वह उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाती है, बल्कि बीच में ही खत्म हो जाती है। इसकी आपरेशनल कास्ट्स दुनिया भर से अधिक हैं। उसमें 73,000 आदमी लगे हुए हैं और 75 करोड़ रुपये की धनराशि अभी तक विवादास्पद पड़ी हुई है। मंत्री महोदय को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

इसके साथ जन-प्रतिनिधियों को जोड़ना चाहिए। मंत्री महोदय हर बार यही कहते हैं कि इसमें समय लगेगा। मुझे तो लगता है कि इस चक्रव्यूह में घुसने के बाद वह अभिमन्यु हो कर रह गए हैं और उसके सारे दरवाजे तोड़ने में असमर्थ लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज संसद की दीवारों से टकरा कर केवल प्रतिध्वनि हो कर नहीं रह जायेगी, बल्कि मंत्री महोदय इसकी तरफ़ ध्यान दे कर कार्यवाही करेंगे।

एक बादशाह जीतने के बाद जब दिल्ली में हाथी पर चढ़ा, तो उसने पूछा कि इसकी लगाम कहां है। लोगों ने बताया कि हाथी की लगाम नहीं होती है, अंकुश होता है और वह भी दूसरे के हाथ में।

मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह ऐसे हाथी पर चढ़ना बन्द कर दें, जिसकी न तो लगाम उनके पास है और न ही अंकुश पर उनका नियंत्रण है। अगर उन्हें शौक है, तो वह घोड़े की सवारी करें, जिसकी लगाम उनके पास हो। बाहर के लोग एफ सी आई पर प्रहार करते हैं, मगर दोष के भागी हम बनते हैं। मंत्री महोदय का तरकश तर्क के बाणों से भरा पड़ा है, जिन का प्रयोग कर के वह हमारी बातों को झुठला देंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा न कर के वह हमारी बातों पर ध्यान देंगे।

पूरे देश के लिए एक नीति बनानी चाहिए। एक ओर महाराष्ट्र में सब कर्जे माफ़ कर दिए गए हैं और दूसरी ओर यू० पी० में कर्जे जोरों से वसूल हो रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है। क्या यह स्थिति असंतोष और आक्रोश का कारण नहीं हो सकती है? मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि चूंकि मंत्री महोदय केन्द्रीय मंत्री हैं इस लिए प्रदेशों पर उनका अधिकार नहीं है। दिल्ली असंतोष और आक्रोश की लहरों से बचा नहीं रह सकता है। इस लिए मंत्री महोदय प्रदेशों को एक निर्णायक आदेश भेजें कि उन सब को समान रूप से काम करना है।

दूसरी बात—आप ने एक जोन हिन्दुस्तान का गेहूं के लिए बना दिया। अभी मैं बहराइच गया। मेरा गेहूं तैयार था। बाजार में पहुंचा। वहां उन्होंने कहा कि यू०पी० ने तो जिला बन्दी कर दी। मैंने कहा, मैं अभी संसद् से लौट कर आ रहा हूं, ऐसी तो कुछ नहीं था। तो मैं यह चाहता हूं कि पूरे देश का एक जोन बनाएं। यू० पी० में जिला बन्दी हो जाय, महाराष्ट्र में पूरा स्वतन्त्र हो जाय, This is no good. There should be one uniform policy for the whole country अगर हमें असंतोष और आक्रोश से बचना है तो यह कहना पड़ेगा अन्यथा लोग इसको पसंद नहीं करेंगे और यह बात अच्छी नहीं होगी।

तमाम राज्यों में नहरें निकलती हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिस में किसान

पूरी तरह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। मेरे पास उस का एक बड़ा समाधान है, आप उस पर विचार करें। जब नहर निकाली जाय या बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाय किसी प्रदेश में तो जिस गांव में यह प्रोजेक्ट लगता है वहा की फिर से चकबन्दी की जाय और पूरी जमीन सब को बराबर बाँटी जाय। उस का जो मुआवजा दिया जाय वह भी सारे गांव को बराबर दिया जाय। तब न हमें कोई दिक्कत आएगी उन के विस्थापित होने की न पुनर्स्थापित करने की इसलिए मैं चाहूंगा कि इस योजना पर भी आप ध्यान दें।

अन्त में मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कवि पन्त ने कहा था, भारत माता मात्र ग्रामवासिनी नहीं है और न यह दिल्ली के वैभव की रानी है बल्कि आप यह समझ लें कि आज दिल्ली उस कृषक शक्ति की रानी है और आप उस मंत्रालय के मंत्री नहीं हैं, जहां कृषक सोया पड़ा था, आज आप उस शक्ति के मंत्रालय के मंत्री हैं जहां कृषक अंगड़ाई ले कर उठा है, वह अपना स्थान स्वयं बना रहा है, पूरे क्षितिज पर छा गया है और महसूस करता है कि उस के हितों की रक्षा मात्र कृषक के ही हाथ से हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इतने कुशल कृषक के हाथ में उसका हक सुरक्षित रहेगा, इस में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आप की मांगों का जोरदार समर्थन करता हूं और सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया।

श्री जे० सी० बरवे (रामटेक): सभापति महोदय, सदन के सामने माननीय कृषि मंत्री ने जो डिमांड्स पेश की हैं उन का समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। यहां पर विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि सरकार ने भाव बढ़ाने के बारे में कोई तजवीज नहीं की है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस देश में कांग्रेस सरकार के जाने के बाद जनता सरकार आई उस वक्त लोगों को और किसानों को भी लगा कि इस देश में कुछ किसानों के लिए होगा, परन्तु आप को मालूम होगा कि गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिए जिस प्रकार का रवैया उन्होंने अख्तयार किया वह एक बहुत बड़ा उदाहरण आज किसानों के सामने है कि गन्ना उन्हें अपने खेतों में जलाना पड़ा, उसे काटने की नौबत भी नहीं आ पाई। इस हालत में किसान उनके राज में किसानी का काम करते रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि दूसरे को भला बुरा बोलने के पहले हम कितना अच्छा करते हैं यह सोच कर काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं जिस स्टेट से आया हूं महाराष्ट्र से वहां के किसानों के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर ने और अन्तुले सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए है जिस की वजह से आज किसानों में इस प्रकार की भावना पैदा हुई है कि हमारी भी इसी प्रकार की तरक्की होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जो स्माल होल्डिंग वाले किसान थे उन के ऊपर जो चार-चार पांच-पांच, छः छः साल के कर्जा पड़ा हुआ था जिस को वे दे नहीं सकते थे और अपनी किसानी कर नहीं सकते थे, उसको माफ कर के उन्हें उत्साहित करने का काम वहां किया है जिस की वजह से आज हमारे देश में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका प्रभाव बढ़ा है और किसान यह सोचने लगा है कि हमारी बातों पर भी विचार किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार के सामने जिस वक्त ए०पी०सी० कमेटी आई थी, मैं भी उस

[श्री जे० सी० बरवे[

वक्त उस कमेटी में हाजिर था। उस कमेटी ने—उत्पादन खर्च को जोड़ कर किसानों को क्या रियायत मिलनी चाहिए उस के बारे में बहुत बड़ा डाटा बना कर दिया है। मै इस के ऊपर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे दूसरे विषय की ओर जाना है। मैं बिनती करूंगा मंत्री जी से कि जिस प्रकार से एक इण्डस्ट्रियलिस्ट को कारखाना लगाने के बाद जो खर्चा आता है, वह खर्चा और उस पर 20 प्रतिशत प्राफिट दे कर उसको उत्साहित किया जाता है। उसी प्रकार किसानों को लगने वाले उत्पादन खर्च और उसके ऊपर 20 प्रतिशत मुनाफा दे कर उसको उत्साहित किया जाए। उसी प्रकार से ये जो किसान हैं जो खेती में काम करते है उन को भी उत्पादन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा भाव दिया जाय।

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के उत्पादन खर्च का डाटा बना कर जो भारत सरकार को भेजा है, उस पर किसानों को लगने वाला उत्पादन खर्च और 20 प्रतिशत प्राफिट दे कर किसानों को प्रोत्साहन किया जाय ताकि अपने देश के लिए किसान ज्यादा उत्पादन कर सके। महाराष्ट्र सरकार ने जो सिफारिश भारत सरकार को की है उसके मुताबिक इस भावना के साथ, यह जो मांग है उसका मैं समर्थन करता हूं।

एक बात मुझे वीकर सेक्शंस के बारे में कहनी है। इस देश के वीकर सेक्शंस कौन हैं? वह हैं फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले जिनकी आबादी इस देश में 6 करोड़ के लगभग है। ये लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते-पीते हैं और क्या पहनते हैं—इसकी जानकारी मंत्री जी को जरूर है लेकिन जिस लगन के साथ इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था वह ध्यान नहीं दिया गया है—यह बात मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ती है। इतने वर्षों की आजादी के बाद भीये 6 करोड़ फिशरमेन जो कि आदिवासी पावर्टी लाइन से भी नीचे हैं। वहलाते है, हालत को अच्छा बनाने के लिए कभी उनकी सोचा ही नहीं गया है। प्लानिंग कमीशन में मुझे बुलाया गया था, मैंने वहां पर अपने विचार रखे लेकिन उसके बाद भी जो छठी योजना की रिपोर्ट आई है उसमें मेरीन फिशरीज के सर्वे की बात तो कही गई है लेकिन इनलैण्ड फिशरमेन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यह गरीब तबका जिनके मतों से यह सरकार प्रचण्ड बहुमत लेकर यहा आई है, मैं समझता हूं मंत्री जी उनकी तरफ जरूर ध्यान देंगे।

माननीय कृषि मंत्री जी सहकारिता मंत्री भी है, सहकारिता की ओर भी उनका ध्यान जरूर जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं महाराष्ट्र की बात बतलाना चाहता हूं। अभी अभी कल परसों हमारे महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री ने असेम्बली में कहा कि सहकारी चीनी कारखाने हर जिले में दो दो बनाए जायेंगे। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में वहां पर सहकारिता को इतना बड़ा बढ़ावा मिल रहा है लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ब्यूरोक्रैसी के लोग कुछ भी कह दें तो वीकर सेक्शंस पर विचार नहीं किया जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि उनकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज जो हमारे फिशरमेन हैं वे किसके हाथ में हैं? जो मिडिलमेन हैं, जो बड़े बड़े धंधे करने वाले हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं उन्हीं के हाथों में ये लोग हैं। आज उनकी क्या मांगें हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, यह आपको सोचना चाहिए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में

इनलैण्ड फिशरीज में इतना पानी है लेकिन उस पानी में डालने के लिए जो सीड होता है उसका उत्पादन करने के लिए 33 साल के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अगर कुछ किया गया है तो उसका क्या अमली रूप सामने आया है? इतने सरकारी अफसर बैठे हुए है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मीठे पानी के जो फिशरमेन हैं उनको पानी में सीड डालने के लिए रेलवे की ओर से कोई सुविधा नही मिलती है। उन के पास तक सीड नहीं पहुंचता है। जो सहकारी समितियां गठित हुई है उनको भी समय पर सीड नहीं मिलता है। अगर कोई पैसा दे तभी उसका काम होता है वरना नहीं होता है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। फिशरमेन के लिए जहां तक यह सीड का मामला है, उस पर मंत्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिए और उनको सुविधा प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए।

कोआपरेटिव सैक्टर में सारे देश में जो मछवारे हैं, उनकी लगभग पांच हजार समितियां है। इन पांच हजार समितियों को आप जब तक शेयरकेपिटल नहीं देंगे, तब तक उनकी उन्नति कैसे होगी। पांच सौ रु० से लेकर हजार रु० तक इनका शेयर कैपिटल है। उनको इन्क्रेज करने के लिए जब तक शासन की ओर से रियायत नहीं दी जाती, वे आगे कैसे बढ़ सकेंगे। ये जो गरीब लोग हैं, ये अपने सहकारिता के मारफत मिडिल मैन को कैसे हटायेंगे—यह सोचने की बात है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर अवश्य ध्यान देंगे और इस ओर कुछ करने की कोशिश करेंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार जापान और कोरिया में सहकारिता के मारफत वहां का सारा डीजल और इन्श्योरेन्स का काम राष्ट्रीय सहकारिता मछुवा संघ को दिया गया है, जिसकी वजह से वे आगे बढ़े हैं इसी प्रकार भारत सरकार को यह कार्य मछुवा सहकारी संघ को देना चाहिए। सहकारिता के लिए महाराष्ट्र मच्छीमार संघ ने पम्प मांगा था, तो उसका भी अभी केस चल रहा है, कोई उस पर अमल नहीं हो रहा है।

एक दूसरी बात मै अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मै रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हू। वहां पर एक खिडसीट डैम है, जो कि 81 में पूरा होने वाला था, लेकिन अब उसके 83 मे पूरा होने की बात कही जाती है इसलिए मै सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर किसानों की बहुत बुरी हालत है, यह जो आपने निर्णय लिया है कि इसको 83 मे पूरा करेंगे, मेरा आप से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए ताकि वहां के किसानों को सहायता मिल सके। मै आपका ध्यान अमरावती जिले के दरुढ़ और मोर्शी एरिया की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर कि पांच लाख सन्तरे के झाड़ है। वहां पर वाटर लैवल नीचे चला गया है, जिसकी वजह से कुओं में पानी नही है। पानी न रहने की वजह से वहां के किसान इतने घबराए हुए है कि वे ट्रकों पर पानी की टंकी लाद कर झाड़ को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस ओर भी मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वे ध्यान दें। इस सम्बन्ध में मैने महाराष्ट्र सरकार से भी अपील की है और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से भी अपील करूंगा कि वे भी इस पर ध्यान दें।

अन्त में मैंने जो अपनी अड़चने माननीय सदन के सामने रखी हैं, आशा है कि आप

[श्री जे० सी० बरवे]

उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एग्रीकल्चर डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

SHRI D. P. YADAV (Monghyr): Sir, I wish I could have been allotted more time. Shri Mirdha also would like to speak on certain points. I would like to be as brief as possible. We are just having this debate at a moment when we have got the Census figures in our hand. And the position is really very alarming. Whatever we may talk politically from this side or that side, the position indeed is very alarming, in the sense that as per the calculations made by the Agricultural Scientists and Economists, our country would need about 1 million tonne of additional food every two months. It is a very big task to provide for such a large quantity of food every two months.

14.38 hrs.

(Mr. DEPUTY SPEAKER in the Chair.

We have to achieve such a big task. I call upon the agricultural scientists and agricultural administrators to be aware of the position and be alert and take all necessary steps in this regard. The total food need of the country by about 2000 A. D. would be about 250 million tonnes. From where could we get this larger quantity? Punjab and Haryana have reached optimum production in regard to food. What is the potential area to be tapped now? It is only the Eastern part which has got the necessary vista, the necessary opening; I therefore, make a request to agricultural scientists and administrators: 'Please look at the Eastern parts of our country for optimum food production." Otherwise we will be in a tight corner. Time is not far when food will be used as an international weapon for political pressure. India should not lag behind, and we should be ready for it. This is my request to the Hon. Minister, Sir. As far as the potentiality of the crop production is concerned, a lot of controversy has been there as to what is the potential crop production in our country. I am happy to report the analysis made by the world renowned scientist Dr. M. S. Swaminathan, that we need not be alarmed about the potentiality in so far as India is concerned. He has said that we may have 4572 million tonnes of food potentiality in this country. There is nothing to be alarmed. What is needed is the mechanism for the optimum use of the manpower.

Now, in regard to agricultural assets, we have four assets-soil, sun light and water and the manpower. With these assets agricultural development has to be accelerated and they have to be harnessed to the optimum level. Otherwise having all these assets, we will be lagging behind the technically advanced countries of the world. Until and unless we deploy our energy and strength for optimum food production, we will not be able to tap those areas which are untapped so far.

In regard to food reserves, I would like to caution the Government. In our godowns we should at least maintain 20 million tonnes of foodgrains as reserve. Don'ts be mislead by the figures of the Food Corporation of India. Sometimes they give wrong figures. Be assertive and be correct in your approach and calculations. You must maintain a minimum of 20 million tonnes of foodgrains as reserve. I want to mention about the untapped potential area where concerted effort has to be made that is, in Eastern part of India. Unless you take necessary steps the problem of zinc deficiency, micronutrients, salinity, alkalinity etc. are going to be a challenge to soil health.

They are going to give trouble. Moreover land reclamation and soil health are to be met according to the condition of the area.

In Eastern part of U.P. and Bihar, Leechi, Potato, mango and banana are produced in large quantities. They should be encouraged for more and more production and there should be proper marketing, storage and processing facilities for these items. As regards oil seeds, we are importing edible oil worth about Rs. 700 to Rs. 800 crores. I would suggest to the hon. Minister that we can make up this deficiency if we have large areas such as Mokemah, Bariah Tal under intensive agricultural production, especially for the production of oil seeds. This is just my suggestion.

Then in regard to the transfer of technology we are very much advanced in agriculural technology. We are not lagging behind other countries in this respect. It is only the implementation part of the technology which is needed. Whether it is water technology, post-harvest technolology, or pesticide technology, it is only by optimum use of these technologies that we can attain a maximum production. The transfer of technology from laboratory to land should be given the utmost importance and this programme of the I.C.A.R. should be transferred to the land so that maximum yield is achieved.

About pesticides, I would like to remind the Government that a lot of nefarious activity is going on in pesticides business. Some spurious and fake products are supplied in the name of pesticides. There should be quality control and regular check has to be done on all the containers of this item so that this kind of malpractice is to stopped forthwith. Shri Mirdha is sitting by my side and he was the Chairman of the National Commission on Agriculture. He has brought out his report in 15 volumes. I am not going to repeat what has been enumerated in the Report. We have Agricultural Commission Report, we have Flood Comission Ganga Flood commission Brahmaputra Commission Reports and we have Irrigation Commission Reports. Why should we depend on somebody else? We hav egot all these reports. They are all very important reports. The only thing is that we should implement the recommendations made in those reports.

Lastly, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the annual milk production in the country was estimated at 17.1 million tonnes in 1940, 17.4 million tonness in 1951 and 24.7 million tonnes in 1973. The report of the Mirdha Commission had already said that milk production in the country had gone down. The average per capita consumption of milk and milk products has gone down. In per capita per day terms, the availability of milk worked out to 150 grammes in 1940, 132 grammes in 1951 and 118 grammes in 1973. This is a very alarming situation and has to be checked.

Now, in regard to this flood and National Water Policy they should be clubbed together and we should have a National Water Policy for the whole country. Until and unless we have a National Water Policy applicable to all the States, we will not be successful in our National Plans. So, I urge upon the Government to have a strong National Policy in regard to water resources, whether it is ground water resource or surface water resource. Here I would like to repeat the words of Pandit Jawaharlal Nehru. He had said that our work would not end until and unless we wipedout every teat from every eye. Therefore, what I want to say is that you will not be able to wipe out every tear from every eye without providing food to the entire population of the country. I you are sincere to his feelings and his sentiments, you should

[Shri D. P. Yadav]

provide food to everyone in this country.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, हमारे कई एग्रीकल्चरिस्ट मित्रों ने अपने विचारों को यहां पर रखा है। मैं सायल और नेचर कन्जरवेशन के संदर्भ में कुछ बातें यहां पर कहना चाहूंगा।

हाल में इस संदर्भ में एक एक्ट फारेस्ट कन्जरवेशन के सम्बन्ध में पास किया था लेकिन जिस तरीके से विभिन्न प्रान्तों को सरकारें आज उस अधिनियम का उपयोग कर रही हैं, वह वास्तव में संतोषप्रद नहीं है। उस अधिनियम के बन जाने के बाद, कृषि मंत्री जी ने उस बहस का जवाब देते हुए कहा था कि जंगलों का जो अंधाधुंध कटान होता है और पर्यावरण के संतुलन का जो प्रश्न पैदा हो गया है, उसको हम इसमें नियंत्रित कर सकेंगे लेकिन आज विभिन्न प्रान्तों में सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से कटान का कार्य चल रहा है और जंगल कट रहे हैं। जब डेवलपमेंट एक्टिविटीज का सवाल आता है, कहीं पर सड़क बनने की बात आती है और कहीं पर सेचाई योजना की बात आती है, तो उनके लिए जमीन देने के लिए राज्यों के वन विभाग इस एक्ट का हवाला देते हैं। इस तरह से डेवलपमेन्ट एक्टिविटीज में इस से अवरोध पैदा हुआ है और जहां पर जंगलों के काटने का सवाल है, वह आज भी अबाध रूप से चल रहा है। मेरा माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसा काम्प्रीहैंसिव बिल, काम्पैक्ट फारेस्ट बिल इस सदन के सामने लाया जाए, जिसके जरिये जहां-जहां इस तरह के जंगल हैं, वहां उन जंगलों की सुरक्षा हो सके और वहां के जो लोग हैं, उनको उन जंगलों के साथ हम जोड़ सकें क्योंकि आज भी हमारा देश प्रकृति पर निर्भर है, कृषि के लिए भी हम उस पर अवलम्बित है। प्रकृति के जो तत्व हैं, पानी और अच्छी वर्षा के संदर्भ में, जो चीज सब से ज्यादा महत्व रखती है, वह है जंगल और इन जंगलों में ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जहां पर सरकारी एजेंसियां जंगलों को काटती हैं वहां पर दूसरे लोग भी उन्हें काटते हैं। इस बारे में प्रान्तों की जनता को वनों से सम्बद्ध करने की कोई कोशिश नहीं की जाती है, आज जरूरत इस बात की है कि हम प्रान्तों में फोरस्ट्री को शिक्षा का एक अंग बनाएं। वहां की अर्थ व्यवस्था को जंगलों से सम्बद्ध कर, इन दोनों को एक-दूसरे का अंग बनाएं। इस पर भी जोर देने की जरूरत है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में आप कृषि के अन्तर्गत ऐसी योजनाएं शुरू कीजिए जो पशुपालन, फोडर और दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित हों ताकि लोगों को जंगलों का महत्व पता चल सके और वे जंगलों को बचाने का लाभ समझ सकें।

मान्यवर, हमारे जो रिमोट एरियाज हैं, वहां की एग्रीकल्चरल इकानामी को रिवाइव करने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये। आपके अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनमें इन रिमोट एरियाज की एग्रिकल्चरल इकानामी के लिए कोई संतोषजनक प्रयत्न नहीं किये गये हैं। आपने 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय खोला और फिर सारे देश में कृषि विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला स्थापित की जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये। उन्होंने मैदानी क्षेत्रों की एग्रीकल्चरल इकानोमी को डवलप करने के लिए बड़े सराहनीय कार्य किये लेकिन उनसे लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए एजूकेशन, रिसर्च और एक्स-

टेंशन में जो इन्टिग्रेटिड अप्रोच होनी चाहिए थी, वह नहीं है । आज जरूरत इस बात की है कि इन तीनों मे हमारी इन्टेग्रेटेड अप्रोच हो । मान्यवर यादव साहब ने अभी कहा कि लैंड टू लैंड (Land) प्रोग्राम के संदर्भ मे कारगर कदम उठाने की जरूरत है । मैं इसमे सम्पूर्णत: सहमत हूं । एग्रीकल्चर के सम्बन्ध मे हमारी जो टेक्नोलोजी है, उसका लाभ कामन से कामन साधारण से साधारण छोटे से छोटे जोतदार को पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए । आज एग्रीकल्चरल टेक्नोलोजी बड़े लोगों के हितसाधन करने की बात बन कर रह गयी है । मैं नहीं कहता कि उनका हित साधन नही करना चाहिए लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए और हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि गांवो के अन्दर जो छोटे से छोटे जोतदार है, जो गरीब कृषक है उनको भी इस टेक्नोलोजी का लाभ पहुंचे । इसलिए इस विषय मे एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है । जहां आपने पहाड़ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की है वहीं अगर उसकी एक शाखा आप वहां के पर्वतीय क्षेत्र मे भी खोल दें ताकि वहां के रिमोट एरियाज की एग्रीकल्चरल इकानोमी के लिए वह विश्वविद्यालय कारगर ढंग से काम कर सके तो वहां के लोगों को इससे बहुत लाभ मिल सकता है ।

मुझे बड़ा खुशी है कि आपने जम्मू कश्मीर के अन्दर छठी पंचवर्षीय योजना मे एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया है । ऐसे विश्वविद्यालय वहां की वेजटेबल, एनीमल हस्बंडरी, हार्टीकल्चर, सिल्वीकल्चर पर आधारित इकानोमी को रिवाइव कर सकते है । जहां मैं पर्वतीय कृषि विश्वविद्यालय पर जोर देता हूं वहीं पर मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर ट्राइबल एग्रीकल्चर भी एक महत्वपूर्ण इकोनोमी है । इस देश के अन्दर जहां कहीं भी ट्राइल, जनजाति के लोग रहते हैं उनकी खेती का अपना तौर तरीका है उनके लिए एक विश्वविद्यालय होना चाहिए जिससे कि वहां की ट्राइबल इकोनोमी को रिवाइव करने के लिए वे कुछ काम कर सकें, कोई ठोस काम कर सकें ।

मैं एक चीज की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे कि हमारे एक सम्माननीय सदस्य ने अभी मुझे बताया था कि जितने भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, जहां कही भी हमारे देश के अन्दर है उनमे आप रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद मे आई० ए० एस० आफीसरो को वाइस चांसलर बनाते है । मान लीजिए किसी खास आई० ए० एस० व्यक्ति को आप किसी कृषि विश्वविद्यालय मे वाइस चांसलर बना कर भेजते है तो उसमे जितने साइंटिस्ट्स और टेक्नीकल लोग होते है उनको उस आई० ए० एस० अधिकारी के नीचे काम करना पड़ता है और इससे एक कम्युनिकेशन गेप पैदा हो जाता है, एक असंतोष की भावना पैदा हो जाती है, एक अविश्वास का भाव पैदा होता है । इसलिए हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्टों मे निश्चित रूप से एक रोष व्याप्त हो जाता है । इस पालिसी को कृपया देखें और जिन प्रांतों की सरकारें ऐसा कर रही है उनसे कहें और यदि आपके द्वारा किया जा रहा है तो आप भी इसको देखें कि यदि कहीं पर विशेष परिस्थिति मे आवश्यक हो तो अवश्य आई०ए०एस० अधिकारी की नियुक्ति करें, नहीं तो कृषि वैज्ञानिकों की ही नियुक्ति कुलपति के पद पर होनी चाहिए ।

मान्यवर, लैण्ड एण्ड वाटर कंजरवेशन प्रोग्राम फर्स्ट फाइव इयर प्लान मे शुरू किया

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

गया था और उसके तहत आपने आल इंडिया सायल एण्ड लैण्ड यूज आर्गनाइजेशन और स्टेट लैंड यूज बोर्ड बनाए थे, लेकिन इन संस्थाओं से जितनी उम्मीद थी, जितना काम इन्हें करना चाहिए था, उतना इनके द्वारा नहीं किया गया। मान्यवर, सायल कंजर्वेशन का प्रोग्राम कृषि के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के कारगर रूप से क्रियान्वित न होने के कारण जहां पर एक भाग की मिट्टी बहकर मैदानों में जा रही है, मैदानों में फ्लड का प्रश्न पैदा होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमने जो डैम्स बनाए हैं, उनमें सिल्टिंग का प्रश्न भी पैदा होता जा रहा है। इसलिए सायल कंजरवेशन प्रोग्राम को को स्ट्रिक्टली एडाप्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए बजट में जो प्रावधान रखा गया है वह बिलकुल असंतोष-जनक है। स्टेट्स में जो इसके लिए बोर्ड हैं उनको आपको कहना चाहिए कि वे सायल लेबोरेटरीज बनाएं, ताकि लोगों को मिट्टी के विषय में पता लग सके कि उसके खेत में किस चीज की खेती अच्छी हो सकती है। वेस्ट लैंड और नो मैन्स लैण्ड का उपयोग भी किया जाना चाहिए और इसकी जानकारी लोगों को देने के लिए हमारे बोर्डों को सामने आना चाहिए। इसी प्रकार से फ्लड एवं ड्राउट प्रोन प्रोग्राम और कैचमेंट एरिया प्रोग्राम्स को भी इंटेंसीफाइड करना चाहिए। इनके तहत ठोस काम करने की आवश्यकता है। कैचमेंट एरिया प्रोग्राम के तहत अभी तक आप छुटपुट रूप से काम करते रहे हैं। कहीं पर दीवार बना दी, कहीं पर दो-चार पेड़ लगा दिये, इससे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या क्या हल हो सकती है, डैम्स में सिल्टिंग की समस्या क्या हल हो सकती है? इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि फ्लड प्रोन प्रोग्राम और कैचमेन्ट एरिया प्रोग्राम पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए और इस संबंध में कुछ ठोस काम करना चाहिए।

मान्यवर, हमारे कृषि का एक महत्व-पूर्ण अंग है "दुग्ध उत्पादन" आज जो हमारा दुग्ध उत्पादन का प्रोग्राम है वह उपभोक्ता उन्मुखी है। आज हम यह देखते हैं कि उपभोक्ता को किस तरह से सस्ते से सस्ता दूध उपलब्ध कराया जा सकता है। चाहे वह सोया मिल्क हो, गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो। लेकिन आप कम से कम पशु-पालक का भी तो ध्यान रखिये। आप यह भी देखें कि पशुपालक को उसके दूध का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए एक नेशनलाइजड पालिसी बनाएं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टस की कीमतें तो आपने बढ़ा दी, गेंहूं की कीमत बढ़ा दी, गन्ने की कीमत बढ़ा दी, धान की कीमत बढ़ा दी, इसके लिए आप साधु-वाद के पात्र हैं, लेकिन यह एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिससे कृषक पैसा कमा सकते हैं और अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि दुग्ध मूल्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में ब्रीड सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। पशु-चिकित्सालय नहीं हैं, यदि किसी पशु को फुट-माउथ डिसीज हो जाती है तो इसके लिए वैक्सीन नहीं मिलते, यदि और कोई बीमारी हो जाती है तो चिकित्सक नहीं मिलता। हिन्दुस्तान भर में वैटर्नरी स्टाक मैन सेंटर बहुत कम हैं इस ओर ध्यान दो। मेरा निवेदन है कि हर जिला मुख्यालय पर एक इस तरीके का नलजन प्लांट लगाना चाहिए, जहां आर्टि फिशियल सीमंस बन सकें और एयर कंडी-शन गाड़ियों के माध्यम से, कंटेनर्स के

माध्यम से बैटर्नरी स्टाक मैन सैंटर तक पहुंच सके ताकि अच्छी ब्रीड से क्रास करा कर गाय-भैंसों की नसलों को अच्छा बनाया जा सके । इस पर आप कृपया ध्यान दें ।

अब मैं पहाड़ी दूरस्थ तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। फूड कारपोरेशन द्वारा जो गोदाम यहां बनाए जाते हैं उस सदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं । जहां पर चीजें पैदा नहीं होती हैं, बाहर से मंगा कर जहां पर उनको मुहैया कराया जाता है, जहां गेहूं पैदा नहीं होता है, उन क्षेत्रों की ओर भी फूड कारपोरेशन को खास ध्यान देना चाहिए । उसके गोदाम मैदानी क्षेत्रों में खुले हुए हैं या वहां खुले हैं जहां रेल हैड है । लेकिन जिन क्षेत्रों में बर्फ गिर जाती है, बरसात जबर्दस्त होती हैं और उस वक्त जहां गेहूं, चावल इत्यादि नहीं पहुंच पाता है और इस कारण से वहां आकस्मिक अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, लोगों को बड़े मंहगे दामों पर चीजें खरीदनी पड़ती है, एफ सी आई को चाहिए कि उन हिल एरियाज में, उन दूरस्थ एरियाज में जहां चीजें पैदा नहीं होती हैं, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्ज में बड़े बड़े गोदाम बनाए और उन गोदामों में इतना फूड स्टाक रखा जाना चाहिए ताकि लोगों के सामने जब इस तरह की स्थिति पैदा हो तो उनको अनाज मिल सके, गेहूं इत्यादि मिल सके ।

पर्वतीय क्षेत्रों में गन्ना पैदा नहीं होता है । आपने सस्ती चीनी लोगों को उपलब्ध कराई है और एक नियम आपने बना दिया है कि शहरों में एक किलो और गांवों में पांच सौ ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाएगी । जिन गांवों मे गन्ना पैदा होता है वहां आपका ख्याल यह है कि गुड़ लोग बना लेते हैं या खांड इत्यादि बना लेते हैं इस वास्ते उनके वास्ते पांच सौ ग्राम पर्याप्त है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र व कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां गन्ना ही पैदा नहीं होता है । चूंकि बहुत कम पर्वतीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां गन्ना पैदा नहीं होता है इस वास्ते उन क्षेत्रों में आप यह कोटा उतना ही रखें जितना आप शहरी क्षेत्रों के लिए रखते हैं और जो अन्तर है इस को आप समाप्त करें। इस मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो अन्तर आपने रखा है इस को समाप्त कर देना चाहिए । वहां के सब लोगों को भी एक किलो चीनी आप उपलब्ध कराएं ।

एफ सी आई का जो वर्किंग है वह भी ठीक नहीं है । वह खरीद करता है और सारे सामान को इधर से उधर पहुंचाता है। उस पर करोड़ों रूपये का व्यय होता है । अभी माननीय रण वीर सिंह जी ने कहा कि एफ सी आई के जो अधिकारी हैं इन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि ये स्टेट्स में काम करते हैं और आप समझते हैं कि स्टेट्स उन पर नियंत्रण रखेगी । लेकिन वे रख नहीं पातीं क्योंकि ये उनके कर्मचारी नहीं हैं, आपके हैं । आप से ये दूर बैठे हुए हैं इस वास्ते आपका भी उन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है । इस वास्ते एफ सी आई के वर्किंग को आप ठीक करें । इससे करोड़ों रुपया जो बरबाद होता है वह बच सकता है । हजारों टन गतला जो खराब चला जाता है उसको आप बचाएं । किसानों को जो ठीक मूल्य नहीं मिल पाता है और वे बेचारे बिचौलिये के चंगुल में फंस जाते हैं, उससे उनको बचाया जाना चाहिए ।

फूड फार वर्क प्रोग्राम के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं । पिछले साल इस कार्यक्रम के तहत 76 लाख मेट्रिक टन गेहूं आपने उपलब्ध किया । आपने उत्तर प्रदेश को भी कुछ गेहूं दिया लेकिन इसका अधिकांश में दुरुपयोग हुआ है। रेग्युलर गेहूं का आवंटन

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

जो आपने 35 हजार मेट्रिक टन परमंथ किया वह भी ऐसे पीरियड में किया जब गेहू की सब से ज्यादा जरूरत थी, वहा अभाव की स्थिति थ। । फूड फार वर्क प्रोग्राम मे जो गेहू आपने दिया और जिस का ठीक उपयोग नही हुआ और जिन अधिकारियो ने इसका दुरुपयोग किया, कृपया उनको आप दडित करे ताकि जिस योजना को हम ने शुरू किया था और जिस का भूल से या गलती से जनता पार्टी ने ठीक तरह से कार्यान्वित नही किया, यह योजना बदनाम न हो ।

इन शब्दो के साथ मै आपका धन्यवाद देता हू और कहना चाहता हू कि अन्न के जो भडार खाली पडे हुए थे, कृषि व्यवस्था जो बिल्कुल तहस नहस थी, अर्थ व्यवस्था जो बडखड रही थी, उसको आपने मजबूत आधार प्रदान किया है, कृषको को उचित मूल्य दिलाने की आपने व्यवस्था की है, अन्न के भडारो को भरा है और अभाव की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राष्ट्र को सक्षम बनाया है ।

मै इन अनुदानो की मागो का समर्थन करता हू और विपक्ष से भी प्रार्थना करता हू कि वे भी एक स्वर में इन मागो का अपना समर्थन प्रदान करे ।

15.00 hrs.

SHRI ANANTHA RAMULU MAULLU (Nagarkurnool) Mr Deputy-Speaker, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture I take this opportunity to congratulate our Rao Birendraji, and his colleagues, Mr Baleshwar Ram, Shri R. V Swaminathan and Kumari Kamla Kumari for the remarkable progress made last year, i.e. 1980-81, in spite of bad weather in some parts and heavy rains in some other parts of the country. It is one of the notable things that in Kharif season alone, we can achieve 79 million tonnes. I am sure we are going to get another 54 million tonnes in rabi season, which is supposed to be a record production, in this particular year. So, I would like to congratulate the staff working in the agricultural department right from the workers at the village level to the officers, for this remarkable production in this year. We are also going to establish a new record, I think, in rice and wheat this year. I also like to congratulate Mr Rao Birendra Singh on having taken the historic decision to supply the fertilisers to the farmers through all the block headquarters Hitherto, they used to supply fertilisers only at the railway stations and block headquarters situated at the railway stations. This year they have taken a decision to supply the fertilises to all the block headquarters This will enable even the small farmers to utilise the fertilisers to the maximum extent

The farmers are complaining about the poor quality of the seeds supplied by the National Seeds Corporation The seeds supplied by this Corporation are not up to the mark I request the hon Minister to look into this aspect and issue suitable directions to the National Seeds Corporation to supply quality seeds to the farmers, so that there may not be any complaint in future in this regard

I am very happy that the command area development programme is covering 16 States and 71 major irrigation projects The rivers Tungabhadra and Krishna pass through my constituency of Nagarkurnool in Mehbubnagar District But we do not have any major or even minor irrigation project, not even a project covering 10,000 acres. I request the Minister to keep this point in view, because he also happens to be the Minister in charge of irrigation. We have submitted proposals for the construc-

tion of the Bheema Project, which is an inter-State project concerning Andhra Pradesh and Karnataka. This project will facilitate the backward areas of Mehbubnagar district where scheduled castes and scheduled tribes are residing, particularly in my constituency, which happens to be a reserved constituency.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next year you will congratulate the Minister if the scheme is implemented.

SHRI ANANTHA RAMULU MALLU: Yes, Sir. I congratulate him in advance and I hope he has not missed my point.

Coming to agricultural extension projects, it seems our Government has taken a decision to have projects in 10 States. But Andhra Pradesh is not one of them. Andhra Pradesh is one of the biggest centres of oilseed production. This aspect should be looked into and the necessary project should be sanctioned for Andhra Pradesh.

Coming to the intensive oil seeds and pulses programme, this is being undertaken in selected areas of 100 districts in 14 States. I am happy that there is increase in production this year.

Another thing to be appreciated is that our Minister has taken the decision to have a separate horticulture division. For the last three decades. the farmers and the Indian people have been demanding a separate division for horticulture. I would like to congratulate the Minister for having taken this historic decision to have a separate horticulture division and also a cocoanut development board.

It has come to my notice that 15 big centres have been selected for intensive vegetable cultivation. I suggest that all district headuarters in the country should be selected for intensive vegetable cultivation.

Coming to agricultural universities, very recently Punjab Government has appointed a Vice-Chancellor who happened to be an IAS Officer. I would like to suggest that it would be better if a technical person preferably an agriculture man is appointed as a Vice-Chancellor.

I need not say anything about the ins and outs of the Agriculture Department because Mr. Rao himself is a farmer and he knows much more than I do.

I would like to congratulate our Minister, Mr. Baleshwar Ram for giving new guidelines for NREP. I am also happy that they have taken a decision to encourage voluntary organisations such as Yuvak Mandals, Mahila Mandals, etc. They have allocated Rs. 1 75 crores in the Sixth Plan. For the current year, they have provided Rs. 18 lakhs. I feel that this is a very small amount. This amount may not be enough for these coluntary organisations. Rs. 18 lakh means not even one lakh to each one of these organisations. I request the Minister that this may be examined and more funds may be allotted for this purpose.

About community development programmes, late Jawahar Lal Nehru and S K. Dey had taken lot of interest in introducing this programme in rural India. It has achieved very good results and lot of development is seen in the rural areas. Under this programme certain posts of village level workers had been created. VLWs have been working against these posts for the last three decades without any chance of promotion. They retire as VLWs. I request the hon. Minister that something should be done to provide promotional avenues to them particularly those who are serving for the welfare of the weaker sections and SC & STs.

I also request the hon. Minister to strengthen the panchayat raj system in all the States. We have intro-

[Shri Anantha Ramulu Mallu]

duced the panchayat raj system with a view to distribute power to local persons. This system is not being implemented properly in all the States. I request the hon. Minister to consider at this and see that the elections are conducted for panchayat samities and zila samities. He should also see that the programmes evolved by the Government are implemented in a proper manner.

With regard to dual administration i.e. revenue administration and panchayat raj administration at the village level, I would like to suggest to the Minister that we must put an end to the dual administration system. Village officers and other staff should be brought under the control of one single administration i.e. panchayat raj system. A village level worker should be made an agent of the Government at the village level and he must be made responsible for all the developmental programmes This will definitely give good results.

Coming to the Integrated Rural Development programme, I am very much thankful to the Minister for taking up IRDP, DPAP, CAD and SFDA. It would be better if you extend the SFDA programmes to all the district headquarters of the country so that the small farmers can be helped by this programme.

While forming block level plan committees, views of the local MLAs and MPs should also be taken into consideration.

Coming to the NREP programme, it has given a lot of good results and high hopes to the rural people. A good number of community assets have been accomplished in areas where NREP is being operated. But last year and a year before last, this was attacked a lot. This year foodgrains have not been properly supplied. The State Governments have been asked to purchase foodgrains in some cases, wherever possible. I do not know, why the Agriculture Department is not coming forward to give foodgrains. Last year Rs. 340 crores had been allocated. This year Rs. 180 crores have been allocated by the Centre and it seems that they have asked the State Governments to share equal amount.

This also causes a lot of inconvenience. So, like last year, this year also more funds should be allotted for the NRDP programme, so that we can get the expected results.

Particularly in the matter of Food for Work Programme, during the regime of the Janata Government, Andhra Pradesh was completely neglected and it was not given sufficient quantity of food. At the same time, some of the northern States like Rajasthan were given bumper stocks. I would request the Minister to keep this in view while making allocations to Andhra Pradesh.

I need not say much about Andhra Pradesh, because the Minister of Agriculture is fully aware of the situation there. Andhra Pradesh is continuously facing natural calamities. One year we had a terrible cyclone, which was followed by drought the next year and then we had floods. Like this, for the last five years. Andhra Pradesh is continuously facing one natural calamity or the other. Keeping this in mind, I would request the hon. Minister to allocate more funds and allot food stocks liberally to Andhra Pradesh.

Coming to land reforms, the Andhra Pradesh Government has passed legislation. But in several cases the landlords have got stay orders from the courts. So, the reform could not be implemented. Some new solution will have to be thought of in this respect so that the promises made by the party to the people can be implemented.

Coming to youth programmes, it seems the Rural Reconstruction Depart-

ment had a scheme to train up the rural youth. In this particular case, I would suggest a change. The Nehru Kendras are attached to the Education Ministry. In fact, the youth clubs and the Mahila Mandals are vitally concerned with rural welfare and rural reconstruction right from the inception of Community Development in 1954. So, I would request the hon. Minister to cons der whether the Nehru Yuvak Kendras could not be transferred from the Education Ministry to the Rural Reconstruction Department so that one channel of administration can be taken up. This suggestion may please be taken into consideration.

The National Institute of Rural Development has been established in Rajendranagar, in Hyderabad. It has no doubt made remarkable progress. But the funds allotted to this particular institution are quite meagre. So, I would suggest that more funds, to the extent possible, should be granted to this innstitute, so, that the institute could have its branches and they could train youth in rural development programme.

I need not say anything about the farmers, who are suffering under various handicaps. They have shown their faith and confidence in the Government and our beloeved Prime Minister by participating in the rally which was organised. Our Agriculture M'nister is also quite aware of their problems. All the same, I would make one or two suggestions.

So far as the price of fertilizer is concerned, I would request the Minister to make the necessary efforts to reduce the price of fertilizer to the maximum possible extent, as that will help the small and marginal farmers. Secondly, crop insurance scheme should be implemented all over the country, irrespective of the area. Very recently, the Andhra Pradesh Government has taken a decision to implement the crop insurance scheme. They have taken some other decisions to remove the grievances of the farmers. For example, support price will be given in Andhra Pradesh, particularly for paddy and sugarcane. Such measures, which were taken in the interest of the farmers, should also be extended to the other formers, so that the farmers can feel very happy.

The agricultural loans should be disbursed in time. Suppose the loan is required in the month of June but it is disbursed only in August or September, it causes a lot of inconvenience to the farmers. So, I would request the hon. Minister to ensure that the loan ass stance is given properly and in time.

I now want to refer to one or two grievances faced by Andhra Pradesh, particularly this year. I am thankful to the Minister for releasing Rs. 27 crores in last quarter to the drought affected areas. Even this is very little. In fact, a Central Team had visited Andhra Pradesh and given a report. We do not have water to drink and so the people have to face a lot of difficulties in that area. I would request the Minister to take a liberal view towards the drought affected areas and see to it that amounts are released, as desired by the State Government so that it will help the farmers to some extent.

We have been continuously facing natural calamities for the last five years. One year there was a cyclone in which thousands of people were killed. Next year there was again another cyclone. Last year there was drought and this year also it is continuing. So, we are facing a lot of difficulties and we are finding it difficult to face the people because they rightly ask what the government is doing. Since the funds allotted to the State Government are not sufficient ,I would request the hon. Minister to see that at least Rs. 100 crores are allotted to Andhra Pradesh so that it may help them to some extent. I would also suggest that some permanent measures, and not temporary measures, should be taken in respect of drought. When

[Shri Anantha Ramula Mallu]

that money comes, we will distribute more fertilizers and other things. But this is not the way of doing it. I would suggest to the hon. Minister to kindly take up some irrigation projects and see that permanent measures in respect of drought are taken. In Andhra Pradesh, the Bhima project in Mehaboobnagar district should be taken up. At the same time, the Jurala project on the Krishna river in Mehaboobnagar district may also be kept in view while releasing funds to Andhra Pradesh.

With these points I once again thank the Government and also our hon. Minister in particular and I support the Demands for Grants.

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हमें आंकड़ों के माध्यम से यह बताया है कि हमारी राष्ट्रीय विकास की दर कृषि के माध्यम से 4 प्रतिशत होगी और कुल राष्ट्रीय विकास की दर 5.2 प्रतिशत है। अब आप अन्दाजा लगा ले कि सारे देश का भविष्य किस प्रकार किसान के भविष्य पर निर्भर करता है। हमारे राष्ट्रपति भी किसान बनने में अपना स्वाभिमान महसूस करते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय जाखर साहब भी किसान बनने में अपना स्वाभिमान महसूस करते है और राव वीरेन्द्र सिंह जो भी मैं मानता हूं किसान है और किसान कहलाने में वह भी स्वाभिमान महसूस करते होंगे.....

एक माननीय सदस्य : इस में शक क्या है ?

श्री चतुर्भुज : मुझे इस में शक नहीं नहीं सारी बातों के ऊपर शंका है क्योंकि जो ऐक्चुएल किसान है उस की दशा का सर्वे करा कर देखें तो हिन्दुस्तान का सारा नक्शा सामने आ जायेगा और उस में आप को मालूम पड़ेगा कि 94 परसेंट के अन्दर ये अंबेराय के फार्म, बिरला के फार्म, राव वीरेन्द्र सिंह के फार्म, जाखर साहब के फार्म और ये जितने बड़े बड़े पोलिटिकल लीडर्स हैं उन के फार्म आ जाएंगे। फिर भी किसान कहलाने में ये अपना स्वाभिमान महसूस करते हैं लेकिन एक्चुएल किसान जो गांवों के अन्दर रहता है उसकी दशा आप देखें, शिक्षा के अन्दर आप सर्वे करा कर देख लें 11 परसेंट भी उस का नम्बर उस में नहीं है जब कि 76 परसेंट ऐसे लोग गांवों के अन्दर रहते हैं जो किसान है। पढ़े लिखे लोगों में 11 परसेंट भी वह नहीं आते है। उन की औरतें, उनके बच्चे दो प्रतिशत भी उस में नहीं आते है। आप सर्वे कराकर देखें तो जितने आपके फार्म इंस्टीच्यूट्स है, जितने शिक्षा केन्द्र हैं, उन के अन्दर किसानों के कितने बच्चे है, एक परसेंट भी वह उन के अन्दर नहीं हैं। इस के बावजूद भी वह करते हैं कि किसानों के लिए सब कुछ कर रहे है और आज किसान के लिए कहते हैं कि गेहूं का भाव 130 बढ़ा दिया। मैं निवेदन करूं अगर पूरा कृषि सर्वे कराएंगे तो आप को मालूम पड़ेगा कि पचास प्रतिशत व्यक्ति या यों कहना चाहिए कि गांवों में रहने वाले केवल शकल से मनुष्य कहलाते हैं वरना वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं जिन के पेट में कभी गेहूं की रोटी नहीं जाती है, जिन के पेट में कभी ज्वार की और मक्के की रोटी नहीं जाती है, ऐसे लोग कृषि के अन्दर है। उन की वास्तविक अवस्था को देखें तो मालूम पड़ेगा कि ऐक्चुअल किसान कौन हैं। इस के मूल कारण का निदान आप नहीं कर सकते। आप जो यह कहते हैं कि खेती के लिए हम ने बहुत बड़ा मापदण्ड कायम किया है और उस की सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि आप उस

की ओर बढ़ रहे हैं, इस में दो मत नहीं हैं, लेकिन इस के पीछे आप इस की सफलता को नहीं आंक सकते ।

मैं आप को यह बताऊं कि देहात के अन्दर खेती के ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है । 94 परसेंट व्यक्ति तो बड़ी खुशी से उस के अन्दर कमाई कर ले जायेंगे जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग है लेकिन गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है । जो कृषि के अन्दर पूंजीपति लोग है उनके पास तो साइड बिजनेस है और जो वास्तविक किसान है उन के पास कोई साइड बिजनेस नही है । न उन के बच्चे बढ़ सकते हैं, न स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते है, न अच्छे कपड़े पहन सकते है, वह कहीं रह नहीं सकते है । आप की दिल्ली के अन्दर जो रैली हुई आप ईमानदारी से रैली करते तो आप रैली के अन्दर लाखों को तो छोड़ो, अगर अपने खर्चे से वह आते तो हजारों व्यक्ति भी नही इकट्ठे हो सकते थे । आप केवल राजनीतिक भाषणबाजी के आधार पर ही किसानों की सेवा करना चाहते हैं, असलियत में आप उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं । आपकी रैली में जो किसान आते है उनको तो आप किसान मानते हैं लेकिन जो किसान विरोधी दलों की रैली में आते है उनको आप किसान ही नहीं मानते । कर्नाटक में आप किसानों पर गोली चला रहे है । दक्षिण भारत के किसान कहते हैं कि उनको दिल्ली ले गए जहां उनको न तो पानी मिला और न रोटी मिली ।

कृषि के क्षेत्र में अनुसन्धान के माध्यम से अगर कोई विकास हुआ है तो उसका सारा श्रेय वैज्ञानिकों को है लेकिन उन वैज्ञानिकों के लिए आप क्या कर रहे हैं. मैं आपको राजस्थान के देहात की हालत बताना चाहता हूं जहां पर भेड़-ऊन केन्द्र के बने हैं. वह जयपुर से 90 किलोमीटर दूर हैं । मालपुरा में वैज्ञानिकों के बच्चों की शिक्षा का कोई साधन नही है । वैज्ञानिक अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं लेकिन वहां पर शिक्षा का कोई साधन नहीं है, बिजली नहीं है और रहने के लिए स्थान नहीं है । हमारे देश में जैसा जातिवाद चला है उसमें एक चमार अपने काम में एक्सपर्ट है, किसान किसानी में एक्सपर्ट है उसी प्रकार से वैज्ञानिकों के बच्चे भी निपुण बने उसकी सुविधा आपको देनी पड़ेगी । आज हमारे ट्रेजरी बेंचेज के लोग दबे मन से धन्यवाद देते हैं और इन्दिरा गांधी का नाम लेकर आशीर्वाद प्राप्त करते है लेकिन अन्तरात्मा में कुछ और होता है । उनकी कई वाणियां चलती हैं । इस तरह से तो किसानों का विकास नहीं हो सकता है ।

इसी प्रकार से यह जो कोआपरेटिव सेक्टर है और उसकी जो संस्थायें है उनके आंकडे तो आपने बहुत अच्छे दिए है और आप पैसा भी दे रहे है लेकिन नाफेड और एन यू सी एल के चेयरमैन पर कितना खर्चा होता ? क्या आप बता सकते है कि एक महीने में वे कितने टूर करते है ? एक खेत मजदूर की एक दिन की मजदूरी डेढ़ रुपया होती है और यहां संसद में एक दिन की एग्रीकल्चर की मीटिंग के लिये हम आते है तो एक दिन का टी०ए० तथा डी०ए० 600 रुपया बनता है । दोनों की आमदनी का यह अनुपात है । आज भी राजस्थान में कितने ऐसे जिले हैं जहां पीने के लिये पानी नहीं है । लोग पानी के लिये तड़प रहे हैं और गावों के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं । दूसरी तरफ़ यहां खेलों के लिये एक हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है । देश में

[श्री चतुर्भुज]

पांच लाख गांव हैं जहां लोग दरिद्र-नारायण का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं। अभी तक गांवों में 5 प्रतिशत लोगों के पास ही बिजली पहुंच सकी है, बाकी लोगों को आप तेल भी नहीं दे रहे हैं। एम०पी०, विधायक या जो दूसरे नेता हैं, उन के घर यदि बिजली पहुंच भी गई तो वह बिजली नहीं कहलायेगी। इसी तरह से एक तरफ़ आप नहर का दावा करते हैं, ट्यूब-वेलों की बात करते हैं, लेकिन उस में कितना भ्रष्टाचार है—5, 6 या 8 बीघे का किसान जिन की संख्या 55 प्रतिशत है, क्या वे 15 हजार कुएं पर खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वे बिजली नहीं ले सकते है। उसके लिए वे ज़मीन गिरवी रखवा देंगे। आपके बैंक से जब पैसा चुकता नहीं होता है, आज की तारीख में आप सर्वे करवा लीजिए, तो उस की भूमि नीलामी हो जाती है। हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा लघु सिचाई के शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की भूमि नीलाम हो रही है। यह मैं आपको असलियत बतला रहा हूं। लेकिन इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं आप कोआपरेटिव बेसिस पर ट्यूब वैलस दे रहे है? वह किसान ट्यूब वैल लगवा सकता है, नहीं लगवा सकता है, लगायेगा ओबरॉय, जिस का दिल्ली के पास फार्म है और दो नम्बर की पूंजी उसमें दिखा रहा है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि पचास साल तक नहर नहीं आयेगी, कुवा नहीं खुदेगा और अन्य साधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम कोआपरेटिव बेसिस पर आप ट्यूब वैल लगवा दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि तीन-चार बीघे के तीन खेतों के बीच में एक कुआं लगवा दीजिए, तो उसका कल्याण हो जाएगा, बिजली पहुंचा दीजिए, तो उसका कल्याण हो जायगा। आपको किसान की खेती को यूनिट मानकर चलना पड़ेगा, लघु उद्योगों को आप यूनिट मानकर चलते हैं, बड़े-बड़े कारखानों को यूनिट मान कर चलते हैं, वहां जो पूंजी लगी होती है, उसको पांच-सात साल तक वसूल नहीं करते हैं। जब मौका आया तो राजस्थान में किसानों को बिजली नहीं दी, लेकिन उद्योग धन्धों को हमारे राजस्थान प्रशासन ने, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने किसानों को अन्धेरे में रख कर उन उद्योग धन्धों को और पूंजीपतियों को बिजली दी। किसानों के खेत से बिजली का काम जब समाप्त हो गया तो कह रहे हैं कि हम 12 घण्टे बिजली दे रहे हैं। जब गर्मियों के दिनों में गांवों में पानी समाप्त हो गया तो कह रहे है कि 12 घण्टे बिजली देंगे। यह बिल्कुल अन्धेर नगरी और चौपट राजा वाली स्थिति हो रही है। राजनीतिज्ञ भी सारे के सारे अन्धेरे में बैठे हैं, असलियत के ऊपर कोई नहीं जाता है। ग़रीबी बढ़ रही है। आज किसान धीरे-धीरे कसबे की ओर बढ़ रहा है, यह धीरे-धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, मैं बता सकता हूं कि क्रान्ति का अवसर आएगा और वे राजनीतिज्ञ को ज़िन्दा नहीं रहने देंगे और न पार्टी को ज़िन्दा रहने देंगे, लेकिन उनकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। आप धीरे-धीरे किसानों की रैली कर रहे हो, लेकिन वह भी आपके अण्डर में नहीं रहने वाला है, और न ही वह उनके अण्डर में रहने वाला है, जो किसानों के अभ्यदाता है। जातिवाद से काम नहीं चलेगा, आपको राष्ट्रीयता को जगाना पड़ेगा, प्रशासन में चरित्र को

जगाना पड़ेगा, कर्तव्य को जगाना पड़ेगा और इन्सानियत को जगाना पड़ेगा, वरना सारा का सारा भ्रष्टाचार रहेगा, चाहे वह एफ० सी० आई० हो, कोआपरेटिव्स हो, निगम हो, संस्थायें हों, चाहे किसी भी चीज को ले लीजिए। ताज्जुब की बात है कि आज किसान कहते हैं कि यह क्या हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप बैंक खोलें तो पंचायत समितियों को इकाई मानकर नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत को इकाई मान कर बैंक खोलिए। उनसे कहिए कि कोआपरेटिव बेसिस पर कुआं लगाइए, पैसा गवर्नमेंट देगी, सब्सिडी मत दीजिए। आप कोआपरेटिव बेसिस पर कुआं लगा दीजिए, ट्यूब वैल लगा दीजिए, फिर देखिए कि हरितक्रान्ति कैसे नहीं आती है। नहरों के द्वारा जब सिंचाई बढ़ेगी तो उत्पादन औटोमेटिक बढ़ेगा, इसमें कोई श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। जब प्रकृति का प्रकोप हो जाता है, तब श्रेय सब समाप्त हो जाता है। कभी पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ जाता है, तो हमारा श्रेय खत्म हो जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे सूखा पड़े, यदि आप गांवों के अन्दर ट्यूब वैल लगा देंगे, हर किसान के पास लाइट पहुंचा दी जाएगी, चाहे प्रकृति नाराज हो जाए, भगवान नाराज हो जाए, राजनीतिज्ञ नाराज हो जायें, शासन नाराज हो जाए, लेकिन उनका विकास कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मूल मन्त्र यह है कि किसान के खेत को इकाई मान कर विकास कीजिए।

आपकी ग्रामीण पुनर्निर्माण की योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन यदि आप उस पर विचार करें। आप अपने स्टेट को शासन प्रणाली से आंकड़े मांगिए कि आपने कितनी रोड्स बनाई हैं, कितनी लिंक रोड्ज बनाई हैं, वहां पर सब भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारी बैठे हैं, वे कच्ची को पक्की रोड बता रहे हैं। कुछ पत्थर डाल दिए और कह दिया हमने सब कुछ कर दिया है, गांव का निर्माण और विकास हो गया है, लेकिन असल में गांवों में एक झोंपड़ी ही है। दिल्ली के आस-पास रहने वाले जो दूध बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता हूं। लेकिन वास्तव में जो देहात दूर आंचलों में हैं वहां आप को एक भी झोपड़ी पक्की नहीं मिलेगी, किसी भी झोपड़ी पर फूस की टाप नहीं मिलेगी। जो गांधी जी का दर्शन था कि भारत गांवों में बसता है, यदि उस को साकार रूप देना है तो सारे मामले पर फिर से चिन्तन करना पड़ेगा, मन्थन करना पड़ेगा, पोलिटिक्स में नहीं जाना पड़ेगा, भाषण नहीं देना पड़ेगा, श्रेय नहीं लेना पड़ेगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन में ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं—जनता पार्टी की सरकार टूट गई थी, इस लिए कि उन्होंने भी किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा था और न आप ही सोच रहे हैं। इस लिए मैं निवेदन करूंगा—

आप नान-पोलिटीशियन बन कर, किसानों के हितैषी बनकर, छोटे काश्तकार, सीमान्त कृषक, गरीब, दरिद्रनारायण बन कर काम करेंगे तब इस देश का उद्धार हो सकता है, वरना गांधी जी और जयप्रकाश नारायण के सपनों का यह देश, जो गांवों में रहता है, किसी भी स्थिति में विकास की ओर नहीं बढ़ेगा। हमारा "जय-किसान-जय जवान" का नारा तब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक उस के पेट की भूख को दूर नहीं करेंगे, उस के तन पर कपड़ा देना होगा, उस को झोपड़ी देनी होगी, तब देश का विकास होगा, देश का विनाश होने से बच जायगा, वरना वह दिन दूर नहीं है जब आप की पालिटिक्स धराशायी होगी, किसान इस पोलिटिक्स को नहीं चलने देगा। आप प्रकाश उन को

[श्री चतुर्भुज]

झोपड़ियों में पैदा कीजिए, उन की खेती को पानी दीजिए, बेकार हाथों को काम दीजिए—तब उन का कल्याण होगा ।

इन शब्दों के साथ—यदि आप इस ओर प्रयत्न करेंगे तो आप का आभारी रहूंगा, यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर आप का शुभचिन्तक भी नहीं बन सकता .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI BALESHWAR RAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, I am thankful to the Hon. Members who have participated in this debate on the Demands for Grants of the Ministries of Agriculture and Rural Reconstruction and who have made valuable comments and suggestions.

My senior colleague Shri Rao Birendra Singh, who is the Minister in-Charge of this Department and under whose able leadership, Mr. Swaminathan and my other colleague Kumari Kamla Kumari and I are working, fully agree with most of the points raised by the Hon. Members.

My purpose in making this intervention is to deal with the issues relating to the Ministry of Rural Reconstruction which have been raised by the Hon. Members and to place before the House a resume of some of the achievements of the Ministry in the year, 1980-81.

The programmes of the Ministry of Rural Reconstruction are oriented in favour of target group comprising of weaker sections like the small and marginal farmers, agricultural labourers, Harijans, Adivasis and rural artisans. These programmes seek to raise the income of the families of the target group above the poverty line, to reduce unemployment and under-employment in the rural sector and to create and strengthen the infrastructure for meeting the basic needs of the poor and to develop the backward areas which have a concentration of Harijans and Adivasis.

The year, 1980-81, has been in many respects a period of remarkable progress in the implementation of our programmes. Even in financial terms, the utilisation of funds in the Ministry of Rural Reconstruction during 1980-81 had been to the extent of 98.75 per cent.

Hon. Members would recall that our Party had promised in its election manifesto that the programmes for the rural poor would be extended to the entire country. I venture to say that this promise has been fulfilled to a great extent.

The Integrated Rural Development Programmes which were in operation in only 2,900 blocs has been extended to 5,011 blocs w.e.f. the Gandhi Jayanti day, the 2nd October, 1980.

Under the IRD programme, initially only 400 families were to be assisted in each blocs in a year. This target has now been stepped up to 600 families.

1 Million families were assisted each year under the SFDA, IID programmes and the subsidy disbursed in the last decade was Rs 364 crores. We have now set for ourselves the target of assisting three million families every year, for which the Sixth Plan outlay on subsidies alone is Rs. 1,500 crores to be supplemented by roughly Rs. 3,000 crores of institutional finance. The outlay on subsidy in proposed to be raised from Rs. 5 lakhs to Rs. 6 lakhs in 1981-82 and to Rs. 8 lakhs per year in the remaining three years of the Sixth Plan. Through the IRD Programme, 15 million families or about 8 crores of the rural poor will be assisted through income-generating schemes to rise above the poverty line. The Programme also takes care to see that the families which are brought above the poverty line are not allowed to come below the poverty line. We have also

provided that at least 30 per cent of the assistance under the programme in the form of subsidy and credit is made available to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The assistance earmarked for them was only 20 per cent so far.

A number of beneficiary-oriented programmes for the rural poor have been in operation like the Small Farmers' Development Agency, Special Livestock Programme, Area Planning for Full Employment, TRYSEM, etc. Now, all the beneficiary-oriented programmes have been amalgamated into the Integrated Rural Development Programme. In order to ensure effective implementation of the programme, district rural development agencies are being set up in each district which will also implement other programmes like the Drought Prone Areas Programme, Desert Development Programme, etc. These agencies will be suitably strengthened with a District Planning Team and adequate staff for attending to block-level planning, provision of credit, village industries, monitoring and accounts. Guidelines for block-level planning have been draw up and issued to ensure optimum utilisation of local resources and to encourage local-level decision-making. We have also decided to strengthen the blocks to enable them to effectively implement the programme. The Government of India is prepared to bear 50 per cent of the expenditure for strengthening the block administration.

The intensity with which the programme is being pursued is evident from the fact that the releases of the Central share in 1980-81 have risen to Rs. 88.58 crores against Rs. 72.50 crores in 1979-80, and for 1981-82 the outlay is Rs. 145 crores. From this it would be clear that, far from failing to provide adequate funds as has been stated by some of the hon. Members, the present Government has considerably expanded the content, the dimensions and the investment in the programme. We are confident that, with vastly increased financial outlays and with improved method of implementation, the Integrated Rural Development Programme will bring new hopes and prosperity for our rural poor whose quality of life we stand committed to improve.

While taking the families above the poverty-line under the IRDP would continue to be the major concern of my Ministry, it is essential to give special attention to certain areas where poverty is largely the result of environmental conditions. Towards this end, Drought Prone Areas Programme and Desert Development Programme will continue to be implemented vigorously.

Some Members have expressed their reservations about the organisation of rural industries and our attempts to combat rural unemployment. We are aware that the agricultural sector cannot alone provide for the increasing rural labour force. An attempt has, therefore, been made in an organised way to assist the target group in securing non-farm employment. The rural industries services and business enterprises component of the IRD was introduced with the target of assisting 100 families in each block in one year. The number has been increased this year to 200 families. Under these schemes programmes covered are Khadi, cottage and village industries, handlooms, handicrafts, tiny and small scale industries, etc. Apart from production units, service industries would also be promoted. Out of the 200 families, 100 would be assisted to undertake manufacturing activity and the remaining 100 to seek employment in service industries, small business enterprises, etc. On an average about 10 lakh families will be assisted every year in getting settled under the ISB component of the IRD.

The scope for services and wage employment being limited, the scheme of training of Rural Youth with the object of self-employment, known as TRYSEM, has been designed and is under implemention. To begin with a modest target of 40 rural youth out of the 600 identified beneficiaries every year in each development block has been fixed with which would help in equipping about 2 lakh rural youth to take to self-employment after acquiring skills relevant for the rural areas. A suitable training infra-structure is being deve-

[Shri Baleshwar Ram]

loped all over the country for the programme. Central Government, State Governments and banks will help such youths in getting self-employed.

The programmes of Khadi and Village Industries Commission have also been greatly expanded to provide employment in the rural areas. Apart from Khadi, 25 village industries are being promoted by the Commission with the assistance of the State Khadi and Village Industries Boards. They have been made responsible for assisting 50 families under the ISB in each block. The schedule of village industries is also being revised to include a large number of village industries within the scope of Commission's activities. A special committee has also been set up for the development of technology and intensification of research in the field of Khadi and Village industries. An outlay of Rs. 480 crores has been provided for the Sixth Plan period for the Khadi & Village Industries Commission. This investment is expected to increase the production of khadi and village industries to Rs. 1200 crores from the existing level of Rs. 419 crores and provide employment to 50.50 lakh persons from the existing level of 27.33 lakhs.

The Food for Work programme which has been restructured into the National Rural Employment Programme has been designed to generate employment opportunities for the rural poor apart from creating durable community assets and living standards of the rural poor. While the Food for Work Programme was being implemented on an *ad-hoc* basis, the National Rural Employment Programme is now an integral part of the Sixth Plan. As a result of the shortcomings which came to light in the evaluation study of the Food for Work Programme made by the Planning Commission, revised guidelines incorporating some basic changes in the programme have been issued. The Panchayats and local bodies are to be closely associated with the preparation and implementation of these projects and contractors are to be kept totally out of it.

In 1980-81, an outlay of Rs. 340 crores was made for this programme. For the first time, a cash component of Rs. 105 crores was provided for acquisition of materials to make assets like rural roads, etc. created by the programme durable. In the year 1980-81, under this programme about 60 crore man-days of employment have been generated.

Some of the hon. Members have expressed doubts about proper implementation of this programme. It will, however, be appreciated that in the implementation of such a massive programme, certain irregularities do take place. According to the evaluation study of the Planning Commission, this programme has become very popular and had a favourable impact on the life of rural community in terms of employment and income.

I quote some of the observations made by the Evaluation Team of the Planning Commission:—

"(1) The pucca link roads have enabled the villagers to take their sick to health centres which were earlier inaccesible during rainy seasons. The construction of link roads within and between villages and towns had made some of the neglected areas now to go in for school buildings and provide educational facilities;

(2) In some of the selected villages the dearth of skilled hands compelled the local people including those belonging to weaker sections of the society to learn non-traditional occupations like carpentry and mason work; thus changing over from their traditional occupations to new occupations;

(3) Thefts and crimes born out of hunger have come down due to the implementation of the programme;

(4) The programme. .

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Wherefrom is he reading?

SHRI BALESHWAR RAM: I am quoting from the Explanatory Report. I shall be coming to the point. Don't worry, Shastri Ji.

"(4) The programme stabilised foodgrains prices (wheat and rice) at a period when these would otherwise have risen. The drought conditions prevailing during the year would have given an impetus to local traders to make hay, had this programme not been there;

(5) The increase in the income of the beneficiaries of the programme did help them in meeting some of their social obligations."

Unfortunately, only the deficiencies of the programme have come to be highlighted. The hon. Members will agree that, the N.R.E.P. is the one single programme which has provided relief to the millions of rural poor at a time when the country was in the grip of a serious drought.

Some hon. Members from West Bengal have been raising the issue of availability of foodgrains in West Bengal for the rural employment programme. We have clarified the position a number of times. Briefly, the position is that a total quantity of 2,44,885 M.Ts of foodgrains was made available to the Government of West Bengal in the year 1979-80. The total utilisation reported by them till 1-4-1980 was 1,14,230 M.Ts for the year 1980-81, a total quantity of 1,75,288 M.Ts only. There has never been any problem in regard to the availability of foodgrains in West Bengal, in fact, the actual utilisation has been below the quantity made available.

The programme will now be financed on a basis of matching assistance between the Centre and the States. Out of the Central share of Rs. 180 crores for 1981-82, a sum of Rs. 90 crores have already been allocated to the States to ensure that there is no delay in providing employment to the rural poor during the lean months.

Some hon. Members have expressed concern over the pace of implementation of land reforms laws. I share their concern and would like to assure them that the commitment of the Government to land reforms is total and unequivocal. As the hon. Members are aware, the responsibility of implementation rests with the States. We have, however, been continuously impressing upon the States to speed up the implementation of land reforms laws. By abolishing feudal intermediaries, more than 20 million tenants have come in direct contact with the States. This in our view is a great achievement. With a view to correcting disparities in land ownership, ceiling laws have been implemented and surplus land distributed to the landless. These laws enacted by State Governments are broadly in tune with the national policy and though implementation at times has not been as effective as we would have liked, yet it cannot be denied that substantial benefit has accrued to a large number of landless families. Under the revised ceiling laws, 17.4 lakh acres of surplus land which has vested in the States, has been distributed to 12 2 lakh landless persons. In the distribution of this surplus land, members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have received adequate attention. The former constitute 41 per cent of the allottees and have been allotted 34 per cent of the land whereas Scheduled Tribes comprise 13 per cent of the allottees with 14.5 per cent of the land falling in their share. Under the old ceiling law nearly 19 lakh acres were distributed and the interests of the landless scheduled caste and scheduled tribe were adequately looked after. As a result of tenancy legislation, 30 lakh tenants and share-croppers have acquired ownership of more than 70 lakh acres of land the tenants have also been protected against rack-renting and unauthorised ejectment. According to the Agricultural Census 1976-77, operational holdings above 10 acres declined by 12.5 per cent relative to 1970-71. The area also declined by 15 5 per cent. I am sure this will allay the fears of the hon. Members in regard to the earnestness of this Government to implement land reforms in the country.

[Shri Saleshwar Ram]

The Central Government and the State Government provide assistance to the tune of Rs. 1.000 per hectare as grant to allottees of surplus land to make the land productive. So far central assistance to the tune of Rs. 15 crores have been provided to the State Governments. There is a provision of Rs. 60 crores for this purpose in the Sixth Five Year Plan. The question of extending this scheme to area excluded from its scope is under consideration.

Some hon. Members from West Bengal have referred to the achievement of West Bengal Government regarding land reforms. As per the report of the West Bengal Government itself the position of distribution of land is as follows:—

Areas of ceiling surplus land distributed	Area vested in the State Govt under the Act	Precentage of area distributed
54,271 acres	1,47,443 acres	36.8%
This is below the national average	which is 45.94%.	
Area declared surplus -	38.05 lakh acres	
Area distributed -	17,48 lakh acres	

Central assistance amounting to Rs. 126.20 lakhs was provided to the Government of West Bengal from the years 1975-76 to 1977-78 for assisting the allottees of ceiling surplus land for making the land productive.

16.00 hrs.

However, utilisation certaificates for only Rs. 9.17 lakhs have been received and, therefore, no assistance could be released after 1978-79 due to non-receipt of utilisation certificates. As a result of this the valuable financial assistance to allottees of surplus land has been denied.

As regards tenancy, hon. Members are aware that tenants have been protected against rack-renting and unauthorised ejectment. In many States tenants have been enabled to acquire ownership rights on payment of a moderate fee.

I can assure the hon Members that under the dynamic leadership of Mrs. Indira Gandhi the Government is committed to protect the rights of small landholders and allottees of surplus ceiling land and home-stead lands. We shall take steps to ensure that they are not evicted from their rightful possession.

Another important programme of the Ministry which I would like to mention is the development of Agricultural Produce Markets. My Ministry has been providing necessary financial assistance to the State Governments for regulation and development of Agricultural Produce Markets to bring them within easy reach of the farmer and to create a condition under which the farmer is not forced to make distress sale of his produce.

The programme was launched in the year 1972-73 and grant-in-aid of Rs. 10.34 crores for the development of 327 selected regulated markets has been advanced to the States. As against a provision of Rs. 131.75 lakhs during 1979-80, Rs. 225.54 lakhs have been advanced during 1980-81 for selected regulated markets. Similarly, as against sanction of Rs. 252.90 lakhs during the year 1979-80 a sum of Rs. 446.55 lakhs was given as grant-in-aid for the development of rural markets. Our main thrust in the remaining years of Plan would be on developing the rural markets in the country.

The Agricultural Refinance Development Corporation (ARDC) is financing the development of agricultural produce markets. Efforts are also being

made to obtain institutional finance from international financing agencies. A project for the development of 59 regulated markets in Bihar with the assistance of the World Bank has been recently completed and a similar project for the development of 39 markets in Karnataka is nearing completion. In 1980-81, a project for the development of 115 markets in Uttar Pradesh with assistance from the European Economic Commission has also been approved. This project is scheduled to be completed by December, 1983. Rajasthan, Bihar, and Tamil Nadu are preparing large-scale projects for the development of markets which would be placed before the ARDC and, if necessary, before international financing institutions. We would like other States also to prepare such projects.

Hon. Members have also shown interest in the scheme for the establishment of a national grid of rural godowns. Some doubts have been expressed about the success of the scheme which is perhaps based on the fact that during the year 1979-80 against an outlay of Rs. 2 crores only Rs. 16 lakhs were spent I would like to inform the House that during 1980-81, the financial and physical targets under the scheme have not only been achieved but have even been exceeded.

As against assistance for only 136 godowns during the year 1979-80, assistance for as many as 1308 rural godowns have been given during the year 1980-81, which shows that the programme has been stepped up ten times.

Sir, as the subject of Rural Development is of vital importance, I took this opportunity of apprising the House of the various steps taken by the Government to tackle the problem of poverty and unemployment in the rural areas. I am grateful to the Chair and the hon. Members for giving me a patient hearing.

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राव साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे खुशी इस बात की है कि एक काश्तकार हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ जो मैंने कट-मोशन्ज रखे हैं उसके बारे में यह भी निवेदन करना चाहूंगा गंगा तो स्वर्ग में थी, पर जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं उतरी, उस गंगा का पूरा फायदा नहीं मिल सका था। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरी लम्बी-चौड़ी बातें रिपोर्ट में बताई गई हैं, तो यह गंगा आपकी रिपोर्टों में और कागज पर अभी है, जब तक यह सारी चीजें कार्यान्वित हो कर काश्तकार के घर तक नहीं पहुंचेंगी तब तक आपकी यह गंगा शिवजी की जटाओं में ही अटक कर रह जायेगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप देश के अन्नदाता हैं और साथ ही साथ काश्तकार के संरक्षक भी हैं। आपकी डबल ड्यूटी है खाली सरकार की तरफ आपकी जिम्मेदारी, वफादारी या जवाबदेही नहीं है, बल्कि आपकी जवाबदेही कृषक के प्रति भी है। आपको अपनी इस डबल ड्यूटी को अंजाम देना है।

पहले मैं आप से अन्न की उपज के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। अन्न की उपज चार चीजों पर डिपेंण्ड करती है। पहली बात उन्नत बीज, दूसरी चीज पूर्ण तादाद में खाद, तीसरी चीज पूरा पानी, चौथी कीटाणु और बीमारी से रोकथाम और पांचवीं चीज जो जरूरी है वह यह है कि काश्तकार के खेत को एक-एक इंच जमीन पैदा करे, एक इंच भी खाली न पड़ी रहे। इस तरह की आपकी प्लानिंग होवे।

मैं शुरू में बीजों के बारे में दो बातें निवेदन करना चाहूंगा। बीज देने के लिए सबसे बड़ा आर्गेनाइजेशन है नेशनल सीड्स कार्पोरेशन। मैंने पिछली बार भी, जब डिबेट चली थी, इस के बारे में निवेदन

[श्री भीम सिंह]

किया था कि नेशनल सीड्स कार्पोरेशन के किसी भी भंडार पर चले जायें, वहां पुराना बीज ही मिलेगा। गेहूं का बीज मांगेंगे तो कहेंगे, कल्याण सोना ले लो, ज्यादा कहेंगे तो सोना लीका ले लो। आपने यह रिपोर्ट पिछले साल भी दी, इस साल भी रिसर्च की रिपोर्ट दी है। इसमें आपने नई वैराइटीज रखी है, लेकिन वहां कोई भी बीज एवेलेबल नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि थोड़ा इलूजन में आप न रहें। आपकी रिपोर्ट में दिया गया है कि कण्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आपकी जो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट आफ फूड, इसी अंदर आपकी जो फिगर 1978-79 के है उनमें 131-90 मिलियन टन था और 1979-80 में यह 108.85 मिलियन टन हुआ। इसमें 23.05 गिरा। आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि :—

Para "(3.4)" The overall outlook for the crop year 1980-81 thus appears to be quite favourable and the total production of foodgrains in 1980-81 may even surpass the record level of 132 million tonnes reached in 1978-79."

मैं इतना ही वार्निंग के रूप में अर्ज करूंगा कि जो आंकड़ों और एस्टीमेट्स निकले हैं, यह पटवारियों और ग्राम सेवकों की रिपोर्ट पर निकले हैं जो बैठे-बैठे लिखी गई है। आपको एक और इण्डीकेटर की जरूरत है। आपकी खुद की रिपोर्ट में आपने राइज आफ प्राइस इण्डैक्स के बारे में दिया है। इस रिपोर्ट के पेज 5 पर आपने प्राइस इण्डेक्स दी है जो कि किसी चीज के प्रोडक्शन का इंडीकेटर होता है।

जैसे सोने का भाव बढ़ेगा तो सारी चीजों का भाव बढ़ेगा। वैसे आपकी प्रोइसेस में भी है। ह्वीट के बारे में, आप खुद ही लिख रहे हैं कि आपकी दिसम्बर 1980 का जो इण्डैक्स है वह 10.8 परसैण्ट पिछले साल 1979 के मुकाबले में ऊंचा हो गया।

ज्वार के अन्दर आपका प्राइस राइज कर गया। दिसम्बर, 1979 के मुकाबले में दिसम्बर, 1980 में ज्वार का इण्डैक्स 17.8 परसेंट हाई हो गया।

बाजरे का 1979 का जो दिसम्बर, का फिगर था वह 98 था और वह इण्डैक्स 3.6 परसेंट हाई चला गया। मक्का ले लीजिये 1980 का प्राइस इण्डैक्स प्रीवियस ईयर से 2.7 परसैण्ट हाई चला गया।

पल्सेस का इण्डैक्स बहुत ही ऊंचा हो गया है? आपकी खुद की रिपोर्ट के मुताबिक 48.4 परसेंट हाई हो गया है।

यह आपके प्राइस इण्डैक्स है जो आपके इस ओर के द्योतक है। आपके जो प्रोडक्शन का नम्बर है, वह जितना ऊंचा उमीद कर रहे है, उतना ऊंचा नहीं जायेगा। भगवान् करे कि जाए, हम भी चाहते है कि जाए। हम अगले साल बता सकेंगे कि सरकार का अन्दाजा और उसके आंकड़े सही निकले या ग़लत। मैं तो वार्निंग के रूप में मंत्री महोदय को सचेत करना चाहता हूं।

जहां तक बीजों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब बीज ऐवेलेबल नहीं होते है। मल्टीपल क्रापिंग की स्कीम तभी कामयाब हो सकती है, जब कि शार्ट ड्यूरेशन के बीज ऐवेलेबल हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि चार चार क्राप्स उगाई जाएं। लेकिन बसाखी,

मूंग का सीड ऐवेलेबल नहीं है। गेहूं कट रहा है और मानसून क्राप आने वाली है। इन दोनों के बीच में बैसाखी मूंग और चौला की क्राप उगाई जा सकती हैं। लेकिन काश्तकारों को उन दोनों के बीज ऐवेलेबल नहीं हो रहे हैं।

आज गवार खाली एक फ़ाडर क्राप नहीं रह गया है, वह एक कामर्शल क्राप हो गया है, क्योंकि गम का एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडियन फ़ार्मिंग में निकाल दिया गया है कि गवार की 11 वैरायटीज में से दो वैरायटीज, आई सी 9065 (सोना) और आई सी 11521 में हाई गम परसेंटेज पाया गया है। लेकिन ये दोनों सीड मार्केट में ऐवेलेबल नहीं हैं।

आखिर यह सारी रिसर्च किस के लिए हो रही है? —काश्तकार के लिए, लेकिन अगर काश्तकार को सीड आदि ऐवेलेबल न हों और केवल पब्लिकेशंस में उनका समाचार छप जाए, तो इससे सरकार को शाबाशी नहीं मिलने वाली है।

आज रिसर्च के क्षेत्र में यह गड़बड़ी क्यों हो रही है? जब श्री ज्योतिर्मय बसु यहां पर आई सी ए आर के बारे में रेजोल्यूशन लाए थे, तब भी मैंने अर्ज किया था कि साइंटिस्ट्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को मिटाना चाहिए और उनके लिए आई ए एस अफ़सरों और सेक्रेटेरियट की हाजिरी देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या सरकार ने उन लोगों को इस समस्या से मुक्ति दिलाई है? उसके लिए क्या किया है?

आज की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज काश्तकारों के मंदिर हैं, लेकिन उदयपुर की यूनिवर्सिटी हो, हरियाणा की यूनिवर्सिटी हो या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो, सब में झगड़े फैले हुए हैं। वे आपसी दंगल के अखाड़े बने हुए हैं। ऐसे सब झगड़ों को मिटाने की जरूरत है। फ़ार गाड्ज सेक इन यूनिवर्सिटीज को पालिटिक्स से दूर रखें। स्ट्रांग्ली डील करें और जो कोई भी झगड़ा या पालिटिक्स फैलाता है, उसको मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। उसके साथ कोई सिम्पथी नहीं होनी चाहिए। हमें रिजल्ट्स की जरूरत है। इन यूनिवर्सिटीज को बचाना चाहिए।

हमारे लिए कैमिकल फ़र्टिलाइजर्ज बहुत जरूरी हैं। हमारे यहां आर्गेनिक मैनयुर इतना ज्यादा नहीं है कि वह सारी खेती की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इम्प्रूव्ड वैरायटीज में तो बगैर फ़र्टिलाइजर के काम नहीं चल सकता है। सरकार यूरिया की सप्लाई को कण्ट्रोल कर पाई है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। फ़ास्फेटिक फ़र्टिलाइजर्ज की भी आवश्यकता है। यूरिया तो टाप ड्रेसिंग में दिया जाता है, लेकिन बेसिक डोज के लिए सी ए एन या एमोनियम सल्फेट की जरूरत है। लेकिन डिपार्टमेंट राजस्थान को बिल्कुल एमोनियम सल्फेट नहीं दे पा रहा है। सरकार कहती है कि आयलसीड्ज की पैदावार बढ़ाई जाए। उसके लिए सल्फर की रेक्वायरमेंट एमोनियम सल्फेट ही पूरा कर सकता है, लेकिन वह ऐवेलेबल नहीं हो पाया है।

हमारे यहां राजस्थान में फ़ास्ट आता है। सरसों की खेती को यू० पी० में कच्ची खेती कहते हैं और गेहूं की खेती को पक्की खेती कहते हैं। राजस्थान को रेपसीड और मस्टर्ड की ऐसी वैरायटीज देनी चाहिए, जो फ़ास्ट-रेसिस्टेंट हों। वहां बिजली कम दी जा रही है। सरसों में कम पानी लगता है। कम पानी में भी वे वैरायटीज कायमभाव हो सकेंगी और काश्तकार को पैसा मिल सकेगा।

[श्री भीम सिंह]

पेट्रोलियम एण्ड कैमिकल्स मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर डीबेट के दौरान सुखाड़िया साहब ने कहा था कि सीकर और उदयपुर में राक फ़ास्फ़ेट का अतुल भंडार पड़ा हुआ है। फ़ास्फ़ेटिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। ताकि आप को फ़ास्फेटिक फर्टिलाइजर मिल सके। खेतरी कापर प्रोजेक्ट ने शुरू किया था, डी ए पी का थोड़ा सा प्रोडक्शन चला लेकिन फिर रुक गया। जितने भी आप के सीरियल्स हैं पल्सेज हैं, ग्राम है, इन सब को डी ए पी की सख्त जरूरत है। डी ए पी सब से एकोनामिकल फर्टिलाइजर है जो आप को फ़ास्फ़ेट दे सकता है। बाकी अगर आप सुपर फास्टफेट और यूरिया को मिला कर देते हैं, तो वह कास्टली पड़ता है।

दो तीन इम्पार्टेंट बातें कह कर मैं समाप्त कर रहा हूं, जैसे पानी है, आदमी के ब्लड लाइन के अन्दर जैसे ब्लड है ऐसे ही काश्तकार के लिए पानी है, अगर काश्तकार को पानी नहीं देंगे तो कोई काम नहीं चलने वाला है। पानी के लिए मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप का जो रावत भाटा वाला ऐटामिक स्टेशन है वह हमारे यहां राजस्थान की 42 प्रतिशत रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हर साल वह फेल हो रहा है। राजस्थान के किसान को अगर आप को बचाना है तो आप इस को वहां पर कामयाब करिए और वह कामयाब नहीं होता है तो थर्मल पावर दीजिए। राजस्थान के काश्तकार को आप बिजली के लिए बिल्कुल एश्यर कीजिए। बिजली के लिए हम आप पर डिपेंड कर रहे हैं। जब तक राजस्थान के काश्तकार को आप बिजली नहीं देंगे तब तक उस की हालत कतई नहीं सुधरेगी। इधर तो भगवान हमें प्रति एक वर्ष छोड़ कर अकाल करके मारता है और उधर राज मारता है बिजली न दे कर। तो हम तो राज और राम दोनों के बीच आ गए दोनों हम को वर्षा और बिजली के अभाव से मारने लग गए। राजस्थान के किसान को आप बचा सकें तो आप की बड़ी मेहरबानी होगी।

तीसरी बात—मैं बिजली के बारे में निवेदन करूंगा, राजस्थान ने ही हिन्दुस्तान के अन्दर शायद लीड लिया है फ्लैट रेट से बिजली काश्तकार को दे कर। मीटर सिस्टम हमारे यहां से हटा दिया है क्योंकि ये बिजली विभाग वाले बहुत तंग करते हैं, पैसे एठना चाहते हैं, बिजली की लाइन काट देते हैं। फ्लैट रेट करने से किसान को यह इन्सेंटिव है कि पैसा तो उतना ही लगेगा, बिजली चाहे जितनी मैक्सिमम यूज करो और मेक्सिमम यूटिलाइजेशन उस से पानी का हो रहा है। यह फ्लैट रेट दस हार्स पावर तक का किया है। मैं चाहता हूं कि 20 हार्स पावर तक का होना चाहिए। आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करें, उस का रेट चाहे वह इक्वीज कर दें।

पानी के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले एक स्कीम बनी थी गंगा की नहर की जिस से सीकर, झुंझुनू नागौर और चूरू इन चारों जिलों को जो किसी कैनाल के अन्तर्गत नहीं आते थे उन को पानी देने की योजना थी; इस योजना को और आगे बढ़ाइए।

चौथा प्वाइंट मैं कीटाणु के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। ह्वाइट ग्रब एक विग मीनेस है। मैंने पहले भी निवेदन किया यह हमारे यहां भी पहुंच गया, पंजाब में भी पहुंच गया। आप कहेंगे कि थिमेट इसका आन्सर है लेकिन मैं कहूंगा

कि चिमेंट इस का आन्सर नहीं है, वह प्रैक्टिकल नहीं है। चिमेंट जा कर दस किलो लगता है और उस की कास्ट 280 रुपये पड़ती है। 280 रुपये चिमेंट एक एकड़ पर यूज कर के काश्तकार उस में कुछ नहीं बचा सकता। आप अगर रिसर्च कराइए, बाजरे को, ज्वार को, मक्के को, पोटैटो को मूंगफली को सब को यह खत्म कर रहा है। अगर आप इस को कण्ट्रोल नहीं कर पाये तो यह सब को खत्म कर देगा।

अगला निवेदन मैं करूंगा, डिजेल की शार्टेज चल रही है। मैंने पहले भी इसके बारे में निवेदन किया था। इसलिए आप बुलक ड्रिवेन इम्प्लीमेंट स्टार्ट कीजिए।

आपने पिछली डिबेट में वादा किया था कि हम मल्टीपल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल अवेलेबल करेंगे। वह अभी तक आप की रिपोर्ट मे ही है, काश्तकार को अवेलेबल नहीं है।..... (व्यवधान)..

अब मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह तो हुआ अधिक अन्न के लिए, अब काश्तकार को अधिक धन भी आप दीजिए। उसको एम्पलायमेंट दीजिए। जो ऐग्रीकल्चर ग्रेज्युएट्स हैं उन को कैनाल एरिया में मुरबे दीजिए, उनको सेल्फ एम्प्लायमेंट के लिए स्कीम बना कर दीजिए। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अपने खेत पर जा कर सेटिल होते हैं उन को आप कुछ प्रोत्साहन दीजिए।

एनीमल हस्बैंड्री के बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा। आज जो आप परचेज कर रहे हैं वह फैट परसेंट पर दूध ले रहे हैं। इस को आप एस एन एफ पर लीजिए, फैट परसेंटेज पर नहीं, तभी आप भैंस के दूध के बराबर उस को पैसे दे सकेंगे। उसी से क्रास ब्रीड काउज के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और काश्तकार को पैसे मिलेंगे।

एक बात और काउस्लाटर के बारे में कहना चाहता हूं। आप ने जो मेजर हैड 510 दिया है उस के अंदर स्लाटर हाउस के लिए 1 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया है। मैं आप से कहूंगा कि भगवान कृष्ण भी यादव थे, और आप भी उन्हीं के वंशज हैं, वह यहां गोपाल बने थे, तो राव साहब, आप कम से कम इन गायों को तो बचाओ। आप कहेंगे कि वह एकानोमिकल नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि डा० सुन्द्रेशन और जी० डी० सिंह कर्नल वालों ने यह साबित कर दिया है—स्लाटर हाउस को जो गाय जा रही थी उस को रोक कर उन्हों ने क्रास ब्रीड के प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया और तीन तीन हजार की बछड़ी उन्हों ने दी। They have paid their price. हरियाणा की गायों और साहीवाल गायों को कलकत्ता और बम्बई के लोग खरीद कर ले जाते हैं। जब वे दूध देना बन्द कर देती हैं तो उन को स्लाटर हाउस में भेज दिया जाता है। जब मैं 1962 में, राजस्थान में, एग्रीकल्चर का डिप्टी मिनिस्टर था, मैं ने दो अफसरों को कलकत्ता भेजा था और वहां स्लाटर हाउस में जाने वाली गायों को खरीद कर राजस्थान वापस मंगाया था। आप भी यह एशोरेंस दे दें कि स्लाटर-हाउस में गायें नहीं कटेंगी, बुल नहीं कटेंगे तो हम मान लेते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप की रिपोर्ट के पेज 99 पर जो स्लाटर हाउस के बारे में लिखा है उस में गाय का नाम नहीं है, बफेलो का ही नाम है। इस के लिए नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट है उस के पेज 896 पर लिखा है—

"A modern abattoir in Deonar, Bombay has been established by the Greater Bombay Municipal Corporation with an investment of nearly

[श्री भीम सिंह]

Rs. 4.25 crores. About 7,000 sheep and goats, 500 to 600 bullocks and buffalos, and 200 pigs are being slaughtered daily in this abattoir."

इस में बुलक्स का नाम है। चूंकि गोवध से लोग नाराज होते हैं इस लिये गाय का नाम हटा दिया गया है।

मैं अन्त में आप से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे शास्त्री जी ने "जयजवान-जयकिसान" का नारा दिया था, उसी तरह से आप "देश को अधिक अन्न-किसान को अधिक धन" नारा दीजिये। इतना ही कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारा देश भारत गांवों में रहता है और देश की 70 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। इसलिये इस देश की समृद्धि खेती के विकास और उस के आधुनिकीरण पर निर्भर करती है। इस देश की अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और कृषि विकास की गति सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की गति का निर्धारण करती है। चूंकि कृषि का इतना महत्व है, इसी लिये महात्मा गांधी जी ने यह बात चाही थी और इस पर बहुत जोर दिया था कि हमारा ध्यान शहरों की तरफ से गांवों की तरफ जाने का होना चाहिये लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रुख बिल्कुल इस के खिलाफ है। बजाय शहर से गांवों की तरफ जाने के, गांवों की तरफ से शहरों में आने का रुख हो गया है। हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी है, वे शहरों में रहते हैं। एक पुरानी परम्परा थी कि जिला अधिकारी और एस० डी० एम० अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और 90 रातें गांवों में बसते थे, परन्तु आज वह परम्परा समाप्त हो गई है। आज इस पर कोई जोर नहीं रह गया है। अगर जिला अधिकारी कहीं दौरे पर गया भी तो रात में वहां नहीं ठहरेगा, लौट कर अपने हैड क्वार्टर पर चला आयेगा। जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे भी गांवों से दूर रहते हैं। इस का एक परिणाम यह है कि सरकार की तरफ से योजनायें बनाई जाती हैं उन का कार्यान्वयन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है इस की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है।

परिणाम यह होता है कि योजनायें अच्छी से अच्छी बनती हैं, लेकिन उन का उस रूप में कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पर, सरकार ने इस दृष्टि से कि फर्टिलाइजर का दाम काफी बढ़ गया है और इस का बुरा असर जनता के ऊपर और गांव पर न पड़े, यह व्यवस्था की थी कि जो फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी मिल रही थी, वह 1980—81 में भी जारी रखी जाए, उन क्षेत्रों में जो सूखे से प्रभावित थे। लेकिन चूंकि ध्यान उस की तरफ नहीं है अधिकारी गांवों में जाते नहीं है, परिणाम यह हुआ कि इस का पूरा लाभ किसानों को छोटे किसानों को और सीमान्त किसानों या हरिजनों को नहीं मिल पाया है, बहुत कम लोगों को इस का लाभ हुआ है और कहीं-कहीं पर तो बड़े किसानों ने उस का लाभ उठाया और कहीं पर वह ब्लैकमार्केट में चला गया।

इसी तरह से जो गांवों के विकास की योजनायें हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना है या समन्वित ग्राम विकास योजना है, उस के अन्तर्गत जो बैंकों से ऋण, उन लोगों को जो लाभान्वित होते हैं, दिए जाते हैं, उस ऋण में जो उन को सब्सिडी मिलती है, उस का समायोजना बहुत देर से हो पाता है, परिणाम यह होता है कि उन ऋणों पर, ब्याज बहुत देर तक चलता है और देर के बाद जब समायोजन होता है, तब जा कर के वह इतनी रकम के ब्याज से छुटकारा पाते हैं। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, जिन की तरफ

अधिकारियों का ध्यान नहीं आता है, जिनकी कि जिम्मेवारी है कि सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन करायें, लेकिन वे करा नहीं पाते हैं और परिणाम यह होता है कि किसान असंतुष्ट रहता है और उसका असंतोष सुलगता रहता है। किसान स्वाभाविक रूप से शान्त लोग हैं, इसलिए वह बहुत दिनों तक बर्दाश्त करता है। लेकिन कभी कभी उस का परिणाम यह होता है कि आग सुलगते-सुलगते बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है, उसको मजबूर कर देती है कि वह अपने हकों को मांग करे या जिस तरह से उसकी उपेक्षा हो रही है, उसको दूर करने की मांग करे।

श्रीमान्, इसी रूप में यह भी कहा जा सकता है कि किसान का ध्यान कम है, इस वास्ते जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, उसका निर्माण स्वरूप भी इस बात को सिद्ध करता है कि किसान की तरफ उन का ध्यान नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे लोग रखते हैं, जिनका कि किसानों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। गांव की जानकारी वह कुछ रखते नहीं हैं। उसमें ऐसे लोगों को रखा जाता है, जिनको कि खेती के बारे में, वहां के किसानों की आवश्यकताओं के बारे में, उनको कितना परिश्रम करना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। इसलिए जब वे मूल्य निर्धारण करते हैं तो जो किसानों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, वह हमदर्दी नहीं हो पाती है और उनका ज्यादा ध्यान कन्ज्यूमर्स की तरफ रहता है। कन्ज्यूमर्स को ज्यादा दाम न देने पड़ें। इस तरह से जब किसानों में संतोष नहीं रहेगा, पैदावार कहां से होगी और कहां से कन्ज्यूमर्स को सामान उनकी इच्छा के मुताबिक मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि सरकार की कार्य विधि भी इस बात को साबित करती है, जब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने पिछली तीन बार अर्थात् जब धान की कीमत की उन्होंने सिफारिश की, गन्ने की कीमत की सिफारिश की और गेहूं की कीमत की सिफारिश की, तो इन तीनों सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना। उस से ज्यादा दाम मुकर्रर किया, इससे साबित होता है कि सरकार खुद महसूस करती है कि उनका जो कांस्टीच्यूशन है, जिस तरह के लोग उनमें हैं, वे पूरी हमदर्दी के साथ उस पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए मेरी यह मांग है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन को इस रूप में समाप्त करना चाहिये और उस में ऐसे लोग रखने चाहियें जिनको खेती के बारे में जानकारी है, जो किसानी का अनुभव रखते हैं, जो खेती के विशेषज्ञ हैं, देश के विभिन्न भागों से ऐसे लोगों को रखा जाय, तभी वे पूरी हमदर्दी के साथ किसानों के हालात को जानते हुए कृषि उपज के मूल्यों के बारे में सिफारिश कर सकेंगे, वरना जैसी हालत आज चल रही है, वैसी ही हालत बनी रहेगी।

गेहूं की कीमत जो सरकार ने मुकर्रर की है, उसके सम्बन्ध में इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, दाम जितने बढ़ने चाहिये थे उतने नहीं बढ़ाये गये। 117 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर, 130 रुपये प्रति क्विंटल किये गये हैं, लेकिन आज इस वक्त जो गेहूं की रायज-कीमतें हैं प्रेवलेन्ट कीमतें हैं, उनको देखते हुए 130 रुपये प्रति क्विंटल कीमत काफी मालूम नहीं होती है, इससे कुछ और ज्यादा होनी चाहिये। लेकिन यह बात अपनी जगह पर सही है कि इस साल काफी दाम बढ़ाये गये हैं, लेकिन आज जो कीमतें हैं उसके अनुरूप वह काफी नहीं महसूस होती हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर और ज्यादा बढ़ायेंगे तो कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी।

श्री जयराम वर्मा : ऐसा कन्ज्यूमर्स के लिये कह सकते हैं कि उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में वे नहीं बढ़ेंगी क्योंकि आज की स्थिति में बाजारों में

[श्री जयराम वर्मा]

कीमतें ज्यादा हैं। ऐसी हालत में किसान अपने गेहूं को उन केन्द्रों पर, जो खरीद के लिये स्थापित किये गये हैं, बेचने के लिये नहीं ले आयेगा और इसका यह परिणाम होगा कि सरकार को अपनी वितरण व्यवस्था को ठीक से जारी रखने के लिये जितने गेहूं की आवश्यकता है, शायद उतना गेहूं मिलने में कठिनाई होगी, जब तक इस बात पर जोर नहीं दिया जाएगा, प्रधान मंत्री या कृषि मंत्री की तरफ से राज्य सरकारों पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे अच्छी तरह से इस काम में जुटे, पूरा परिश्रम करें, पूरी ताकत लगायें, तब तक जिस 95 लाख टन गेहूं की हमको वितरण प्रणाली के लिये आवश्यकता है, वह नहीं मिल सकेगा। एफ० सी० आई० का भी इसमें पूरा योगदान लीजिये, उसको ऐसे स्थान दीजिये जहां से वह ज्यादा से ज्यादा केन्द्र सरकार की वितरण प्रणाली को ठीक से चालू रखने के लिए खरीद सके। इस तरह का इन्तजाम करना होगा।

इस में आशा की एक किरण यह है कि हमारी प्रधान मंत्री जी को किसानों के बारे में काफ़ी हमदर्दी है। वह किसानों की कठिनाइयों और दुख-दर्द को समझती है, उनके विकास के लिए जो कुछ भी संभव है, करने के लिये तैयार हैं। इसीलिये प्रधान मंत्री जी में किसानों की पूरी आस्था है और इस का एक ज्वलन्त उदाहरण उस अभूतपूर्व किसान रैली में देखने में आया जो हाल में हुई थी। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हमारे कृषि मंत्री जी स्वयं एक किसान हैं। किसानों से उनको काफ़ी हमदर्दी है। किसानी के बारे उनको बहुत ज्ञान है। हमारे इस विभाग में जो अन्य मंत्रीगण है, स्वामीनाथन जी और दूसरे मंत्रीगण हैं, उनका भी खेती से सीधा संबंध है, खेती के बारे में उनकी पूरी जानकारी है, इसलिये किसानों की जो उपेक्षा अब तक होती रही है, वह नहीं हो पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि मंत्री जी द्वारा जो कदम उठाये गये हैं उनके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे और निकलने शुरू हो गये हैं।

मैंने अभी फर्टिलाइजर की कीमतों के बारे में कहा था—38 फीसदी कीमतें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज है उन्होंने यूरिया के दाम काफ़ी बढ़ा दिये हैं। जो दाम 168 डालर प्रति टन था, वह बढ़ कर 217 डालर प्रति टन हो गया है। पोटाश का दाम तो इंटरनेशनल मार्कीट में दुगना हो गया था, इस लिए सरकार को मजबूर हो कर दाम बढ़ाना पड़ा और 38 फीसदी फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़े। ये दाम न बढ़े होते, तो बहुत अच्छी बात होती लेकिन इन बढ़े हुए दामों का बुरा प्रभाव किसानों पर न पड़े, उस के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए गये, यह बात अपनी जगह पर सही है। एक बात तो यह की गई कि सीमान्त और लघु किसानों और हरिजनों को जो सब्सीडी फर्टिलाइजर्स पर मिल रही थी, सूखा-क्षेत्रों में 1980-81 में उसे जारी रखा गया और दूसरी बात यह भी की गई कि जो फर्टिलाइजर्स पहले रेल-हैड्स तक सरकार द्वारा भेजे जाते थे अपने खर्च पर और जो बहुत दूरदराज के गांव होते थे, वहां पर वे फर्टिलाइजर्स नहीं पहुंच पाते थे और उस से वहां के किसान लाभान्वित नहीं हो पाते थे, सरकार ने यह कदम उठाया कि बाकी 2900 ब्लाकों पर जो रेल-हैड्स पर नहीं है, सरकारी खर्चे पर फर्टिलाइजर्स भेजे जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि कीमतें ज्यादा बढ़ने पर भी उसका प्रयोग पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा हुआ। जहां पिछले साल 52.6 लाख टन हुआ था, वहां इस वर्ष 55.8 लाख टन हुआ है। इस तरह से उसका प्रयोग ज्यादा हुआ है।

तीसरी बात कृषि मंत्री जी की तरफ से यह की गई कि जो अल्पकालिक ऋण प्रदेशों

को देते हैं, वे कुछ ज्यादा दिये गये और इससे लोगों को सहूलियत मिल गई और चौथी बात यह की गई कि जो कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीज होते हैं, उनका वितरण ज्यादा कराया गया और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए भी ज्यादा व्यवस्था की गई। जहां पिछले साल 14 लाख क्वींटल ही वितरित हुआ था, वहां इस साल 25 लाख क्वींटल वितरण की व्यवस्था की गई है। इसलिए ज्यादा अच्छी उपज देने वाला बीज भी ज्यादा पहुंच सका और इस के अलावा सिंचाई में भी तेजी की गई।

हमें थोड़ा समय और दीजिए। इसके अलावा कार्बोनिक फर्टिलाइजर, जैव फर्टिलाइजर्स और कम्पोस्ट के उपयोग को भी बढ़ाया गया, जिस का परिणाम यह हुआ है कि पैदावार पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गई। जहां यह पैदावार 1978-79 में, जो कि मौसम की दृष्टि से सब से अच्छा वर्ष था, 1319 मीट्रिक टन हुई थी और वह घट कर 1979-80 में 1089 लाख मीट्रिक टन रह गई थी, अब यह आशा की जाती है कि 1980-81 में यह पैदावार 1330 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। इस संबंध में मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहना है कि वहां पर जितनी पैदावार की संभावना विभाग ने आंकी है, बार-बार बारिश और आंधी आने से उनकी उपज नहीं हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं कह सकता हूं लेकिन दूसरे सूबों के बारे में कहना मुश्किल है, फसलों को नुकसान हुआ है। भीगने से फसल के दाने शिक्क कर गये हैं, और उन की चमक भी खराब हो गई है, उनका रंग भी खराब हो गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जितनी आप को गेहूं की खरीद करनी है, जितना गेहूं आप लेना चाहते हैं, उतना आपको गेहूं मिल सके, उसके लिए इस बात की आप को हिदायत करनी होगी कि जो गेहूं की चमक चली गई है, जो उसका कलर खराब हो गया है, उसको खरीदते वक्त ध्यान में न रखा जाए। अगर यह बात नहीं की गई तो फिर उतनी मिकदार में गेहूं नहीं मिल सकेगा। आशा है आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जो प्रयास किये गये हैं...

MR. DEPUTY- SPEAKER: You have got to conclude now. You must keep in mind that now you are taking the time of your colleagues in your party.

श्री जयराम वर्मा : हां वह बात तो जरूर है लेकिन इस बात का थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि मैं कम बोलता हूं। अगर मैं कहीं एक जगह पर बोलूं तो थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए।

गन्ने की पैदावार जो 1280 लाख मीट्रिक टन बहुत कम हो गयी थी, अब उसके 1980-81 में 1540 लाख टन होने की आशा है।

श्रीमान जी, इसके सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिस फैजाबाद जिले से मैं आता हूं वह जिला प्रदेश के सात बहुत ही पिछड़े जिलों में से एक है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should have started from your constituency because that is very important.

श्री जयराम वर्मा : वह बहुत पिछड़े सात जिलों में एक है। वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में एक गन्ने की मिल का सहकारिता सेक्टर में लगाने के लिये लायसेंस दिया गया था और उसके लिये किसानों ने 16 लाख रुपये जमा किये थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनता पार्टी सरकार ने अकबरपुर में जो गन्ने की मिल लगनी थी उसका लायसेंस रद्द कर दिया था। अब मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अकबरपुर टांडा जिले का उन्नत इलाका है और वहां पर गन्ने की काफी पैदावार होती है। वहां से गन्ना बाहर भेजना पड़ता है। इसलिए अकबरपुर में गन्ने की मिल का लायसेंस फिर से दिया जाए और उस पिछड़े इलाके का विकास किया जाए।

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमान जी, गांवों के उत्थान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और समन्वित विकास योजना चलायी है। गांव के छोटे किसान, सीमांत किसान, हरिजन और शिल्पकार, सब इस में आते हैं। उन को इन से लाभ होगा। इनके द्वारा इस बात की कोशिश की गयी गयी है कि गांवों में रोजगार के साधन बढ़े, वहां पर रोजगार अर्जित हो, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और उन को आर्थिक लाभ हो।

मुझे इस बात की खुशी है कि जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उस में सभी इलाकों के 5 हजार 11 ब्लाक सम्मिलित किये गये हैं और उन सभी में यह योजना लागू की गयी है। हर ब्लाक में 6 सौ गरीब परिवारों को चुना जाएगा। इन 6 सौ परिवारों में से 4 सौ परिवार खेती से लाभान्वित होंगे। खेती और उससे सम्बन्धित चीजों से लाभान्वित होंगे। सौ परिवार कुटीर और ग्रामीण उद्योगों से लाभान्वित होंगे और सौ परिवार सेवाई कार्यों से लाभान्वित होंगे।

इस सिलसिले में मेरा कहना है कि खादी का जो काम गांवों में होता है उस से लोगों को काफी रोजगार मिलता है। लेकिन खादी कमीशन ने एक तब्दीली कर दी है। अब खादी कमीशन में ऐसे लोग आ गये हैं जिन्हें न खादी से कोई मतलब और न खादी से कोई प्रेम है। वे खादी पहनना भी पसन्द नहीं करते। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। पहले गांधी आश्रम किसानों को सूत के बदले में केवल रूई दिया करता था। वह शेष पैसा जमा कर लिया करता था। 2 अक्टूबर या उसके बाद छूट होने पर उनकी इच्छानुसार खादी देकर उन का शेष धन लौटा दिया करता था। लेकिन अब स्थिति बदल गयी है। इस से इस कुटीर उद्योग को हानि पहुंच सकती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I am calling the next Member Mr. Laxman Karma. You please sit down.

श्री लक्ष्मण कर्मा (बस्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज किसान श्रीमती गांधी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में लाखों किसान दिल्ली में एकत्र हुए। जनता सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। अब किसान खड़ा हो गया है। आज किसानों को सही कीमत मिल रही है। इसके लिए शासन ने निर्णय लिया है। गन्ने की भी सही कीमत किसानों को मिल रही है। आज किसान कांग्रेस की नीतियों का समर्थन कर रहे है। किसानों को सब से अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। कृषि प्रधान देश होने के नाते किसान शासन से अधिक सहायता चाहता है। किसान को पानी, खाद और दवाइयां सस्ती कीमतों पर मिलनी चाहिएं। ये चीजें न मिलने की वजह से खेती पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर किसान मजबूत नहीं होंगे तो देश की उन्नति नहीं हो सकती है, गांवों की उन्नति नहीं हो सकती है। इसके लिए सबसे आवश्यक है जमीन का समतलीकरण। समतलीकरण की योजना होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं बस्तर जिले के बारे में बताना चाहता हूं। बस्तर जिले में ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र, है इसलिए पैदावार कम होती है। जमीन ऊबड़-खाबड़ है, जिससे सिंचित एरिया भी बहुत कम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जमीन के समतलीकरण की एक योजना बनाई जानी चाहिए। वहां पर आदिवासी—हरिजन रहते है। वहां पर जमीन सुधार की योजना तुरन्त लागू होनी चाहिए। वहां पर नदियों पर बांध बनाए जाने चाहियें, ताकि सिंचित

क्षेत्र बढ़ सके। पहाड़ी एरिया होने के कारण चावल कम पैदा होता है क्योंकि सिंचाई पूरी नहीं हो पाती, इसलिए इस क्षेत्र में लिफ्ट इरीगेशन की योजना लागू होनी चाहिए, तभी पानी को ऊपर उठा कर सिंचाई की जा सकती है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। बस्तर एक पिछड़ा हुआ जिला है और यह केरल प्रदेश से भी बड़ा है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से अन्न कम पैदा होता है और वहां के हरिजन-आदिवासी जंगलों पर निर्भर रहते हैं। वहां पर अधिकतर साल के जंगल हैं। इन जंगलों को काटने की राज्य सरकार ने योजना बनाई है, जिससे वहां के आदिवासियों को आर्थिक हानि हो रही है, क्योंकि वहां का आदिवासी जंगलों उपज, फल, पत्ते और लकड़ी आदि से धन प्राप्त करता है। जंगल आदिवासियों के आर्थिक स्रोत हैं। वर्तमान में सरकार साल के जंगलों को काटकर पाइन प्लांटेशन की योजना लागू कर रही है। इससे आदिवासियों को आर्थिक हानि होने की बहुत संभावना है। वहां पर किसान जंगलों का उपज इकट्ठी करते हैं और इससे आय प्राप्त होती है। जंगल आदिवासियों का मुख्य स्रोत है। वहां के जंगलों को बचाया जाना चाहिए और उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पाइन प्लांटेशन की योजना है इसको स्थगित किया जाना चाहिए या कम लगाए जाने चाहिए। विश्व बैंक ने इस के लिए चालीस करोड़ देने की घोषणा की है। उससे लगता है कि साठ परसेंट साल और चालीस परसेंट पाइन प्लांटेशन होगा। इससे वहां के सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे। इससे आदिवासी लोग भयभीत हैं। उस क्षेत्र का होने के नाते मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आदिवासियों का आर्थिक आधार जंगल है। इस वास्ते जंगलों को बचा कर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जंगल रहेंगे तो उनको वहां खेतों में अच्छी उपज मिल सकती है। साल का जंगल होगा तो उससे बारिश भी अच्छी होगी। जंगलों से उनको बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं और उनको बाजार में बेच कर वे लोग अपनी आय कर लेते हैं। इस वास्ते जंगलों का होना बहुत आवश्यक है। जंगलात के बारे में जो एक कारपोरेशन बना है लगता है उसका मुख्य काम ही यह है कि जंगलों को काट दो और नए जंगल लगाओ। जो प्राकृतिक जंगल वहां अब हैं वे अच्छे जंगल हैं। बिना देख रेख, बिना खाद बीज के भी उन में हरियाली रहती है। इस वास्ते उन जंगलों को बचा कर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पाइन प्लांटेशन में वहां के लोगों की आस्था कम है। पाइन प्लांटेशन होगा तो वहां पर बारिश कम होगी और गर्मी ज्यादा होगी। पाइन प्लांटेशन से कुछ ही लोगों को मजदूरी मिल सकती है जब कि वर्तमान जंगलों से वहां के सभी लोगों को कुछ न कुछ उपज मिल जाती है। उसको वे इकट्ठा करते हैं और किसी तरह से अपना गुजर बसर करते है। इन पर ही उनकी इकोनोमी आधारित है। जहां जंगल होते है वहीं आदिवासी, हरिजन आदि रहते है। हम लोगों को खेती की पद्धति का भी उतना ज्ञान नहीं हैं। इस वास्ते जंगली इलाकों में रहने वाले लोग जंगलों पर ही ज्यादातर निर्भर करते हैं। बस्तर में सिंचाई वाला क्षेत्र भी बहुत कम है। नदियां तो बहुत हैं लेकिन बंधी नहीं बनाए गए हैं, छोटे छोटे बांध नहीं बनाए गए हैं। इस वास्ते वहां आपको लिफ्टइरिगेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे छोटे बांध बना कर किसानों को पानी देना चाहिए। वहां एक ही प्रकार की फसल होती है और वह चावल की है दूसरी कोई फसल नहीं होती है। गेहूं, सब्जियां आदि बहुत कम होती हैं। इसका कारण यह है कि पानी नहीं मिलता है। पानी न मिलने का मुख्य कारण यह भी है कि भूमि वहां की समतल

[श्री लक्ष्मण वर्मा]

नहीं है। भूमि को समतल किया जाना चाहिए। भूमि सुधार होने चाहियें। तभी वहां का किसान सम्पन्न हो सकता है और दूसरे किसानों के बराबर आ कर खड़ा हो सकता है।

आपने आदिवासियों और हरिजनों के लिए जो सबसिडी की योजना चलाई है इसको आपको ब्लाक स्तर पर लागू करना चाहिए। साथ ही किसान को उसकी उपज की उचित कीमत दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए मंडियों का विस्तार होना चाहिए। बिना मंडियों के माध्यम के किसान को उसकी उपज की उचित कीमत नहीं मिल सकती है और उसको व्यापारियों के शोषण से नहीं बचाया जा सकता है। इस वास्ते मंडियों का होना बहुत आवश्यक है।

ब्लाक स्तर पर फार्म भी होने चाहियें। उन फार्म्ज पर किसानों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होनी चाहिए, खेती की पद्धति उसको सिखानी चाहिए। तभी जो सही पद्धति है उससे वह परिचित हो सकता है। हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो आपने सबसिडी देने की योजना बनाई है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें उपलब्ध कराने की कोशिश हो।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : कृषि मंत्रालय की मांगों के बारे में जो इसके विभिन्न मुद्दे हैं उन पर आगे क्या काम हो इसके बारे में दो राये हो सकती हैं और यह बात समझ में भी आ सकती है। लेकिन जो वास्तविकता है उसको अगर छिपाया जाए तो न सिर्फ इलाज नहीं हो पाएगा बल्कि नीयत पर भी शक होना स्वाभाविक है। बल्कि जो वास्तविकता है उससे आगे नहीं बढ़ पाते। और इस माने में जो सरकार की नीति रही है, और आगे आने को जो संकेत मिला है उससे गहरी चिन्ता होती है। हमारे मित्र माननीय बालेश्वर राम ने जिस तरह से खुशी का इजहार किया है उससे चिन्ता और भी बढ़ जाती है। वह ऐसे व्यक्तियों में है जिनको अनुभव है कि किस तरह से हमारा समाज कृषि की अव्यवस्था के चलते, गैर खेती करने वालों के हाथ में जमीन का स्वामित्व होने के चलते, जो खेतों में मेहनत करते हैं उनका शोषण कितना हो रहा है, रूप कुछ बदला है, पहले सामन्ती और अर्ध सामन्ती रूप घटा है, लेकिन पूंजीवादी स्वरूप और शोषण बढ़ा है। मतलब यह कि शोषण है, उत्पीड़न है और इस माने में अगर संतोष का इजहार करें तो चिन्ता नीयत के बारे में हो जाती है हम सुधार नहीं करना चाहते, परिवर्तन नहीं करना चाहते।

जो कृषि सुधार के सबध में कदम थे भूमि को हदबन्दी जोतने वालों के लिये, बटाईदार के लिये, टेनेन्ट और सब-टेनेन्ट के लिये जमीन पर हक देना, सूद खोरी, गैर कानूनी सूदखोरी खात्मा का कानून, सूद की दर को कम करने का कानून, सामाजिक अत्याचार, छूआछूत जो है उसको खत्म करने का, इस संबंध में जो भी हमारे देश में कानून बने, क्या एक भी जगह है जहां हमारे कृषि मंत्री कह सकते है कि जहां पर यह कानून पूरी तरह लागू है? क्या एक भी जिला है जहां केन्द्रीय सरकार शासन कर रही हो, वहां पर एक भी कानून लागू हो गया हो? क्या एक भी गांव है जहां सूद खोरी कानून का उल्लंघन न हो? विभिन्न राज्यों में सूद की दरें 12 से 15 प्रतिशत हैं। लेकिन हर जगह प्रतिष्ठित

परिवार में उनका प्रमुख 25 प्रतिशत लेता है, और उन्हीं के परिवार के दूसरे सदस्य उनके बच्चे अठन्नी लेते हैं, 36, 40 और 50 प्रतिशत तक लेते हैं और उनकी पतोहू 75 से 100 प्रतिशत तक सूद लेती है। मैं समझता हूं कि जो 10 एकड़ से ज्यादा जमीन जोतने वाले सांसद हैं उनके परिवार में यह बात हो रही है। न्यायपालिका के लोगों में, कार्यपालिका के लोगों में यह बातें हो रही हैं। खुले आम कानून का उल्लंघन हो रहा है क्या कृषि मंत्री कहेंगे कितने लोगों के खिलाफ इस कानून के उल्लंघन के लिये मुकदमे चले, जो मनी लैंडिंग एक्ट है उसके उल्लंघन के लिये कितने मुकदमे चले, कितनों को सजा हुई? खुले आम कानून का उल्लंघन हम बर्दाश्त कर रहे है, और बेशर्मी से हम संतोष का इजहार कर रहे है। शासक दल के साथ में सत्ता है इसलिये इनका कसूर ज्यादा है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि कोई इससे पूरी तरह से बरी होगा। लेकिन यह वास्तविकता है। वहीं हदबन्दी और बटाई के बारे मे जो कानून है उनका उल्लंघन ज्यादा हुआ है, सिवाय अपवाद स्वरूप कुछ इलाकों में, जैसे केरल में एक हद तक लागू किया, उससे कम हद तक देश के विभिन्न राज्यों में हुआ। बंगाल में बटाई के सवाल को लागू करने के लिये प्रयास किया गया। लेकिन क्या देश के पैमाने पर हम कह सकते है कि जहां गरीब किसानों ने अपना खून दे कर उसको लागू नहीं किया गया है वहां सरकार ने लागू किया है? और जहां लागू किया है वहां गरीब किसानों को खून देना पड़ा हमारे क्षेत्र में इस साल 156 विशेष हथियार बन्द पुलिस चौकियां एक, एक मजिस्ट्रेट के मातहत बैठाई गई भूस्वामियों की मदद के लिये। और अब पुराने किस्म के जमींदार नहीं हैं। अब जमींदार ऐबसेंटी ओनर बन गये हैं जो प्रशासन में हैं, न्यायपालिका में हैं, कार्यपालिका में हैं, और सफेदपोश नौकर पेशा में हैं। और इसीलिये जमीन के दूर होने के कारण बंधुआ मजदूर के मामले में कहते हैं कि हमारे इलाके में हैं ही नहीं। मुझे मित्र मिलते हैं वह कहते हैं कि हमारे इलाके में बंधुआ मजदूर नहीं हैं।

17.00 hrs.

परिवार में ही बन्धुआ मजदूर है, जो खुद कौन कहते हैं? जिनके बन्धुआ मजदूर रखे हुये है, वह समझते ही नहीं हैं कि वह बन्धुआ मजदूर हैं। मतलब काम करने की आजादी उसको नहीं है, अपना एम्पलायर चुनने की आजादी उसको नहीं है। उन्हें छोड़कर वह और कहीं जा नहीं सकता है। ऐसा एक भी राज्य या जिला नहीं है। जहां ऐसा नहीं है। आप अभियान के रूप में इसको लागू नहीं कर रहे है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कानून जन-आन्दोलन के हित में दबाव से या देश के उत्पादन बढ़ाने के हित में बने एक हद तक हिचकते हुये लागू होने के प्रयास हुये और एक भी कानून कृषि सुधार संबंधी लागू नहीं हुआ।

यह एक मेम्बर की बात नही है, अगर यह मंत्रिमंडल विचार करे अभी भी सोचे तो देश में अभियान के रूप में एक साल में आप लागू कर लें, हदबन्दी वाला कर लें, बटाई वाला कर लें, सहकारिता वाला कर लें।

बन्धुआ मजदूर श्रम मंत्रालय का मामला है, लेकिन यह बीमारी वही है जो कृषि मंत्रालय से भी संबंधित है और हमारी व्यवस्था से भी संबंधित है। 5,6 महीनों के जरिये आप इसे लागू कर सकते हैं।

इसी तरह छूतछात के मामले में हमारे मित्र श्री बालेश्वर राम ने बड़े संतोष का इजहार कर दिया है कि हम आजादी के बाद से अछूतोद्धार कर रहे हैं। कितना अछूतोद्धार किया है? मैं समझता हूं कि

[श्री भोगेन्द्र झा]

इस बीच में हजारों अछूतों को धरती से उठा दिया। वह कहां गये होंगे, स्वर्ग में या उसके बाहर, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन उनको जीवन से उद्धार कर के भेज दिया। यह नये आंतक का रूप है, जो नवान तबका पैदा हुआ है। एक समय जब चव्हाण साहब गृह मंत्री थे, तो एक प्रतिवेदन में इस सदन में रखा गया कि ग्रीन रैवोल्यूशन मिल भी चेन्ज्ड इन रैड रैवोल्यूशन।

अगर कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, नये किस्म के किसान पैदा हो रहे हैं, यह जो आतंक पैदा करते हैं, इसलिए खून-खराबी गांव में बढ़ेगी। जनता पार्टी के शासन में भी हमने देखा, इनका शासन भी देख रहे हैं, पहले भी देखा था, चूंकि शब्द एक ही है दल का नाम बदला है, कांग्रेस (आ) रहे, (ई) रहे, (आई) रहे। जनता में भी 3, 4 नाम बदल गये है मगर शासक वर्ग एक है, शोषक वर्ग एक है। इसलिये शोषण का स्वरूप बदल नहीं पा रहा है।

हम जानते है कि छूतछात अलग से सामाजिक समस्या नहीं है। यह वर्ग शोषण की समस्या है। हमारे समाज में जब अमीरी गरीबी नहीं थी, राजा-रंक का फर्क नहीं था, राज सत्ता पैदा नहीं थी, तो छूतछात भी नही थी। चारों वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन के मूलसूत्रों में कहीं छूतछात का जिक्र नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जब अमीरी गरीबी पैदा हुई है, तब से छूतछात पैदा हुई है। हमारे बौद्ध मिल वर्ण और जाति एक समझते हैं। एक ही परिवार की सन्तान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी गिने हुये हैं। ग्रन्थ में लिखा हुआ है, नाम लेकर दिया हुआ है। मगर जब व्यक्तिगत संपत्ति भूमि में पैदा हुई, जन्म-जाति पैदा हो गई है। छूतछात का काम चला। धन पैदा करने वाले को शूद्र अछूत करार दिया गया, जन-पैदा करने वाली माता घर में दबाकर रख दी गई। शोषण का साम्राज्य आ गया। अब अछूतोद्धार के खिलाफ हमारा कानून नहीं है। एक भी जो दावा कर सके कि 100 फीसदी इसको हम लागू कर रहे हैं। जब जन-आन्दोलन उमड़ता है तो एक हद तक हम इसको लागू कर पाते हैं। मगर वास्तविकता यह है कि डा० अम्बेडकर की हम जयन्ती मना लें, गांधी जी की मना लें, गांधी जी के नाम पर अछूतोद्धार की कसम लेते जायें, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जहा तक छूतछात का मसला है, यह हमारे राष्ट्र के लिये कलंक है, हमारी प्राचीनतम परम्पराओं के विपरीत है। इसको हम खत्म करना चाहते है, इस बात को छोड़ दीजिये, आज इस कानून का उल्लंघन हरेक गांव में हो रहा है, कमोबेश हो यह बात दूसरी है। आज भी कृषि मंत्री कहें कि हम इस समय-बद्धता के साथ सारे मुल्क में लागू कर देंगे, एक अभियान सारे देश में करेंगे, उस के लिए एक नींव चाहिये कि आर्थिक शोषण जो समाज में है, उसी का ऊपरी रूप सामाजिक शोषण है। जात-पांत का रूप लेकर अत्याचार करने वालों में मुख्यतः ये तथाकथित उंची जाति के भूस्वामी।

आज हरिजनों पर ये अत्याचार करने में तथा-कथित ऊंची जाति के बड़े भूस्वामी तो शामिल हैं ही, लेकिन अब तथा-कथित पिछड़ी जातियों के नये धनी भूस्वामी भी अत्याचारियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। बेलछी हो या पथड्डा हो, हरिजनों पर अत्याचार

करने में तथा कथित पिछड़ी जातियों के नये धनी भी शामिल हो गए हैं। पुराने सामन्ती जमींदार हट गए, अब नये धनी आ गए हैं। उन्हें लठैत की जरूरत नहीं पड़ती है। वे खुद बन्दूक लेकर जाते हैं और घरों में आग लगाते हैं तथा आतंक मचाते हैं।

कृषि मंत्री संतोष कर लें, हम और आप संतोष कर लें कि हम ने इतनी सहूलियतें दी हैं, सहकारिता के लिए इतना कर्जा दिया है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि गांवों का यह जो ऊपरी तबका है, वह सरकारी क़र्जों, सहकारिता के क़र्जों और सहूलियतों का बड़ा हिस्सा हड़प लेता है। है। वह सरकारी पैसा लेकर, बैंकों से पैसा लेकर, सहकारिता से पैसा लेकर गांवों में गैर-कानूनी सूदखोरी करता है। इसलिए अगर गांवों में वर्ग सम्बन्ध नहीं बदलता है, तो केवल कर्जा या सहूलियत देने से काम नहीं चलेगा। शोषक तबके में भी थोड़ी प्रगति हुई है। विभिन्न तबकों में शोषक लोग बढ़े हैं। पिछड़ी जातियों में भी नये धनी शोषकों की कतार में शामिल हो गए है। वे भी सामाजिक अत्याचार और आर्थिक शोषण करने में शामिल हो गए हैं।

बहुत दिनों तक हम हरिजन-उद्धार करते आए हैं—शायद इमानदारी से करते आए है। मैं किसी के दिल और ईमान का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन परिणाम हमारे सामने मौजूद हैं। इस के बाद एक संकल्प की आवश्यकता है। क्या कृषि मंत्री, यह सरकार और यह सदन इस दृढ़-संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे कि कृषि सुधार के मूल मुद्दों को एक अभियान के रूप में हल किया जाए? इसके लिए हमें खुद-जोत की खेती, सैल्फ-कल्टीवेटिंग टेनांसी की पद्धति की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा।

जब तक गांवों में मालिक और खेत-मजदूर का रिश्ता रहेगा, जैसा कि वह आज है, तब तक एक या दूसरे रूप में अत्याचार बधुआ मजदूर और नंगे रूप में श्रम का शोषण खत्म नहीं होंगे। इसलए हम खुद-जोत की खेती के लिए आगे बढ़े। एक व्यक्ति एक काम, एक व्यक्ति एक पेशा, हम उसकी ओर बढ़ें, वर्ना कृषि उत्पादन में बाधा बनी रहेगी।

दूसरी समस्या कीमतों की है, जिसको लेकर किसानों में भूकम्प आया हुआ है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसानों को वाजिब और लाभप्रद कीमत मिले, वह मुनासिब हैं, लेकिन जब सरकार और करोड़पतियों के अखबार कहते हैं कि ज्यादा कीमत देने से मंहगाई बढ़ जायेगी, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ किसानों की उपज की कीमत बढ़ा कर किसानों की, या देश की खुशहाली ला सकते हैं। हमारा कहना है कि कीमतों के संबंध में एक समन्वित नीति तय करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत (1) किसानों को लाभप्रद कीमत मिले (2) खेती की पैदावार और कारखाने की पैदावार में संतुलन रखा जाये, बढ़ने-घटने या स्थिर रहने पर उनमें संतुलन रखा जाये, (3) किसानों को खेती के लिए आवश्यक सामान—खाद, बीज और औजार वगैरह—उचित कीमत पर मिलें, (4) किसानों से जिस दर पर अनाज लिया जाये, और उपभोक्ताओं को बाद में जिस दर पर मिले, उनमें ज्यादा फर्क न हो। बैंक की सूद की दर 15 परसेंट है, तो उस 15 परसेंट से ज्यादा फर्क न हो। उत्पादक को जो दाम मिले, उपभोक्ता को उसका डयोढ़ा, दुगना या ढ़ाई गुना देने के लिए मजबूर न होना पड़े। उत्पादक को मिलने वाली कीमत और उपभोक्ता से लिये जाने वाली कीमत में समन्वय रहे उन दोनों के फर्क की एक निश्चित सीमा रहे। अगर कृषि मंत्री

[श्री योगेन्द्र झा]

उसको 10, 15 परसेंट बढ़ा दें, तो हमें कोई बड़ा एतराज नहीं होगा। लेकिन हम उसको लागू करें, ताकि देश में मूल्यों में स्थिरता रहे, उत्पादकों को मुनासिब कीमत मिले और वह देश की कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनाने में सहायक हो, उद्योगों के लिए बाजार का विस्तार हो, देहात की क्रय शक्ति बढ़े ताकि उद्योगों का माल बिके आज तो कारखाने बन्द होने की स्थिति में हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या भाव होना चाहिए गेहूं का, आप बताइये।

श्री योगेन्द्र झा : मैं तो समूची नीति की बात कर रहा हूं। मैं उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के गैप के बारे में कह रहा हूं। मैं आग्रह करूंगा कि जिस भावना से मैं कह रहा हूं उस को समझें। आप सहमत हों तो मैं विस्तार में भी जाने को तैयार हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि उत्पादक को मिलने वाले दाम और उपभोक्ता से लिये जाने वाले दाम में समन्वय करें।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सीधी बात करें झा जी।

श्री योगेन्द्र झा : थोड़ा धैर्य रखिए, समय की थोड़ी सी मेरे लिए सीमा है वरना मैं हाजिर हूं आप के लिए।

मैं आशा करता था कि हमारे कृषि मंत्री जी कम से कम गन्ना उत्पादकों की मुसीबत से परिचित हैं। पहले हम देख चुके हैं कि आदम स्मिथ और मार्शल के अनर्थ-शास्त्र को ले कर जब जनता पार्टी के नाम पर ईसी वर्ग की सरकार चल रही थी तो उन्होंने कहा कि चीनी की पैदावार देश में ज्यादा हो गई है इसलिये गन्ने की कीमत ढाई रुपये क्विंटल घटा दी और चीनी की कीमत पहले 15 रुपये क्विंटल, बाद में 20 रुपये क्विंटल और फिर कंट्रोल हटा कर बढ़ा दी। उधर एक साल में चीनी की कीमत 2 रुपये 15 पैसे से जनता पार्टी के नाम पर जो सरकार थी उसने चार-साढ़े चार रुपये किलो कर दी तो इधर इंदिरा जी के राज में इतना कस कर कीमत पर लगाम लगाया गया, जो इंदिरा जी ने पिछले साल कहा था कि हम दाम पर लगाम लगायेंगे, इतना कस कर लगाम लगाया कि चीनी का दाम इस बार बढ़ा नहीं है, कूदा है, इस में कुदाव मारा है, छलांग मारी है। इसलिए साढ़े चार रुपये से पांच साढ़े पांच या छः रुपये नहीं हुआ है, यह हो गया आठ, नौ दस रुपये। इधर जब गन्ने का दाम समय खत्म हो रहा है तो....

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) इंदिरा जी के जमाने में 65 लाख टन चीनी जो थी उस को जनता पार्टी वालों ने 38 लाख टन बना दिया था, अब हम उस को 52 लाख कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री योगेन्द्र झा : मैं कह रहा हूं कि उधर के कांग्रेस वाले इधर चले जाते हैं तो जनता हो जाते हैं फिर उधर चले जाते हैं तो कांग्रेस हो जाते हैं। बात एक ही है। मैं उस में बहुत फर्क नहीं कर रहा हूं। वह खजाना एक ही है। इसलिये मैं कह रहा हूं, शासक वर्ग की बात कर रहा हूं, साईन बोर्ड बदल जाएगा, कभी बैल छाप था, फिर गाय बछड़ा हो गया, अब आप पंजा ले आए, इस से फर्क नहीं पड़ता है। मैं शासक दल की बात कर रहा था।

मैं आशा करता था चीनी मिलों के बारे में जो इस बार इस सदन में बातें आई हैं कृषि मंत्री ने कहा है कि प्राइवेट सैक्टर के मिल मालिक बकाया रखे हुए हैं और जब वह बीमार बना देते हैं फैक्ट्री को तो सरकार को संभालना पड़ता है, तो क्यों नहीं चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण स में रखा

गया ? क्या मैं आशा करूं कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए जवाब देते वक्त विचार करके कृषि मंत्री जी कुछ कहने की हिम्मत करेंगे ? आज चीनी मिलों के मालिक कृषि की पैदावार में सहायक नहीं हो रहे हैं, मुनाफा कर रहे हैं। गन्ने के उत्पादन में भी सहायक नहीं हो रहे हैं, एक जमाने में कोड़े होते थे बीज खाद इत्यादि में, आज वह भी नहीं हो रहे हैं। जब सरकार को ही सारा घाटा चुकता करना है और बकाया रखने का काम मिल मालिकों का है तो क्या उस का राष्ट्रीयकरण करने के लिए और उस को अपने हाथ में लेने के लिए वह निर्णय करना चाहते हैं ? मैं आशा करूंगा जवाब देते वक्त मंत्री महोदय जरा इस मूल मुद्दे की जड़ में जाएंगे ताकि बार-बार हम इस मुसीबत में न फंसें ?

जो स्थिति देश में पैदा हो गई है उस में कल ही मैं ने अखबार में पढ़ा है कि हमारे कृषि मंत्री जी ने कहीं कहा है कि सीमान्त किसान और गांवों के जो गरीब हैं उन लोगों के लिए पशु पालन वगैरह की सहूलियतें दी जायें। मैं समझता हूं यह बहुत आवश्यक है। गृह उद्योग और मवेशी पालन में उन को सहायता दी जाय लेकिन इसे एक अभियान के रूप में करने की आवश्यकता है। खास कर के मैं उन को याद दिलाना चाहूंगा वह जानते होंगे आज हरयाणा, पंजाब और पश्चिमी यू.पी. के इलाकों में हम जायें तो मालूम पड़ता है बिहार और पूर्वी यू.पी. ने हमला कर दिया है, यह बोकरों की फौज... (व्यवधान) मैं मान रहा हूं, यह देश का मसला है, मैं उस से अलग नहीं हूं और जितनी गलती का जिक्र मैं कर रहा हूं उस के लिए मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूं, यह मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। यह तो है कि इस व्यवस्था को बदलने में हम नाकाम रहे, जिस शासक वर्ग की मैं शिकायत कर रहा हूं उस को हटाने में हम नाकाम रहे, हमारी सब से बड़ी असफलता तो यही है। इसलिये मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम सौ फीसदी दुरुस्त और सही हैं। आप वहां बैठे हुए हैं यह हमारी असफलता का सबूत है। मैं इससे अधिक क्या कहूं ? इसलिए मैं बहुत ज्यादा दावा नहीं कर रहा हूं। जो मसला है, जो समस्या है उस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में जो यह पशुपालन वगैरह का मसला है उस को भी एक अभियान के रूप में लेने की जरूरत है ताकि जिन्दा रहने लायक स्थिति पैदा हो सके। आज बर्दाश्त के बाहर हालत खास कर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और बंगाल, इन बड़े-बड़े हिस्सों में हो रही है, यहां के गांवों में जो हालत है वह, असहनीय हालत है। इस का कुछ अनुभव बिहार और यू० पी० से आने वालों के बीच हरियाणा और पंजाब में जा कर घूम लेंगे तो हो जायगा। एक नई परिस्थिति पैदा हो रही है क्योंकि बिहार के गांवों से यहां पर ज्यादा मजदूरी मिलती है इसलिये यह स्थिति है। इस दृष्टि से आप प्रगति की ओर उन इलाकों में नहीं जा रहे हैं और हरित क्रान्ति की जो बात आप कहते हैं वह भी ठीक प्रकार से बहुत से इलाकों को अभी तक छू नहीं सकी है वहां तक पहुंच नहीं सकी है। केवल पैसा दे देने से ही काम नहीं चलेगा। साधन प्रशिक्षण और सामान चाहे पोल्ट्री हो, पिगरी हो, बकरी, गाय या भैंस पालने की बात हो, उस में आप को पूरी मदद देनी होगी। मेरा आग्रह है कि कृषि के बारे में आप एक समन्वित नीति ले कर आगे बढ़ें और भूमि सम्बन्धी कानूनों को समयबद्ध हो कर लागू करें।

श्री छोटू भाई गामित (मांडवी) : सभापति महोदय, आप ने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उस के लिये मैं आप का आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो मांगें यहां प्रस्तुत की है उन का मैं समर्थन करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने जब से इस विभाग का कार्यभार संभाला है तब से इस देश को कृषि में निरन्तर प्रगति होती चली आ रही है। इस के लिये वे हार्दिक बधाई के पात्र है, हमारा देश कृषि प्रधान है, देहातों में बसता है, देश की आबादी के कुल 70 प्रतिशत

[श्री छीतू भाई गामित]

लोग देहातों में रहते हैं और 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। ऐसी स्थिति में यदि ग्रामों को विकास में अग्रता नहीं देंगे तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। यदि आप इस देश के अर्थ-तन्त्र को देखें तो कृषि ही उस की रीढ़ है। 45 से 48 प्रतिशत वार्षिक आय कृषि से हो जाती है। इसलिये कृषि विभाग की योजनाओं को बहुत तेजी से लागू किया जाना चाहिये। अभी तक जो विकास हुआ है उस में कृषि की भी बहुत प्रगति हुई है लेकिन एक बात स्वीकार की जानी चाहिये कि देहातों में जो विकास हुआ है, उस का लाभ अधिकतर धनिक-किसानों ने ही उठाया है। इसी लिये आज कई जगहों पर धनी और गरीब लोगों के बीच संघर्ष होते है, इस की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जहां तक कृषि भूमि का सवाल है, यदि हम आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि जो लघु और सामान्त किसान है, जो 55 8 प्रतिशत हैं उन के पास केवल 11 प्रतिशत भूमि है। मीडियम श्रेणी के किसान जिन की संख्या 19 प्रतिशत है, उन के पास 14 5 प्रतिशत भूमि है। बड़े किसान, जिन की संख्या 25.2 प्रतिशत है, उन के पास करीब 70 प्रतिशत भूमि है। यह जो असन्तुलन है, इस को दूर करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भूमि सम्बन्धी कानूनों को जल्दी से जल्दी लागू किया जाय।

हमारे देश में खेत मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। 4.75 करोड़ इन की संख्या था और यह संख्या अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भूमि सम्बन्धी कानूनों से जो भूमि उपलब्ध हो वह इन खेत मजदूरों में बांट दी जानी चाहिये। जो कानून है, वे हर एक स्टेट में अलग-अलग प्रकार के है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सीमा कानून के बारे में सारे देश में एक हो सके तो राष्ट्रीय नीति लागू की जानी चाहिये। इस बजट में खेत मजदूर और लघु सीमान्त किसानों के लिए जो धनराशि रखी गई है उस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं मंत्री जी से विनती करूंगा।

कृषि विकास के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत सी समस्यायें है, लेकिन कृषि विकास में जो हमारे देश का उत्पादन है, वह विश्व के प्रति एकड़ उत्पादन से कम है। इसलिए हमें जो सबसे पहले काम करना चाहिए वह प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए इसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है सिंचाई हमारे देश की सारी खेती आकाशीय खेती है वर्षा पर आधारित है। कहीं पर वर्षा अधिक होती है और कहीं पर वर्षा कम होती है—जहां पर वर्षा अच्छी होती है, वहां फसल अच्छी होती है। जहां पर वर्षा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सारी खेती बेकार हो जाती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे सबसे पहले सिंचाई की ओर अधिक ध्यान दें।

खासकर मैं गुजरात के बारे में कहना चाहता हूं। अभी तक हमारे गुजरात में 27 प्रतिशत खेती में सिंचाई होती है और इस सिंचाई को बढ़ाने के लिए हमारी नर्मदा सिंचाई योजना है, उस को जोरों से लागू करना चाहिए। नर्मदा सिंचाई योजना को लागू करने के लिए जो कुल धन राशि चाहिए, वह पूरी धन राशि चाहिए और जल्दी जल्दी इसको लागू किया जाए ताकि सारे गुजरात में 37 प्रतिशत में सिंचाई हो सके। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस सबंध में जो कुछ भी करना हो, वह जल्दी से जल्दी करें। सूरत की जो सागर की लाखों एकड़ जमीन है, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से खास परियोजना लागू करनी

चाहिए—ऐसी मैं सरकार से विनती करता हूं इसके साथ-साथ मैं बता देना चाहता हूं कि गुजरात हमारा ऐसा प्रदेश है जहां कभी किसी साल बारिश आ जाती है, किसी साल सुखा पड जाता है जिसकी वजह से गुजरात प्रदेश पर काफी बोझा पड़ जाता है। इस संबंध में मैंने एक क्वश्चन भी किया था कि गुजरात में जो तीन साल में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए भारत सयकार की ओर से बहुत कम राशि दी गई है। इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गुजरात में जो कुदरती आपदाओं से नुकसान हुआ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कृषि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

हमारी जो ऋण नीति है वह ठीक नहीं है, किसानों को ऋण आसानी से नहीं मिलते है। हमारा किसान अशिक्षित और सरल है, इसलिये हमारी ऋण नीति भी सीधी और सरल होनी चाहिये। कृषि पर आधारित उद्योगों को भी ऋण दिया जाता है वह भी पर्याप्त नहीं है। इन उद्योगों से हमारे लोगों को रोजी मिलती है इसलिये मैं चाहता हुं कि उन को उचित राशि में ऋण मिले तथा कम ब्याज पर मिले इस तरह की नीत बनानी चाहिये।

कुछ शब्द मैं फारस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। मैं पाहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से आता हूं। हमारे ट्राइबल लोगों की सारी इकानामी फारेस्ट इकानामी पर आधारित है। दिन प्रतिदिन जंगल कटते जा रहे है, कटने के बाद वहां पर जिस तरह से फारेस्ट का प्लांटेशन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। ट्राइबल एरियाज में फारेस्ट का प्लान्टेशन तेजी से लागू करना चाहिये। हमारे ट्राइबल लोगों को एम्लायमेंट देने के लिये उन क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम शुरू करने चाहिये जो फारस्ट्री पर आधारित है। इस से वहां के लोगो को रोजगार मिल सकेगा। मैं आशा करता हू कि मंत्री जी हमारे ट्राइबल एरिया के विकास के लिए कुछ शीघ्र व्यवस्था करेंगे।

मेरी कांस्टीचूयन्सी में जो उकाई-सिंचाई-योजना के लिए तालाब बनाया गया है उस में इनलैंड फिशरी का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सहकार समिति द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है इस से हमारे बहुत से ट्राइबल लोगों को रोजी मिलती है तथा वहां की मछली कलकत्ते की तरफ जाती है जहां उस का अच्छा दाम मिलता है लेकिन वहा पर स्टोरेज की कोई सुविधा नहीं है। जो लोग वहां पर काम करते है उन के पास इतना फण्ड नहीं है कि वे वहां पर कोल्ड स्टोरेज खोल सकें। इसलिये मैं चाहता हू विभाग के द्वारा शुरू की गई इस योजना को अधिक सफल बनाने के लिए आप वहां पर शीघ्र कोल्ड स्टोरेज खोलें तथा इस काम के लिये जितनी धनराशि की जरूरत हो वह दी जाय।

उकाई योजना के अन्तर्गत जो बड़ा बांध बनाया गया है उस से प्रभावित लोगों को बसाने के लिये 4 एकड़ जमीन दी गई है। जैसा मैंने पहले बतलाया है यह पहाड़ी क्षेत्र है, वह खेती की दृष्टि से बहुत अच्छी जमीन नहीं है। उन को पानी देने के लिये भारत सरकार की तरफ से लिफ्ट-इरीगेशन की व्यवस्था की जाय। इस समय जो योजना बनी है वह बहुत

[श्री कीनू भाई पामित]

छोटी है, इस के लिये जो धनराशि दी गई है वह बहुत कम है। इस लिये वह चल नहीं पा रही है। मैं कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा कि उन आदिवासी लोगों की भलाई के लिये लिफ्ट-इरिगेशन की योजना बनाई जाय और इस काम के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाय।

आखिर में, एक बात कहना चाहता हूं। आज देहातों में ईंधन की बड़ी समस्या है। हमारी पिछली कांग्रेस सरकार ने देहातों में गोबर गैस प्लांट की योजना को शुरू किया था और उस समय, मैं गुजरात के बारे में कह सकता हूं, भारत सरकार और गुजरात सरकार की तरफ से मिल कर 75 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिये मिलती थी। लेकिन अब वह सब्सिडी बहुत कम हो गई है। गोबर गैस प्लांट की योजना को बढ़ावा देने से देहातों में किसानों को ईंधन मिल सकेगा, साथ ही अच्छे खाद की व्यवस्था भी हो सकेगी। मेरा अनुरोध है—मंत्री जी इस संबंध में फिर से विचार करें और इस काम के लिये अधिक से अधिक सब्सिडी दी जाय।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): मान्यवर, इस सदन के माध्यम से पूरे भारत के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार संगठित होकर अपने उत्पादन के उचित मूल्य के लिये प्रयास किया और ऐसा आन्दोलनात्मक प्रयास किया जिससे एक नई चेतना, एक नई जागृति उनमें पैदा हुई। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिन्दुस्तान का किसान पहली बार जागा है। ऐसे समय में जबकि किसान ही हमारा कृषि मंत्री है, किसानों का जागना एक शुभ-लक्षण है। देश की प्रधान मंत्री को भी किसानों के नाम पर रैली करनी पड़ी, 15 वर्षों तक किसान की याद नहीं आई, लेकिन अब उनको भी किसानों को याद करना पड़ गया। यद्यपि उनमें किसान कितने थे, इसके बारे में अलग-अलग रायें हैं...

राव बीरेन्द्र सिंह: सब किसान थे।

श्री हरीश कुमार गंगवार: 15 प्रतिशत से अधिक उनमें किसी हिसाब से नहीं थे। उस रैली के बाद किसानों को क्या मिला यह अब दिखाई दे गया है। 130 रुपये क्विंटल आपने गेहूं का मूल्य निश्चित किया है।

कभी आपने हिसाब लगाया है मंत्री जी, कि कितनी लागत आती है एक क्विंटल पर और उन्हें कितना मूल्य आप दे रहे हैं। श्रीमन इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है लेकिन एक एकड़ पर कितना खर्च आता है, इसके मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूं:

	रुपये
जुताई	320
प्रैसिंग	30
सीड	125
खाद डी०ए०पी०	160
यूरिया	105
	62
जिंक सल्फेट	(ढुलाई समेत)

पानी अगर भली प्रकार से दें, तो 7 पानी लगते हैं अच्छी पैदावार के लिये और उसकी कीमत 350 रुपये आती है।

	रुपये
इंटर-टिलेज	103
दवाई और छिड़काव	100
रस्सवाला	25
लेबर	200
हारवेस्टिंग	120
ढुलाई	50
मंडी तक ले जाना	16

इस प्रकार से और भी खर्चे हैं और अगर इन सब चीजों को हम जोड़ लें, तो एक एकड़ पर 2810 रुपये खर्च आता है। अगर हम एक एकड़ पर 14 क्वींटल उपज मान लें, तो 200 रुपये प्रति क्वींटल लागत आती है। हो सकता है कि इसमे कुछ अतिशयोक्ति हो और कुछ खर्चा अधिक जोड़ दिया गया हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 170, 175 रुपये से कम कभी खर्च इसमे आने वाला नही है। बजाय इसके कि आप कम से कम उस को 165 रुपये प्रति क्वींटल देते, आपने 130 रुपये प्रति क्वींटल दाम दिया है। इसमे आपने कौन सा भला किसानों का किया है। पिछले साल से आपने लगभग 10 रुपये बढ़ाये है और उस साल से अब तक ट्रेक्टर की कीमत कितनी बढ़ गई, बिजली के दाम कितने बढ़ गये, खाद के दाम कितने बढ़ गये है और जो औजार खेती मे इस्तेमाल किये जाते है, उनके दाम कितने बढ़ गये हैं। कभी आप ने हिसाब लगाया है, इस का। हो सकता है कि आप के यहां मुफ्त मे काम हो जाता हो क्योंकि आप मंत्री जी हो गये हैं। इस लिये आप को इसकी लागत का कुछ पता नही है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AUD RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): He is not getting it free.

श्री हरेश कुमार गंगवार : सब लोग तो खूब बोलने वाले हैं, वे सब बातें जानते हैं, वे किसी की सहायता नहीं चाहते।

मैं अब यह कहना चाहता हूं कि मैं विभिन्न आंकड़ों में फंसना नहीं चाहता क्योंकि और बहुत से माननीय सदस्यों ने आंकड़े दे दिये हैं। मैं एक बात ही आप से कहना चाहता हूं और वह मूल्य नीति के बारे में है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी चीजों का मूल्य निर्धारित होता है सब चीजों की खरीद का हिसाब लगा कर। हमारे किसान के उत्पादन का मूल्य क्या है? आप इसी प्रकार इस का मूल्य क्यों नही लगाते है। इस की क्या वजह है। दूसरी बात यह है कि जब उस की फसल तैयार होती है, फसल तैयार होने से 15 दिन पहले आप उस का दाम लगाते हैं निश्चित करते हैं। क्यों नहीं फसल बोने से पहले आप दाम निश्चित करते। अगर किसान को दाम कम लगेगा, तो वह उसको कम बोयगा या बोयगा ही नही। होता क्या है कि जब फसल पकने को आ जाती है और कभी कभी तो जब फसल कट भी जाती है, तो आप उस का दाम निर्धारित करते हैं। यह सब क्यों हो रहा है। यह इसलिये हो रहा है कि आपने आज तक कृषि को उद्योग नहीं माना है। मेरी मांग है कि मंत्री जी कृषि को उद्योग घोषित करें और उद्योग को मिलने वाली जो सारी सुविधाएं है, वे सब कृषि को उद्योग मान कर कृषकों को प्रदान करें। तभी किसानों को सच्चे माइनों में उस की उपज का सही पैसा मिल सकता है। उसका मूल्य मिल सकता है। क्या वजह है कि इंडस्ट्री के लिए 90 प्रतिशत आप लोन देते हैं और उस के रिपेमेन्ट की शुरूआत कई साल बाद होती है जब कि किसान को आप लोन लोन देते हैं फसल तक के लिए और साल भर बाद उस के गाय भैंस नीलाम करा

देये जाते हैं। जो इंडस्ट्री वाले होते हैं जाने वे आपके पास आकर और समय ले लेते हैं। उन को आप जल्दी आप बिजली देते हैं। टेक्नीकल नोलिज भी उन को दिलवा देते हैं और भी सभी सहायता आप उन की करते हैं। परन्तु किसान को कुछ नहीं देते हैं। और, जो देते हैं, उस से वह भंवर में पड़ जाता है। उस बिचारे के पास उससे निकलने का कोई उपाय नहीं सिवाय इस के कि वह इतना ऋणी हो जाता है कि बहुत आगे आने वाले जमाने तक भी वह उस ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता है।

श्रीमन् मैं एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। आज से बीस वर्ष बाद इस दुनिया की आबादी दुगनी हो जाएगी। अगर हम अभी से कृषि को उद्योग नहीं मान कर चलेंगे तो हम अधिक अन्न का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। इतनी आबादी होने के बाद अनाज की कीमत बढ़ेगी। अगर अभी से आप ने यहां के कृषकों को उद्योग के रूप में खेती करना सिखाया, इसी रूप में उन की सहायता की तो कम से कम बीस साल के बाद इस देश का किसान मालदार हो सकेगा। उस समय तमाम दुनिया को अनाज की जरूरत होगी इस योजना पर आप अभी से अमल करना शुरु करें जिससे कि आज नहीं तो कम से कम बीस वर्ष बाद किसान का भविष्य अच्छा हो जाए। इस से हम दुनिया को अनाज देने की स्थिति में हो जाएंगे।

श्रीमान्, किसान की अगर अच्छी हालत होती तो वह शहर की ओर नहीं भागता। विभिन्न योजनाओं को चलाने के बाद भी आज तक किसान का शहर की ओर भागना बन्द नहीं हुआ। गांव में उसकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं, वहां पर सड़कें नहीं, उसके प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, उसके माल के ठीक तरीके से बिकने की अभी तक कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हुई।

श्रीमान् मैं अकेला ही अपनी पार्टी की ओर से बोलूंगा।

सभापति महोदय : आपका टाइम हो गया है। आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरीष कुमार गंगवार : श्रीमन् सरकार व सरकार ने विकास क्षेत्र बनाये और कहा कि हम एक ही जगह पर सारी मशीनरी लगा कर गांवों के लोगों की सारी समस्याओं को हल करेंगे, उनके सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन आज ब्लाक्स डल हो गये हैं। पहले जिस तरह से उनमें काम शुरु हुआ था वह अब नहीं हो रहा है। वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स तो खुल गये है लेकिन वे पुलिस का लोगों की डाक्टरी मुआयना कराने के काम आते है। ब्लाक के लोगों को मदद देने के काम नहीं आते हैं। कोआप्रेटिव वाले भी वहां के लोगों को कोई मदद नहीं देते, कोई सहायता नहीं करते। इसलिए मैं चाहूंगा कि ईन ब्लाकों को चैतनय कीजिए, जाग्रत कीजिए जिससे कि गांवों की भलाई का काम करें।

श्रीमान्, गांव का किसान उलझा हुआ है सिंचाई के मामले में, खतौनी के मामले में, लेखपाल के मामले में। वहां पर लेखपाल है, कहीं ट्यूबवेल आप्रेटर है, कहीं सहकारी समिति का कामगार

है, पंचायत सेवक है, नहर विभाग का ग्राम सेवक है, फिर गन्ना ग्राम सेवक है। इन छोटे-छोटे 7-8 लोगों के बीच में गांव का आदमी पिस रहा है। मैं आप से मांग करता हूं कि आपकी सरकार ज्यादातर सूबों में है और केन्द्र में भी है, आप कम से कम एक ऐसा प्लान बना दीजिए कि एक ग्राम स्तर पर एक अफसर मुकर्रर करेंगे जो लेखपाल का जो पेरेंट का हिसाब किताब रखने का काम होता है वह भी करें और सिंचाई आदि की देखरेख का भी काम करे। याने पूरे गांव की पूरी तरक्की की जिम्मेदारी हो, उससे किसान को फायदा होगा। इस पर खर्चा भी कुछ विशेष होने वाला नहीं है। 7-8 अफसर उसके ऊपर लगे हुए हैं और एक ग्राम पंचायत में 8-10 गांव होते हैं, इसलिए एक अच्छा पढ़ा-लिखा आदमी हम वहां पर रख दें, जिससे हर गांव का विकास हो सके।

चकबंदी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां चकबंदी हो चुकी है और जहां सबसे पहले चकबंदी की गई है, उस समय जो एक्ट बना हुआ था उस में बहुत कमियां थीं। नतीजा यह है कि यू०पी० में वे तहसीलें, जहां पर पहली बार चकबंदी हुई, उनमें जो चकबंदी की गई तो वहां पर न ग्राम सभा के लिए जमीन छोड़ी गई और न चक-रोड़ छोड़े गए और न उनमें आवागमन के लिए कोई प्रबंध किया गया। न स्कूल के लिए जमीन छोड़ी गई। जैसा जहां था वैसा ही छोड़ दिया गया। लिहाजा ग्राम सभा कोई उत्तर में है, कोई पूरब में है, कोई पश्चिम में है, और कोई दक्षिण में है। मैंने उत्तरप्रदेश सरकार को भी कहा कि यहां पर दुबारा चकबंदी की जाए जिसमें कम से कम चकरोड बनें, सार्वजनिक स्थल बनें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे कि जहां-जहां पहली बार चकबंदी हुई है, अन्य प्रदेशों में भी जहां पर पहली बार चकबंदी हुई है, वहां पर सरकार पुनः चकबंदी कराए।

श्रीमान्, गेहूं का भाव का मामला हमारी समझ में नहीं आता। आज गेहूं रोको आन्दोलन की बात किसान करने लगे हैं। 130 रुपये का भाव आपने दिया है और शायद मध्य प्रदेश सरकार 140 रुपये देने जा रही है। यह भाव आपने कैसे निकाला?

पंतनगर यूनिवर्सिटी ने 143 या 145 रुपए भाव कहा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 150 से ऊपर कहा है, तो आप के जो अपने इरादे हैं, जिन को आपने बनाया है, और जो खेती के मामले में रिसर्च कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की बात भी आप नहीं मान रहे है और ये इदारे एक नहीं हैं बल्कि कई हैं।

मान्यवर, एक बात और कही गई है कि उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले तक गेहूं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस से गेहूं कई जिलों में 120–122 के भाव से खरीदी जा रही है। अभी मैं कल ही अपने क्षेत्र में गया था, लोगों ने मांग की कि जिस वक्त चावल का मामला था, उस वक्त भी चावल की निकासी बंद कर दी गई थी, और चावल भी डाउन हो गया था और किसान को 120 और इस से भी कम कीमत पर धान बेचनी पड़ी और जिस दिन आन्दोलन किया गया तो प्रतिबन्ध हटा और उसी दिन भाव 120 से बढ़कर गया। आज गेहूं का भी यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

तक गेहूं नहीं जा सकता और इसलिए किसान मर रहा है। 130 के बजाए 120—122 कीमत उस को मिल रही है। इस ओर आप ध्यान दें। आप उत्तर प्रदेश सरकार को लिखें और आग्रह करें नहीं तो किसान लुट जाएगा। गेहूं का लदान खोलें। आखिर आप पूरे देश को एक जोन क्यों नहीं बनाते। इस से किसान को उचित मूल्य मिलेगा और जिन मण्डियों में ज्यादा दाम दिया जा रहा है, जैसे अकोला, अमरावती, नागपुर आदि में 190 से 205 तक भाव दिया जा रहा है, वहां भी दाम घट जायेंगे और एक सा भाव मिलेगा।

किसान की परेशानी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बाढ़, सूखा, अकाल सभी से वह पीड़ित रहता है। इतने वर्षों के बाद भी हम गंगा और कावेरी को मिलाने की योजना नहीं बना सके है। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो बाढ़ और सूखा दोनों से हम को काफी हद तक निजात मिल सकती है और बिजली भी काफी मात्रा में हम पैदा कर सकते है।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : सिंचाई मंत्री से कहें तो ज्यादा असर पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : सिंचाई मंत्री भी तो यहीं है।

सभापति महोदय : इस वक्त बहस दूसरी ग्रांट्स पर हो रही है।

श्री कुमार गंगवाल गवाए : किसान बाढ और सूखे से पीड़ित रहता है। उसका निदान करें। दूसरे मंत्री के खाते में इसको डाल दें।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन): कृषि और सिंचाई में किसान की सिंचाई हो रही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : किसान की बिजली के मसले में क्या हालत है, इसको आप देखें। कितना भेदभाव बरता जा रहा है, इसको भी आप देखें। मैं पीलीभीत से चुन कर आया हूं। हमारी आखिरी हद है मझोला। मझोला के आगे दस किलोमीटर पर खटेमा, काशीपुर, नैनीताल, आदि है। वहां 21 घंटे बिजली मिलती हैं और हमारे पीलीभीत, शाहजहांपुर में सात घंटे ही मिलती है। वहां क्या खास बात हो गई? क्या वह योजना मंत्री जी का क्षेत्र है, इस वास्ते भेद भाव किया जा रहा है? अगर कहीं मान लिया जाए कि मैं विरोध पक्ष का हूं तो शाहजहांपुर से कांग्रेस आई यानी रूलिंग पार्टी का सदस्य चुन कर आया है वहां ही आप 21 घंटे दे दें, हमें कोई विरोध नहीं है। हमारे यहां आप सात घंटे ही रखें लेकिन आप तो और भी कृषक को परेशान करने जा रहें है प्र योजना बनी है कि तीन दिन में पन्द्रह घंटे ही उसको बिजली मिले। यह कैसा तुगलकी आर्डर है?

पानी का जहां तक सवाल है, नहरों का जहां तक सवाल है, ट्यूबवेल के पानी का जहां तक सवाल है, ट्यूबवेल आप्रेटर को खुली छूट दे दी है कि जिसे वह चाहे पानी दे और जिसे न चाहे न दे जिस की हें चा फसल सुखा दें —

सभापति महोदय : उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को लिख कर भेज दें। वह हर सप्ताह हमें पत्र भेजते है।

श्री हरीश कुमार गंगवाल : कुछ खालों का निर्माण आपने बन्द कर दिया और कुछ का नहीं किया है। कुछ बहुत पुरानी खाले लोगों ने जमा कर ली है, सांप की या छिपकली की बे.

ऐसी खालें हैं जिनका निर्यात बन्द कर दिया गया है। अब उनको स्मगलिंग का धंधा जारी हो गया है। नया न सही लेकिन जो पुराना स्टाक है उसको तो आप निकलवा दें। इससे आपको विदेशी मुद्रा मिलेगा। स्मगलिंग के धंधे से आपको विदेशी मुद्रा भी नहीं मिलती है। करोड़ों रुपये की खालें हिन्दुस्तान में पुरानी पड़ी हुई है। कभी कभी आप रिलैक्सेशन भी कर देते हैं लेकिन वह उन लोगों तक पहुंचता नहीं है। आपने बहुत जल्दी में इनका निर्यात बन्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में भी आप कोई उपाय करें।

अन्त में मैं कुछ मांगें ही रख कर समाप्त कर दूंगा। पहली बात तो यह है कि मूल्य नीति सही रूप में बनाने के लिए अगली फसल का मूल्य तीन मास पहले घोषित कर दिया जाना चाहिये और 165 रुपये कम से कम गेहू की कीमत अदा की जानी चाहिये।

कृषि को उद्योग घोषित करें और उसी प्रकार की सहूलियतें इनको दिलवाएं जो अन्य उद्योगधारियों को मिलती है।

हर गांव को सड़क से आप कब तक जोड़ देंगे इसकी घोषणा आप करें। यह बहुत आवश्यक है किसान की तरक्की के लिए।

प्रत्येक गांव का सभी प्रकार का विकास एक ही व्यक्ति के जिम्मे करें और उसको सर बनाएं। प्रत्येक गांव का सभी प्रकार का विकास एक व्यक्ति के जिम्मे करें, उसको अफसर बनायें।

पट्टे सही आदमियों को मिलने की व्यवस्था कर दें। अभी तक पट्टे सही नहीं हो पाये हैं। मेरे यहां बंगाल के शरणार्थी हैं, कुछ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं जो 15, 15 साल से जमीन जोत रहे हैं लेकिन अभी तक पट्टे नहीं लिखे गये हैं।

इसी तरह से गन्ने का पिछला बकाया किसानों का नहीं मिला है। यू० पी० सरकार के सचिव के अनुसार 13 करोड़ रु० बाकी है, जब कि मेरे ख्याल से 20 करोड़ रु० के ऊपर ही हैं। इस रुपये को मय सूद के दिलाने की आप व्यवस्था करें। आपका ऐक्ट बना हुआ है उसको लागू करायें।

हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है। यू० पी० सरकार से आंकड़े मंगा लें। पुवायां और पूरनपुर में एक फ्लोर मिल की स्थापना कर दें यह बैकवर्ड एरिया है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। उसको इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए कम से कम इतना ही काम कर दें।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं क्योंकि 10 घंटे के समय में मेरी पार्टी को 10 मिनट का समय मिला था जिसमें एक सदस्य हमारे दल के बोल चुके हैं। इसलिये आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिये आभारी हूं।

माननीय राव साहब से सिद्धान्त की बातें करने का मेरा मन नहीं है। मैं माननीय भीम सिंह जी की तरह से 2,3 पौइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने जिन पौइंट्स को कहा उनके इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से कुछ करने की जरूरत है जिसको हम सभी महसूस करते हैं।

[श्री नाथू राम मिर्धा]

मैं कल ही अपने क्षेत्र नागौर गया था। वहां के बैल सारे देश में मशहूर हैं और वहां पर आपके हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यू०पी० राज्यों के किसान मौजूद हैं। किसान बेचता है और किसान ही खरीदता है। अभी कुछ दिन पहले रेल मंत्रालय के बजट पर बहस हुई और बड़े जोर से कहा गया कि सब चीजें ठीक हो रही हैं। कोयले का उत्पादन बढ़ गया और रेलें ढंग से चलेंगी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, पर मेरे इलाके का यह हाल है कि पिछले 4, 5 रोज से सिवाय 4, 5 रेलगाड़ियों के सारी गाड़ियां बन्द हैं। अभी चन्द दिन पहले भाषण जोरदार दिया कि इतना कोयला है कि कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे पूरे डिवीजन में रेलें बन्द हैं, मालगाड़ियां और सवारी गाड़ियां दोनों बन्द हैं। नतीजा यह हुआ कि बैलों को गाड़ियों में लदान न होने से खरीदने वाले वापस जा रहे हैं। जो बैल खरीद रहे हैं वह ट्रकों को अनापशनाप भाड़ा दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से किसान का नुकसान हो रहा है। जब मालगाड़ी बैलों के लदान के लिए नहीं मिलेगी तो किसानों को परेशानी होना स्वाभाविक है। मुझे रेल मंत्री जी इतना जानते नहीं हैं, कभी उनसे मिला भी नहीं, आप मेहरबानी करके उन किसानों के हित में शाम को ही रेल मंत्री को टेलीफोन करें कि किसी तरह से रेलों का इंतजाम करें तुरन्त जिससे किसानों का कुछ भला होगा।

एक ताज्जुब की बात है मैं रेल स्टेशन पर उतरा तो देखा कि तीन मालगाड़ियां निकलीं। एक तो डीजल से भरी हुई थी और दो बिल्कुल पत्थर से भरी हुई निकलीं जिनमें जोधपुर का स्टोन था। लेकिन अब उसके बाद कहते हैं कि कोयला बिल्कुल नहीं है। मैं मंडी में गया किसानों के पास, आप देखते हैं लाटा निकल रहा है, किसान का धान, सरसों, जीरा आ रहा है। पिछले 3, 4 दिन के अन्दर 100, 100 रू० क्विंटल का भाव टूट गया। वह कहते हैं बेचें कहां क्योंकि आगे वाला पैसा देता नहीं है जब तक कि उसको माल न पहुंचे। नतीजा यह है कि किसान का माल बाजार में गाड़ियों में लदा खड़ा है, और बनिया खरीदता भी है तो पैसे बाद में मिलते हैं। माल आगे जाता नहीं है, और मंडियां भरी पड़ी हुई हैं। अभी मैं आपसे कहा कि आपने बड़ी योजना बनाई 97,500 करोड़ रुपये की और भाव आपने मुकर्रर किये। अभी यू०पी० का हाल बता रहे थे, मंत्री महोदय ने कह दिया कि गेहूं खरीदने के लिये कुछ जिलों में बन्द कर दिया है। अब कौन क्या-क्या बन्द करेगा और कौन नहीं करेगा, यह भी कोई जानता नहीं है कि आपका टारगेट कितना है और कितना पूरा होगा ?

मेरी और मंत्री जी की बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि कैसे भाव रखें ? भाव रखना और न रखना कैसे होगा, आपने तो कह दिया कि मिनिमम होगा कि 130 रुपये देंगे। इससे कम होगा तो खरीद लेंगे। इस प्राइस का मतलब यह है कि इतना जरूर देंगे। आपने इतना जरूर कहा था कि इस मामले में जरूरत पड़ेगी तो ट्रेडर्स पर कुछ लैवी लगा सकते हैं। आपने दो बातें कहीं थीं।

यू०पी० वाले क्या नजारा कर रहे हैं ? इधर से और उधर से दोनों तरफ से बोल रहे थे। उसमें कितना आपके पास धन आयेगा ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

देश के हालत मुझे अभी भी काफी दोनों तरफ से खतरनाक नजर आ रहे हैं।

जनसंख्या का आपने कुछ अन्दाज़ा दिया। 68 करोड़ तो आपने बता दी, मेरे ख्याल से इससे ऊपर ही निकलेगी, नीचे का सवाल ही नहीं है। इधर आपने जोर लगाकर कहा कि 132,133 मिलियन टन धान पैदा हो जायेगा। भीमसिंह जी ने भी इशारा किया, मैं उनकी राय से सहमत हूं। मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि हमारी प्रोडक्शन जितनी एस्टीमेड करते हैं, यह ओवर प्रोडक्शन एस्टीमेट है, एक्चुअल फिगर तो आने पर पता लगेगा। प्रोडक्शन में दो, चार चीजों की कमी आप मान रहे हैं, तिलहन की कमी है, दालों की भी कमी है। गन्ने की जो पोज़ीशन है, उसमें बड़ा जोर दिखा रहे हैं कि 33 लाख टन से 50 लाख टन कर दिया है। कन्ज़म्पशन क्या हुआ इन आल? खांड के भाव भी अभी भी, 7, 8 रुपये है, आगे क्या होने वाले है, यह सारी चीजे आज मौजूद हैं। जब किसान की कोई चीज मंडी में बिकने के लिये आती है तो अल्टीमेट्ली उसके माल पर भाव का क्या असर पड़ता है, यह एक कम्पलीकेटेड विषय हो गया है।

मैंने कहा कि सरकार के साथ मेरी हमदर्दी है और इसलिये है कि अगर यह सरकार गुड्स डिलीवर नहीं कर पाती और इसकी इमेज नीचे चली जाती है, खत्म हो जाती है तो इससे देश का बड़ा भारी नुकसान होगा।

आप कहते हैं कि बवन्डर मत करो, मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं भी लोगों को समझाता हूं कि धैर्य रखो। इंदिरा जी कहती हैं कि धैर्य रखो, मैं भी कहता हूं कि धैर्य रखो पर धैर्य रखो कितने दिन? डूबा लग रहा है, धैर्य कितने दिन रखें? कहां-कहां और कैसे-कैसे रखें? इस तरह से लोगों के ख्याल बनते जा रहे हैं। आज भ्रष्टाचार इस तरह से हो रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है, आप गरीबों के लिये कहते हैं कि रूरल रीकंस्ट्रक्शन की सारी चीजें हैं। योजनाएं भरी पड़ी हैं। छकड़ा चलाइये, भेड़ चलाइये, गरीबों के उत्पादन के लिये बैंक से कर्ज दिलाइये, लेकिन क्या कोई बैंक ऐसा है जिसके अन्दर आप यह कह सकते हों कि 5 हजार रुपये लेने के पीछे 500 या हजार का खर्चा न करना पड़ता हो। आप इतने सामने बैठे हैं, कोई छाती पर हाथ रखकर कह सकते हैं, कि 5000 के पीछे 500, 700 खर्च नहीं करने पड़ते? 5000 के पीछे उसको मालूम है कि ढाई हजार की सबसीडी है, इसका उसे फायदा दीखता है। तीसरे कर्जदार ने लोन इनिशियेट करवा दिया है। भेड़ हाजिर लेने वाले को 2, 2 रुपये डेढ़ घंटे पर दे दिया। भेड़ जिसके पास रही उसके पास रह गई। आप इन सारी बातों का एसेसमेंट तो करवाइये। एक साल जनता सरकार का ले ले, एक साल अपना ले ले। आप देखे कि जिनको मदद करवाना चाहते है उसको मदद मिल रही है या नही। इतना ही है कि बैंक की सबसीडी उसकी जेब में रही, और देश की प्रोडक्शन बढ़ी नहीं। गरीब का भला हुआ नही। इसमें आपके सारे मार्जिनल, स्माल और जितने लैंडलैस लेबरर्स हैं, जिनको जिन्दा किया है, उसका मौके पर क्या हो रहा है, क्या इमेज इस सरकार का और सदन का बनेगा? आप किसी भी चीज को देख लीजिये जहां आज रिश्वत न हो।

मैं नहीं कहता कि पहले रिश्वत नही थी, पहले भी थी, राजाओं के वक्त में भी थी, अंग्रेजों के वक्त में भी थी आपके

[श्री नाथूराम मिर्धा]

वक्त में भी थी, हमारे वक्त में भी थी, लेकिन पिछले साल डेढ़ साल में जिस तरह से रेम्पेंट हुआ है, लोग पे और डीअरसेस तो समझते हैं कि हमारा अपना है और रिश्वत पर अपना हक समझते हैं। किसी जगह पर भी बैठने वाला हो दिन में 100,50 रुपये एक्सट्रा जेब में डालकर उठता होगा। चाहे जुडिशियल अदालत में बैठा हो, किसी भी अदालत में बैठा हो, पुलिस में बैठा हो या कहीं भी बैठा हो। क्या होगा हमारे देश का ? अगर मैं गलत कहता हूं तो कोई भी आप में से साथ चलिये, एक-एक आदमी को चैक करवा दूंगा। जबर्दस्त इस तरह के हालत आज देश में खड़े हो रहे है।

सभापति जी, मेरे ख्याल से सदन का समय समाप्त हो रहा है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देश को ठीक करो और किताबें ही किताबे छापने से काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय : मिर्धा जी, अगर आप और बोलना चाहते है तो कल भी थोड़ा और बोल सकते है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेहरबानी करें, दो, एक मिनट मुझे दे दें, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा मैं राम धर्म की बात कहता हू, झूट नहीं बोलता हूं। मैं यहां पोलिटिकल दृष्टि से अपनी बात नही कह रहा हूं।

सभापति महोदय : अभी दो मिनट है, आप अपनी बात कह ले।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अपनी बात दो मिनट में ही खत्म कर देता हूं।

18.00 hrs.

मैं इस देश में लोकतंत्र के बारे में, गरीब और किसान के बारे में, उतनी ही चिन्ता रखता हूं, जितनी कि मेरे मित्र रखते है। मै ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार पूरी शक्ति के साथ कदम उठाए। देश का उत्पादन कम गति से बढ़ रहा है, जबकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेकारी और ज्यादा फैलेगी और एक ऐसी स्टेज आयेगी कि कोई भी आन्दोलनों को नहीं रोक सकेगा, और फिर क्या होगा, क्या नही होगा, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस की ज्यादा चिन्ता प्रधान मंत्री और मेरे मित्रों को होनी चाहिए, जो कि उनके सहयोगी है।

आज मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि किसानो का आज का संकट काट दीजिए, रेल-गाड़िया दौड़ा दीजिए, ताकि किसानों का माल मंडियों में पहुंच सके, उसको क्लीयर करने के लिए पहली प्रेफ़रेंस दीजिए, मवेशी देश के लिए अत्यन्त जरूरी है, उनको पहले क्लीयर कीजिए। इस के लिए रेल मंत्री को टेलीफोन कर दीजिए।

1801 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

AGREEMENT WITH CARE INC.

MR. CHAIRMAN: Shri Indrajit Gupta. This is a half-an-hour discussion.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Mr. Chairman, this half-an-Hour Discussion has arisen out of my question which was raised in this House on the 23rd of March and to which the hon. Minister of Education and Social Welfare had replied. I